



Date: 04-12-2024

AA100024999IN



M - L04 - P715 - B135 - M4

C/O MICRO TURNER UNIT 2 JHARMAJRI

PO BAROTIWALA TEH BADDI DT SOLAN H

173205

MOB. NO. 0

Dear Policyholder,

Re: Your **POLICY DOCUMENT**

We are pleased to enclose the Policy Document of your new policy. Thank you for trusting LIC and choosing us to be your home for Life Insurance. It was truly our pleasure to serve you. Your Customer ID is 00512507354791 . Kindly mention this ID in all your interactions with LIC. Your Policy details can be obtained through SMS LICHELP <pol.no.> to 9222492224 or SMS LICHELP <pol.no.> 56767877.

Do visit us at www.licindia.in and avail our e-services through the Customer Portal for a pleasant service experience. Feel free to contact us on 022-68276827 or visit our Customer Zone in your region for your suggestions / queries. Kindly contact our LICs Branch Office (address noted in the Policy schedule) for future servicing.

LIC provides a wide range of Life Insurance plans to suit every need of yours and your family. Based on the concept of Human Life Value, you may have a relook into your eligibility for future Insurance cover. Should you wish to buy another policy in the near future, visit our official website to find out the details of new plans available with us. Please be informed that we have facilitated Alternate channels of Premium Payment, the details of which are also available in our website.

We hope that your experience with us was a pleasant one and we look forward to your continued relationship with LIC. Thank you once again for your business and we look forward to serving you again in the future.

For LIC of India.

For LIC of India.



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित)
(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

पंजीकरण संख्या: 512 / Registration Number: 512
एलआईसी का नया जीवन आनंद प्लान / LIC's NEW JEEVAN ANAND PLAN
(सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत प्लान) /
(A Par, Non-Linked, Life, Individual, Savings Plan)
यू आई पन / UIN: 512N279V03



संदर्भ : एन. बी./ Ref: NB

भाग- ए /Part-A

दिनांक :/Date: 04-12-2024

(शाखा कार्यालय का पता तथा ई - मेल आईडी) / (Address and e-mail id of Branch Office):

श्री. मधुसूदन
श्री. मधुसूदन

C/O MICRO TURNER UNIT 2 JHARMAJRI
PO BAROTIWALA TEH BADDI DT SOLAN H
173205

श्री. मधुसूदन
श्री. मधुसूदन

श्री. मधुसूदन
श्री. मधुसूदन

Mobile:0

Email:

प्रिय पॉलिसीधारक,

संदर्भ: आपकी पॉलिसी संख्या:

हमें उपरोक्त पॉलिसी दस्तावेज को प्रेषित करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें भाग ए से भाग जी तक शामिल हैं और इनके साथ ग्राहक सूचना पत्रक (सीएआईएस), लाभ विवरण और आवश्यकता विश्लेषण दस्तावेज शामिल हैं।

हम आपका ध्यान पॉलिसी की अनुसूची में उल्लेखित जानकारी और पॉलिसी के तहत उपलब्ध हितलाभों की ओर भी आकर्षित करना चाहेंगे।

हमारी कुछ योजनाओं के अंतर्गत निश्चित विकल्प (राइड(रो)सहित) उपलब्ध हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध और पॉलिसी दस्तावेज में वर्णित विकल्प, यदि कोई हो, को सावधानीपूर्वक नोट किया जाये, क्योंकि उपलब्ध विकल्पों में से किसी विकल्प का चयन करने हेतु यह आपके लिए सहायक होगा। आवश्यक है कि ऐसे विकल्प, यदि उपलब्ध हो और इस योजना के दस्तावेज में वर्णित हो, तो उनका उपयोग सही ढंग से और यहाँ निर्धारित समय सीमा के दौरान, प्रयुक्त किया जाना है।

निशुल्क अवलोकन अवधि

कृपया पॉलिसी के नियमों व शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें तथा अगर आप इन नियमों व शर्तों में से किसी से असहमत हों तो आप पॉलिसी दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से पाने की तिथि, जो भी पहले हो, से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपनी आपत्तियों व असहमति के कारणों का उल्लेख करते हुए लौटा सकते हैं। पॉलिसी के मिलने पर हम इसे रद्द करके संरक्षण की अवधि के लिए समानुपाती जोखिम प्रीमियम (मूल पॉलिसी तथा राइडर के लिए, अगर हों) तथा स्वास्थ्य जांच (विशेष रिपोर्ट्स, यदि कोई हों, सहित) एवं स्टैम्प शुल्क के लिए शुल्कों को काटकर आपके द्वारा जमा की गई प्रीमियम राशि को लौटा देंगे।

अगर आपकी कोई शिकायत हो तो आप ऊपर दिए गए पते पर शाखा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं अथवा नीचे दिए गए पते पर शिकायत निवारण अधिकारी / लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

Dear Policyholder,

Re: Your Policy No.

We have pleasure in forwarding herewith the above policy document comprising of Part A to Part G alongwith Customer Information Sheet (CIS), Benefit Illustration and Need Analysis documents.

We would also like to draw your kind attention to the information mentioned in the Schedule of the Policy and the benefits available under the Policy.

Some of our plans have certain options (including rider(s)) available under them. It is important that the options, if any, available under this plan and mentioned in the policy document are noted carefully as it will be helpful to you, in case you decide to exercise any of the available options. It is also essential to note that such option, if available and mentioned in the document of this plan has to be exercised in the right manner and during the stipulated time limit as prescribed herein.

Free Look Period

We would request you to go through the terms and conditions of the Policy and in case you disagree with any of the terms and conditions, you may return the Policy within a period of 30 days from the date of receipt of the electronic or physical mode of the Policy Document, whichever is earlier, stating the reasons for your objections and disagreement. On receipt of the policy, we shall cancel the same and the amount of Premium deposited by you shall be refunded to you after deducting the proportionate risk premium (for Base Policy and Rider(s), if any) for the period of cover and charges for medical examination (including special reports, if any) and for stamp duty.

In case you have any Complaints/Grievance, you may approach the Branch Office on the address mentioned above or Grievance Redressal Officer/ Ombudsman, whose address are as under:

शिकायत निवारण अधिकारी का पता: / **Address of Grievance Redressal Officer:**

यदि आप इस दस्तावेज में कोई त्रुटि पाते हैं
तो आप सुधार के लिए यह पोलिसी हमें
वापस लौटा सकते हैं।

If you find any errors in this Policy
Document, you may return this Policy
for corrections.

धन्यवाद / Thanking you

बीमा लोकपाल का पता तथा संपर्क विवरण

Address and contact details of Insurance Ombudsman:

भवदीय,

Yours faithfully,

मुख्य / वरिष्ठ / शाखा प्रबंधक
Chief/Sr./Branch Manager

कॉल सेंटर सेवा (24 x 7)
Call Center No. (24 x 7)
022 - 6827 6827

अभिकर्ता / मध्यस्थ / पीओएसपीएलआई का कोड / नाम / मोबाइल नंबर / लैंडलाइन नंबर

Agent's / Intermediary's / POSP-LI's Code / Name / Mobile No. / Landline No.

हम आपका ध्यान निम्नांकित पहलुओं पर भी आकर्षित करना चाहेंगे:

We would also like to draw your attention to the following aspects:

- 1) पते में परिवर्तन: यदि आप अपना आवास बदलते/बदलती हैं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप सेवा प्रदाता शाखा कार्यालय को पते में परिवर्तन की सूचना दें।
 - 2) समनुदेशन: समनुदेशन समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के प्रावधान के अनुसार होना चाहिए। संदर्भ के लिए धारा 38 के मौजूदा प्रावधान अनुलग्नक-1 में संलग्न हैं।
 - 3) नामांकन: नामांकन समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के प्रावधान के अनुसार होना चाहिए। संदर्भ के लिए धारा 39 के मौजूदा प्रावधान अनुलग्नक-2 में संलग्न हैं।
 - 4) पॉलिसीधारक या दावाकर्ता, जैसे लागू हो, को पॉलिसी के अंतर्गत दावे में परिणत होनेवाली बीमित घटना होने के बारे में जल्द से जल्द निगम को सूचित करना आवश्यक होगा।
 - 5) समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। इसके मौजूदा प्रावधान अनुलग्नक-3 में संलग्न हैं।
 - 6) समय - समय पर यथासंशोधित एलआईसी के लिए लागू बीमा अधिनियम 1938 के विभिन्न प्रावधान लागू होंगे।
 - 7) इस योजना के संबंध में पॉलिसी दस्तावेज का स्वीकृत प्रारूप वेबसाइट : www.licindia.in पर उपलब्ध है।
 - 8) कृपया एलआईसी की ई - सेवाओं का लाभ उठाएं। आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए हमारी वेबसाइट : www.licindia.in देखें।
 - 9) ग्राहक सेवाओं के लिए आप एलआईसी कॉल सेंटर से +91-02268276827 पर संपर्क कर सकते हैं, जिनकी सेवाएँ 24x7 अंग्रेजी, हिंदी और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।
- ये कदम आपको बेहतर सेवा देने में हमारी मदद करेंगे।

- 1) **Change of Address:** In case you change your residence, kindly ensure that you inform the change in address to the servicing Branch Office.
- 2) **Assignment:** Assignment should be in accordance with the provisions of Section 38 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 38 are enclosed as Annexure-1 for reference.
- 3) **Nomination:** Nomination should be in accordance with the provisions of Section 39 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 39 are enclosed as Annexure-2 for reference.
- 4) Policyholder or the claimant, as applicable, is required to intimate the Corporation, about the happening of the insured event resulting into a claim under the policy, at the earliest possible time.
- 5) The provisions of Section 45 of Insurance Act 1938, as amended from time to time shall be applicable. The current provisions of the same are enclosed as Annexure-3.
- 6) Various Sections of the Insurance Act, 1938 applicable to LIC to apply as amended from time to time.
- 7) The approved version of Policy Document in respect of this plan is available on our website: www.licindia.in.
- 8) Please avail LIC's e-services. Visit our website: www.licindia.in to enable us to serve you better.
- 9) For Customer Services, you can contact LIC call Centre at +91-022 68276827 whose services are available 24x7 in English, Hindi and 8 Regional Languages.

These measures will enable us to serve you better

V20.55

प्रस्तावना

भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे आगे "निगम" कहा गया है) को यहां पर संदर्भित अनुसूची में वर्णित प्रस्तावक और बीमित व्यक्ति से एक प्रस्ताव , घोषणा एवं प्रथम प्रीमियम प्राप्त हुए हैं और उपर्युक्त प्रस्ताव तथा उसमें निहित घोषणा और कथनों को इस बीमा के आधार के रूप में निगम तथा प्रस्तावक ने सहमति दे दी है । अतः निगम सहमत है कि अनुसूची में वर्णित उत्तरवर्ती प्रीमियम की नियमपूर्वक प्राप्ति होने पर निगम के उस कार्यालय में हितलाभों का ब्याज के बिना भुगतान किया जाएगा , जहां यह पॉलिसी सेवित होती है । हितलाभों का भुगतान निगम उस व्यक्ति या व्यक्तियों को करेगा , जिसको ऐसा भुगतान उपर्युक्त अनुसूची की शर्तों के अनुसार देय होगा , जिसके लिए निगम ऐसे हितलाभ पॉलिसी दस्तावेज़ में निर्दिष्ट रूप में देय हो जाने के विषय में , भुगतान का दावा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के अधिकार के विषय में और प्रस्ताव - पत्र में बीमित व्यक्ति की कथित आयु के सही होने, यदि आयु पहले ही स्वीकार न की गई हो के विषय में सबूत लेकर अपनी संतुष्टि करेगा।

और एतद्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह बीमा पॉलिसी इसमें छापी गई परिभाषाओं, हितलाभों, सेवा संबंधी शर्तों तथा अन्य नियमों व शर्तों तथा संवैधानिक प्रावधानों के अधीन होगी और इस पॉलिसी में निगम द्वारा जोड़ी गई अनुसूची तथा प्रत्येक पृष्ठांकन इस पॉलिसी का भाग समझा जाएगा।

PREAMBLE

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with Declaration and the first premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, in consideration of and subject to the due receipt of the subsequent premiums as set out in the Schedule, to pay the Benefits, but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Benefits having become payable as set out in this Policy Document, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted.

And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Definitions, Benefits, Conditions related to Servicing Aspects, Other Terms and Conditions and Statutory Provisions printed in this policy and that the Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy.

अनुसूची / SCHEDULE

मंडल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE: D093

शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE: 999

पॉलिसी संख्या : Policy Number:		यू आई एन: UIN:	
योजना और पॉलिसी अवधि : Plan & Policy Term:		मूल बीमा राशि (रु .) : / Basic Sum Assured (Rs.):	
पॉलिसी शुरू होने की तिथि : Date of Commencement of Policy:		जोखिम शुरू होने की तिथि : Date of Commencement of Risk:	
परिपक्व होने की तिथि : Date of Maturity:		प्रीमियम भुगतान की विधि : Mode of payment of premium:	
लाभ चित्रण संदर्भ संख्या: Benefit Illustration Reference No:		कुल किस्त प्रीमियम (रु .) : Total Instalment Premium (Rs.): (समय - समय पर लागू होने वाले कर , यदि कोई हों , अतिरिक्त रूप से लिए जाते हैं ।) (Taxes, if any, as applicable from time to time are charged extra.)	
प्रीमियम भुगतान अवधि : Premium Paying Term:		क्या निपटान विकल्प लिया गया है? Whether Settlement Option taken?:	
मूल पॉलिसी के लिए किस्त प्रीमियम (रु .) Instalment Premium for Base Policy (Rs.)		मूल पॉलिसी के लिए अंतिम प्रीमियम भुगतान की देय तिथि : Due Date of Payment of Last premium for Base Policy:	
प्रीमियम की देय तिथि : Due date of premium:		क्या किस्तों में मृत्यु हित लाभ लेने का विकल्प लिया गया है ? Whether Option to take Death Benefit in instalments taken ?:	

चुने गए राइडर का विवरण / Details of Rider opted:

क्रम संख्या Sr. No.	चयनीत राइडर Rider Opted:	यू आई एन UIN	राइडर के लिए जोखिम आरम्भ होने की तिथि Date of Commencement of Risk for Rider	राइडर बीमा राशि (रु .) Rider Sum Assured (Rs.)	राइडर के लिए किस्त प्रीमियम (रु .) Instalment Premium for Rider (Rs.)	राइडर के लिए अंतिम प्रीमियम भुगतान की देय तिथि Due Date of payment of last premium for Rider	राइडर समाप्ति की तिथि Date of expiry of rider
1.							
2.							
3.							

टिप्पणी : चुने गए तथा ऊपर उल्लेख किए गए राइडर (रें) की शर्तें पॉलिसी के पृष्ठांकन के रूप में संलग्न हैं । / **Note: Conditions of the rider(s) opted and mentioned above are enclosed as endorsement to the policy.**

जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाय तब तक इस अनुसूची में वर्णित और प्रयुक्त तिथि दिदि / मम / वववव प्रारूप में हैं । / **Unless otherwise stated, all dates described and used in this Schedule are in dd/mm/yyyy formats.**

अनुसूची (जारी ...) / SCHEDULE (Contd...)

<p>प्रस्तावक का नाम , लिंग तथा पता । Name, Gender and Address of Proposer</p> <p>Male</p> <p>C/O MICRO TURNER UNIT 2 JHARMAJRI PO BAROTIWALA TEH BADDI DT SOLAN H 173205</p>	<p>प्रस्ताव संख्या : Proposal No:</p> <p>3578</p> <p>प्रस्ताव की तिथि : Date of Proposal:</p> <p>14-11-2024</p> <p>पॉलिसी जारी करने की तिथि : / Date of issuance of policy:</p> <p>14-11-2024</p>
<p>बीमित व्यक्ति का नाम , लिंग तथा पता । Name, Gender and Address of Life Assured</p> <p>Male</p> <p>C/O MICRO TURNER UNIT 2 JHARMAJRI PO BAROTIWALA TEH BADDI DT SOLAN H 173205</p>	<p>बीमित व्यक्ति की जन्मतिथि: / Date of Birth of the Life Assured:</p> <p>12-02-1990</p> <p>बीमित व्यक्ति की आयु: Age of the Life Assured:</p> <p>35</p> <p>क्या आयु स्वीकार की गई है?: Whether Age admitted?</p> <p>Yes</p>
<p>बीमा अधिनियम , 1938 की धारा 39 , समय - समय पर यथा - संशोधित , के अंतर्गत नामित व्यक्तियों का विवरण Details of Nominee(s) under Section 39 of the Insurance Act,1938</p>	
<p>नामांकन का प्रकार : / Type of Nomination:</p> <p>Single</p>	
<p>नामित व्यक्ति / यों का नाम / आयु (वर्षों में) / बीमित व्यक्ति के साथ संबंध / प्रतिशत हिस्सा / Nominee(s) Name / Age (in yrs) / Relationship to the Life Assured / Percentage Share</p> <p>SUMAN YADAV 35 Yrs. Wife 100%</p> <p>भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA</p>	
<p>नियुक्त व्यक्ति का नाम (अगर नामित व्यक्ति अवयस्क है) / Appointee Name [in case the Nominee is a minor]</p>	

<p>अवधि जिसके दौरान प्रीमियम देय है । Period during which premiums payable</p>	<p>अंतिम प्रीमियम के भुगतान की निर्धारित देय तिथि तक या बीमित व्यक्ति की समय से पहले मृत्यु तक । Till the stipulated due date of the payment of last premium or earlier death of the Life Assured.</p>
<p>तिथियां जिसके दौरान प्रीमियम देय है । Dates when premium payable</p>	<p>निर्धारित देय तिथि May Nov On the stipulated due date in</p>

निगम के लिए उपरोक्त शाखा कार्यालय द्वारा हस्ताक्षरित, जिसका पता एवं ईमेल आई डी पहले पृष्ठ में दिया गया है तथा जिससे इस पॉलिसी से संबंधित सभी पत्राचार किया जाएगा।
Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office, whose address and e-mail ID are given on the first page and to which all communications relating to the policy should be addressed.

दिनांक /Date 04-12-2024

Digitally Signed by : on behalf of LIC of India
Date: 2024.12.04 15:14:58 IST
Reason: Policy Document

जाँचकर्ता / Examined by: 434269

मुख्य /वरिष्ठ/शाखा प्रबंधक / Chief/Sr./Branch Manager

प्रपत्र संख्या /Form No.:
CONSOLIDATED STAMP DUTY PAID TO REVENUE DEPARTMENT, GOVT. OF GOA
VIDE ORDER NO. 35/2/2013-RD/615, DATED 01/06/2022 CHALLAN NO.10 DATED
26/04/2024

Stamp Fee Rs. 150.0

इस पॉलिसी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द/शब्दों की परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं:

1. **आयु पॉलिसी** के प्रारंभ होने के समय बीमित व्यक्ति के निकटतम जन्म दिवस पर उसकी आयु है, जिसमें प्रवेश पर न्यूनतम आयु शामिल नहीं है, जहाँ 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है और न्यूनतम परिपक्वता आयु जहाँ 33 वर्ष पूर्ण हो गया है।
2. **नियुक्त** वह व्यक्ति है जिसको, पॉलिसी के अंतर्गत सुनिश्चित प्राप्ति/हितलाभ का भुगतान देय है, यदि हितलाभ नामांकित व्यक्ति को देय है और दावे की भुगतान तारीख पर वह नाबालिग है।
3. **वार्षिक प्रीमियम** एक वर्ष में देय प्रीमियम राशि होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम और मॉडल प्रीमियम के लिए लोडिंग शामिल नहीं होगी।
4. **समनुदेशिनी** वह व्यक्ति है जिसे एक समनुदेशन के आधार पर अधिकार और हितलाभ हस्तांतरित किए गए हैं।
5. **समनुदेशन** किसी 'समनुदेशिनी' को अधिकार और हितलाभों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। समनुदेशन, समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।
6. **मूल पॉलिसी**, पॉलिसी का वह भाग है, जिसमें मूल हितलाभों का उल्लेख किया गया है (यदि राइडर का चयन किया गया है तो उसके अंतर्गत हितलाभों को छोड़कर, उस पॉलिसी में उल्लिखित हितलाभ)।
7. **मूल बीमा राशि** का अर्थ उस राशि से है जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और पॉलिसी लेने के समय जिसका चयन पॉलिसीधारक ने किया है।
8. **लाभार्थी/दावाकर्ता** का अर्थ उस व्यक्ति/संस्था से है, जो इस पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने का अधिकारी हो। लाभार्थी, जिन्हें हितलाभ देय है, वह है प्रस्तावक या बीमित या बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अंतर्गत उसके समनुदेशित या समय समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामितों या प्रमाणित निष्पादकों या प्रशासकों या अन्य वैधानिक प्रतिनिधियों, जिन्होंने उसकी संपदा या इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि मात्र के लिए भारतीय संघ के किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के किसी न्यायालय, जो भी लागू हो, से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।
9. **निरंतर बीमायोग्यता**, यदि किसी राइडर का चयन किया गया है तो उसके सहित पॉलिसी के पुनर्चलन किए जाने पर निगम की संतुष्टि के अनुसार बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक की बीमायोग्यता का निर्धारण है जो पहले से उपलब्ध सूचना, दस्तावेजों और रिपोर्टों पर तथा पुनर्चलन के समय निगम की जोखिमांकन नीति के अनुसार इस संबंध में मांगी गई अतिरिक्त सूचना पर निर्भर होगी।

The definitions of terms/words used in the Policy Document are as under:

1. **Age** is the age nearer birthday of the Life Assured at the time of commencement of the policy except for minimum age at entry where age is 18 years completed and at minimum maturity age where age is 33 years completed.
2. **Appointee** is the person to whom the proceeds/benefits secured under the Policy are payable if the benefit becomes payable to the nominee and nominee is minor as on the date of claim payment.
3. **Annualized Premium** shall be the premium amount payable in a year, excluding taxes, rider premiums, underwriting extra premiums and loadings for modal premiums.
4. **Assignee** is the person to whom the rights and benefits are transferred by virtue of an Assignment.
5. **Assignment** is the process of transferring the rights and benefits to an "Assignee". Assignment should be in accordance with the provisions of Section 38 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.
6. **Base Policy** is that part of the Policy referring to basic benefit (benefits referred to in this Policy Document excluding benefits covered under rider(s), if opted for).
7. **Basic Sum Assured** means the amount specified in the Schedule as opted by the Policyholder at the time of taking the policy.
8. **Beneficiary/Claimant** means the person(s)/entity who is/are entitled to receive benefits under this Policy. The Beneficiary to whom benefits are payable is the Proposer or Life Assured or his Assignee under Section 38 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time or Nominee(s) under Section 39 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/ her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India, as applicable.
9. **Continued Insurability** is the determination of insurability of Life Assured/Proposer on revival of policy with rider(s) if opted for, to the satisfaction of the Corporation based on the information, documents and reports that are already available and any additional information in this regard if and as may be required in accordance with the Underwriting Policy of the Corporation at the time of revival.

10. **निगम का अर्थ**, जीवन बीमा अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम है।
11. **पॉलिसी प्रारंभ होने की तारीख** इस पॉलिसी की प्रारंभ-तारीख है।
12. **जोखिम प्रारंभ होने की तारीख** वह तारीख है, जिस पर निगम, बीमा (सुरक्षा) के लिए जोखिम को स्वीकृत करता है, जैसाकि इस पॉलिसी की अनुसूची में दर्शाया गया है।
13. **पॉलिसी जारी करने की तारीख** वह तारीख है, जब जोखिमांकन के पश्चात् प्रस्ताव को पॉलिसी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और यह संविदा चालू हो गया है।
14. **परिपक्वता की तारीख** अनुसूची में विनिर्दिष्ट वह तारीख है जब पॉलिसी अवधि पूरी होती है।
15. **मृत्यु हितलाभ** से तात्पर्य उस हितलाभ से है, जो इस पॉलिसी दस्तावेज में उल्लिखित बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर देय है।
16. **विमुक्ति प्रपत्र** (डिस्चार्ज फार्म) वह प्रपत्र है जो इस पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता/ अभ्यर्पण/मृत्यु हितलाभ का दावा करने के लिए पॉलिसीधारक/दावाकर्ता को भरना होता है।
17. **नियत तारीख** वह नियत तारीख है जब प्रीमियम देय होता है और पॉलिसीधारक द्वारा अदा कर दिया जाना चाहिए।
18. **पृष्ठांकन** का अर्थ वे शर्तें हैं, जो इस पॉलिसी के साथ संलग्न हैं और जिनके द्वारा निगम ने पॉलिसी में सहमतिपूर्वक संशोधन अथवा सुधार किए हैं।
19. **अतिरिक्त प्रीमियम** वह प्रभार है जो जोखिमांकन निर्णय के कारण किसी ऐसे अतिरिक्त जोखिम के लिए लिया जाता है जो न्यूनतम संविदा प्रीमियम में नहीं दिया गया है।
20. **अंतिम अतिरिक्त बोनस** जिसे अंतिम बोनस भी कहा जाता है, वह अतिरिक्त राशि है जो पॉलिसी समाप्ति पर साधारण प्रत्यावर्ती बोनस के साथ देय होती है बशर्ते कि ऐसा अंतिम अतिरिक्त बोनस निगम द्वारा घोषित किया गया हो और पॉलिसी ऐसे अंतिम अतिरिक्त बोनस के लिए पात्र हो।
21. **पूर्व-समापन**, देय तारीख पर बकाया ऋण और/अथवा ऋण के ब्याज के भुगतान में चूक होने के कारण पॉलिसी के बंद करने की कार्यवाही है जब बकाया ऋण और उसके ब्याज की राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाए।
22. **निःशुल्क अवलोकन अवधि** पॉलिसीधारक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि, जो भी पहले हो, से पॉलिसी प्राप्त करने की तारीख के बाद 30 दिनों की वह अवधि है, जिसके दौरान वह पॉलिसी के नियम/शर्तों का पुनरावलोकन कर सकता है और यदि पॉलिसीधारक किसी नियम/ शर्त से सहमत नहीं है तो उसके पास इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग डी की शर्त 7 में बताए अनुसार पॉलिसी वापस करने का विकल्प है।
23. इस पॉलिसी दस्तावेज में **शासकीय प्रतिभूति (जी-सेक)** से तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न अवधियों के लिए जारी किए जाने वाले व्यापार योग्य लिखतों से है, जिन्हें भारतीय रिजर्व
10. **Corporation** means the Life Insurance Corporation of India established under Section 3 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
11. **Date of commencement of policy** is the start date of this Policy.
12. **Date of commencement of risk** is the date on which the Corporation accepts the risk for insurance (cover) as evidenced in the Schedule of the policy.
13. **Date of issuance of policy** is a date when a proposal after underwriting is accepted as a policy and this contract gets effected.
14. **Date of Maturity** means the date specified in the Schedule on which the Policy Term expires.
15. **Death Benefit** means the benefit, which is payable on death of the Life Assured, as stated in this Policy Document.
16. **Discharge form** is the form to be filled by policyholder/claimant to claim the maturity/surrender/death benefit under the policy.
17. **Due Date** means a fixed date on which the policy premium is due and payable by the policyholder.
18. **Endorsement** means conditions attached/affixed to this Policy incorporating any additions, amendments or modifications agreed to or issued by the Corporation.
19. **Extra premium** means a charge, due to underwriting decision, for any additional risk not provided for, in minimum contract premium.
20. **Final Additional Bonus, also called as Terminal Bonus**, is an additional amount payable along with the Simple Reversionary Bonus when the policy terminates, provided such a Final Additional Bonus is declared by the Corporation and the policy is eligible for such Final Additional Bonus.
21. **Foreclosure** is an action of closing the policy due to default in payment of outstanding loan and/or loan interest on due date when the outstanding loan amount along with interest is to exceed the surrender value.
22. **Free Look Period** is the period of 30 days from the date of receipt of the electronic or physical mode of the Policy Document, whichever is earlier, by the Policyholder to review the terms and conditions of this policy and where the Policyholder disagrees to any of those terms and conditions, he/ she has the option to return this policy as detailed in Condition 7 of Part D of this Policy Document.
23. **Government Security (G-Sec)** in this Policy Document refers to the tradeable instruments issued by Central Government for various durations, declared as benchmark securities corresponding to the stated tenors, by Reserve Bank of India.

बैंक द्वारा उल्लिखित अवधियों के अनुरूप बेंचमार्क प्रतिभूतियों के रूप में घोषित किया गया है।

24. **अनुग्रह अवधि** किसी जुमाने या विलंब शुल्क के बिना प्रीमियम अदा करने के लिए नियत तारीख के बाद बीमाकर्ता द्वारा दिया गया वह अतिरिक्त समय है, जिसके दौरान पॉलिसी के नियमों व शर्तों के अनुसार बिना किसी व्यवधान के पॉलिसी बीमा सुरक्षा के साथ चालू मानी जाती है।
25. **गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य**, पॉलिसी अभ्यर्पित किए जाने पर पॉलिसीधारक को देय अभ्यर्पण मूल्य की न्यूनतम गारंटीकृत राशि है।
26. **चालू पॉलिसी** ऐसी पॉलिसी है, जिस पर सभी देय प्रीमियम अदा कर दिए गए हैं और अनुग्रह अवधि से अधिक समय के लिए प्रीमियम बकाया नहीं हैं।
27. **आईआरडीएआई** का अर्थ भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण है, जिसे पहले बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) कहा जाता था।
28. **“कालातीत”** पॉलिसी की वह अवस्था है जब अनुग्रह अवधि के दौरान देय प्रीमियम का भुगतान न किया गया हो।
29. **बीमित व्यक्ति** वह व्यक्ति है, जिसके जीवन पर बीमा सुरक्षा स्वीकृत किया गया है।
30. **ऋण**, निगम द्वारा पॉलिसीधारक को भाग डी की शर्त 5 के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार नियमों व शर्तों के अनुरूप देय अभ्यर्पण मूल्य के एवज में देय वह राशि है, जो ब्याज सहित चुकाई जानी है।
31. **परिपक्वता हितलाभ** से तात्पर्य उस हितलाभ से है, जो इस पॉलिसी दस्तावेज़ में बताए अनुसार परिपक्वता पर देय है।
32. **महत्वपूर्ण सूचना** से तात्पर्य ऐसी सभी महत्वपूर्ण, आवश्यक और प्रासंगिक सूचनाओं एवं दस्तावेज़ों से होगा, जिन्हें निगम द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र में स्पष्ट रूप से माँगा गया हो।

पॉलिसी प्राप्त करते समय पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक को पहले से ज्ञात जानकारी, जो प्रस्ताव/प्रस्तुत पॉलिसी के को प्रभावित करती है, उसे महत्वपूर्ण सूचना कहा जाता है।
33. **नाबालिग** वह व्यक्ति है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
34. **नामांकन** वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्रस्ताव-पत्र में किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों को “नामिती” के रूप में दर्ज किया गया हो अथवा बाद में पृष्ठांकन के माध्यम से शामिल किया गया हो/बदला गया हो। नामांकन समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार होना चाहिए।
35. **नामिती** इस पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसीधारक (जो बीमित व्यक्ति भी है) द्वारा नामित व्यक्ति है/हैं, जो इस पॉलिसी के अंतर्गत देय दावा हितलाभ प्राप्त करने और दावे के निपटान पर निगम को वैध विमोचन देने के लिए प्राधिकृत है/हैं।

24. **Grace period** is the time granted by the insurer from the due date of payment of premium, without any penalty or late fee, during which time the policy is considered to be in-force with the risk cover without any interruption as per the terms and conditions of the policy.

25. **Guaranteed Surrender Value** is the minimum guaranteed amount of Surrender Value payable to the policyholder on surrender of the policy.

26. **In-force policy** means a policy in which all the due premiums have been paid and the premiums are not outstanding beyond grace period.

27. **IRDAI** means Insurance Regulatory and Development Authority of India earlier called as Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).

28. **Lapse** is the status of the Policy when due premium is not paid within the grace period.

29. **Life Assured** is the person on whose life the insurance cover has been accepted.

30. **Loan** is the interest bearing repayable amount granted by the Corporation against the surrender value payable to the policyholder in accordance with the terms and conditions as specified under Condition 5 of Part D.

31. **Maturity Benefit** means the benefit, which is payable on maturity, as stated in this Policy Document.

32. **Material information** shall mean all important, essential and relevant information and documents explicitly sought by the Corporation in the proposal form.

The information already known to the Policyholder/Life Assured/Proposer at the time of obtaining a policy which has a bearing on underwriting of the proposal /Policy submitted constitutes Material Information.

33. **Minor** is a person who has not completed 18 years of age.

34. **Nomination** is the process of nominating a person(s) who is (are) named as “Nominee(s)” in the proposal form or subsequently included/ changed by an endorsement. Nomination should be in accordance with provisions of Section 39 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.

35. **Nominee(s)** means the person(s) nominated by the Policyholder (who is also the Life Assured) under this Policy who is (are) authorised to receive the claim benefit payable under this Policy and to give a valid discharge to the Corporation on settlement of the claim.

36. **Option to take Death Benefit in instalments:** Option to take death benefit in instalments, as

36. **मृत्यु हितलाभ किशतों में लेने का विकल्प:** इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग 'डी' की शर्त 8 के विनिर्देश के अनुसार, मृत्यु हितलाभ किशतों में प्राप्त करने का विकल्प इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध एक विकल्प है, जिसके अनुसार मृत्यु हितलाभ एकमुश्त लेने के बजाय, पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई समय-अवधि में किशतों में लिया जा सकता है।

37. **सहभागी उत्पादों से तात्पर्य** ऐसे उत्पादों से है, जहां पॉलिसीधारकों को पॉलिसी की अवधि के दौरान अधिशेष (लाभ) में हिस्सा पाने की पात्रता होती है।

ऐसी सममूल्य पॉलिसी, पॉलिसी के नियमों व शर्तों के अनुसार निगम के अनुभव के आधार पर लाभ में हिस्सेदारी के लिए पात्र है।

38. **प्रदत्त पॉलिसी** की वह अवस्था है, जब प्रीमियम कम से कम एक पूर्ण वर्षों के लिए अदा कर दी गई हो और उसके बाद की प्रीमियम अदा न की गई हो तथा पहले पॉलिसी वर्ष की पूर्णता पर।

39. **पॉलिसी की वर्षगांठ** का अर्थ, पॉलिसी प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष और उसके बाद पॉलिसी परिपक्व होने की तारीख तक, प्रत्येक वर्ष आने वाली वही तारीख है।

40. **पॉलिसी/पॉलिसी दस्तावेज** निगम द्वारा जारी यह दस्तावेज और पृष्ठांकन (यदि कोई हो) है, जो पॉलिसीधारक और निगम के बीच एक कानूनी करार है।

41. **पॉलिसीधारक** इस पॉलिसी का कानूनी स्वामी है।

42. **पॉलिसी अवधि** पॉलिसी प्रारंभ होने की तारीख से परिपक्वता की तारीख के समाप्त होने तक वर्षों में व्यक्त वह अवधि है जो पॉलिसीधारक ने चुनी है और जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

43. **पॉलिसी वर्ष** दो लगातार पॉलिसी वर्षगांठों के बीच का समय है। इस अवधि में पहला दिन शामिल है, किंतु अगली वर्षगांठ का दिन शामिल नहीं है।

44. **प्रीमियम**, इस पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभ सुनिश्चित करने के लिए, इस पॉलिसी दस्तावेज की अनुसूची में उल्लिखित वह संविदागत राशि है जो पॉलिसीधारक द्वारा आवधिक रूप से विनिर्दिष्ट समयों पर अदा की जानी है। देय प्रीमियम "कुल किशत प्रीमियम" होगा, जिसमें निम्नलिखित प्रीमियम शामिल हैं:

- मूल पॉलिसी के लिए किशत प्रीमियम; और
- यदि राइडर (रों) का चयन किया गया है तो राइडर (रों) के लिए किशत प्रीमियम

इस पॉलिसी दस्तावेज में कहीं पर भी प्रयुक्त "प्रीमियम" शब्द में कोई कर शामिल नहीं है, उनका भुगतान अलग से किया जाना है।

45. **प्रस्तावक** जीवन बीमा के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति है।

46. **विशुद्ध जोखिम उत्पादों से तात्पर्य** ऐसे बीमा उत्पादों से है, (बिना किसी बचततत्व के) जहां सहमत राशि का भुगतान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर या पॉलिसी की अवधि के भीतर बीमित व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिकता होने पर सुनिश्चित किया जाता है।

specified in Condition 8 of Part D of this Policy Document, is an option available under this Policy, to receive Death Benefit in instalments instead of lumpsum amount over a period chosen by the Policyholder/Life Assured.

37. **Par Products** means products where policies are entitled to share in surplus (profits) during the term of the policy.

Such Par policy is eligible for share of profit depending upon the Corporation's experience in accordance with the terms and conditions of the policy.

38. **Paid-Up** is the status of the Policy, if the premiums are paid for at least one full year and subsequent premium/s be not paid and on completion of first policy year.

39. **Policy Anniversary** means one year from the date of commencement of the Policy and the same date falling each year thereafter, till the Date of Maturity.

40. **Policy/Policy Document** means this document along with endorsements, if any, issued by the Corporation which is a legal contract between the Policyholder and the Corporation.

41. **Policyholder** is the legal owner of this policy.

42. **Policy term** is the period, in years, as chosen by the policyholder and mentioned in the Schedule, commencing from the Date of commencement of policy and ending on the Date of Maturity.

43. **Policy year** is the period between two consecutive policy anniversaries. This period includes the first day and excludes the next policy anniversary day.

44. **Premium** is the contractual amount payable by the Policyholder at specified times periodically as mentioned in the Schedule of this Policy Document to secure the benefits under the policy. The premium payable will be "Total Instalment Premium" which includes

- Instalment Premium for Base Policy and
- Instalment Premium for Rider(s), if rider(s) has been opted for.

The term 'Premium' used anywhere in this Policy Document does not include any taxes which is payable separately.

45. **Proposer** is a person who proposes the life insurance proposal.

46. **Pure Risk Products** means insurance products (without any saving element) where the payment of agreed amount is assured on the happening of death of the life assured or on happening of insured health related contingency within the term of the policy.

47. **Revival** of a policy means restoration of the policy, which was discontinued due to the non-

47. **पुनर्चलन** प्रीमियम की गैर-अदायगी के कारण बंद की गई पॉलिसी के पुनर्चलन का अर्थ है बीमित व्यक्ति की निरंतर बीमायोग्यता के विषय में संतुष्ट होकर, पॉलिसी के नियम/ शर्तों के अनुसार सभी देय प्रीमियम तथा अन्य प्रभार/विलंब शुल्क, यदि कोई हो, लेकर जोखिमांकन निर्णय बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी दस्तावेज में उल्लेखित सभी हितलाभों के साथ राइडर हितलाभों, यदि कोई हो, के साथ या वगैर, पॉलिसी को फिर से बहाल करना।
48. **पुनर्चलन अवधि** पहली अदत्त प्रीमियम की तारीख से पांच निरंतर पूर्ण वर्ष की वह अवधि है जिसके दौरान पॉलिसीधारक को उस पॉलिसी को पुनर्चलित कराने का अधिकार होगा, जो प्रीमियम अदा न करने के कारण बंद कर दी गई थी।
49. **राइडर** का अर्थ है अतिरिक्त प्रीमियम या शुल्क पर मूल पॉलिसी में जोड़ी गई बीमा सुरक्षा।
50. **राइडर हितलाभ** का अर्थ है राइडर के अंतर्गत किसी बीमा-रक्षित निर्दिष्ट घटना के घटित होने पर देय हितलाभ की राशि, और यह मूल पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाले हितलाभ के अतिरिक्त होती है।
51. **राइडर प्रीमियम**, वह प्रीमियम है जो पॉलिसीधारक द्वारा मूल पॉलिसी के प्रीमियम के साथ-साथ, राइडर के अंतर्गत चुने गए किसी अतिरिक्त सुरक्षा/ हितलाभ के लिए देय है।
52. **राइडर बीमा राशि** वह निश्चित धनराशि है जो चुनी गई राइडर के अंतर्गत निर्दिष्ट घटना होने पर देय होती है।
53. **बचत उत्पादों** से तात्पर्य विशुद्ध जोखिम उत्पादों के अलावा अन्य उत्पादों से है।
54. **अनुसूची** पॉलिसी दस्तावेज का वह भाग है जिसमें आपकी पॉलिसी के विशेष विवरण हैं।
55. **साधारण प्रत्यावर्ती बोनस**, वह अधिशेष/लाभ है जो निगम द्वारा भागीदार पॉलिसियों के अनुभव के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में घोषित किया जाता है और जिसको पॉलिसी में विनिर्दिष्ट नियम और शर्तों के अनुसार पॉलिसी के हितलाभों में जोड़ दिया जाता है।
56. **निपटान विकल्प** इस पॉलिसी के भाग 'डी' की शर्त 9 में विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अंतर्गत वह विकल्प है, जिसमें पॉलिसी हितलाभ एकमुश्त प्राप्त करने के बजाय, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई समय अवधि के दौरान किश्तों में प्राप्त किए जाते हैं।
57. **मृत्यु पर बीमा राशि**, इस पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार, बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर देय निश्चित राशि वाला हितलाभ है, जैसा कि इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग सी की शर्त 1ए में बताया गया है।
58. **परिपक्वता पर बीमा राशि** लाभ की वह निश्चित राशि है जो पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार, पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर, यानी पॉलिसी की परिपक्वता पर देय होनी निश्चित है।
59. **अभ्यर्पण** का अर्थ है संपूर्ण पॉलिसी अनुबंध को वापस लेना या समाप्त करना।

payment of premium, by the insurer with all the benefits mentioned in the Policy Document, with or without rider benefits if any, upon the receipt of all the premiums due and other charges or late fee, if any, during the revival period, as per the terms and conditions of the policy, upon being satisfied as to the Continued Insurability of the Life Assured.

48. **Revival Period** means the period of five consecutive complete years from the date of first unpaid premium, during which period the policyholder is entitled to revive the policy which was discontinued due to the non-payment of premium.
49. **Rider** means the insurance cover(s) added to a base policy for additional premium or charge.
50. **Rider Benefits** means an amount of benefit payable on occurrence of a specified event covered under the Rider, and is an additional benefit to the benefit under Base Policy.
51. **Rider Premium** is the premium payable by the policyholder along with the premium under Base Policy towards the additional cover/benefit opted under the rider, if opted.
52. **Rider Sum Assured** is the assured amount payable on happening of a specified event covered under the rider, if opted.
53. **Savings Products** means those products other than Pure Risk Products.
54. **Schedule** is the part of policy document that gives the specific details of your policy.
55. **Simple Reversionary Bonus** is the surplus/profit declared at the end of each financial year by the Corporation based on the Corporation's experience to the Participating policies and added to the benefits under the policy as per terms and conditions as specified in the policy document.
56. **Settlement Option:** Settlement Option, as specified in Condition 9 of Part D of this Policy Document, is an option available under this Policy, to receive Maturity Benefit in instalments instead of lumpsum amount over a period chosen by the Policyholder/Life Assured.
57. **Sum Assured on Death** means an absolute amount of benefit which is guaranteed to become payable on death of life assured in accordance with the terms and conditions of the policy as mentioned in Condition 1A of Part C of the Policy Document.
58. **Sum Assured on Maturity** means an absolute amount of benefit which is guaranteed to become payable at the end of the policy term i.e. on maturity of the policy, in accordance with the terms and conditions of the policy.
59. **Surrender** means complete withdrawal or termination of the entire policy contract.

60. **अभ्यर्पण मूल्य** का अर्थ उस राशि से है जो इस पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार, इसकी अवधि के दौरान किसी पॉलिसी के अभ्यर्पण पर देय होती है।
61. **सारणीबद्ध प्रीमियम**, किसी छूट या अतिरिक्त लोडिंग के आवेदन के बिना बीमित व्यक्ति की आयु के आधार पर चयनित मूल बीमित राशि के लिए प्रीमियम है।
62. **कुल भुगतान** की गई प्रीमियम का मतलब है मूल उत्पाद के अंतर्गत चुकाई गई सभी प्रीमियमों का योग, जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम और कर शामिल नहीं है, अगर इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया हो।
63. **जोखिमांकन** वह पारिभाषिक शब्द है, जिसका प्रयोग जोखिम का निर्धारण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सुरक्षा की लागत संबंधित व्यक्ति द्वारा उठाए गए जोखिम के समानुपाती है। जोखिमांकन के आधार पर, जोखिम को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का तथा उचित प्रीमियम या संशोधित शर्तों, यदि कोई हों, की प्रयोज्यता पर निर्णय लिया जाता है।
64. **यूआईएन** का अर्थ है आईआरडीआई द्वारा इस योजना को आवंटित अनन्य पहचान संख्या।
65. **निहित बोनस** साधारण प्रत्यावर्ती बोनस है, यदि कोई हो, जो पहले ही घोषित किया जा चुका है और निगम द्वारा मूल्यांकन परिणाम घोषित किए जाने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार पॉलिसी से संबद्ध रहता है।

भाग - 'सी': हितलाभ

1. एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ देय हैं:

ए. मृत्यु हितलाभ:

- पॉलिसी अवधि के दौरान यानी निर्धारित परिपक्वता दिनांक से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर:

मृत्यु हितलाभ "मृत्यु पर बीमित राशि" के साथ-साथ निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि हो, होगा; जहां "मृत्यु पर बीमित राशि" मूल बीमित राशि के 125% या वार्षिक प्रीमियम के 7 गुना में से जो भी अधिक हो, होगी।

यह मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि तक दिए गए कुल प्रीमियम का भुगतान 105% से कम नहीं होगा।

मृत्यु हितलाभ का भुगतान नामितियों को पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति के चयन के अनुसार ऊपर विनिर्दिष्ट तरीके से और/अथवा किशतों में किया जाएगा जैसा कि, इस पॉलिसी के भाग 'डी' की शर्त 8 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

- बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, पॉलिसी अवधि की समाप्ति के बाद यानी परिपक्वता के निर्धारित दिनांक से: मृत्यु हितलाभ मूल बीमित राशि होगी।

बी. परिपक्वता हितलाभ:

तक बीमित व्यक्ति के निर्धारित परिपक्वता दिनांक तक जीवित रहने पर, "परिपक्वता पर बीमित राशि" के साथ-साथ

60. **Surrender Value** means an amount, if any, that becomes payable on surrender of a policy during its term in accordance with the terms and conditions of the policy.

61. **Tabular Premium** is the premium for the chosen Basic Sum Assured on the age of the Life Assured without application of any rebate or extra loading.

62. **Total Premiums paid** means the total of all the premiums paid under the base product, excluding any extra premium and taxes, if collected explicitly.

63. **Underwriting** is the term used to describe the process of assessing risk and ensuring that the cost of the cover is proportionate to the risks faced by the individual concerned. Based on underwriting, a decision on acceptance or rejection of cover as well as applicability of suitable premium or modified terms, if any, is taken.

64. **UIN** means the Unique Identification Number allotted to this plan by the IRDAI.

65. **Vested Bonus** is the simple reversionary bonus, if any, which has already been declared and remains attached to the policy in accordance with the terms and conditions under which the valuation results are declared by the Corporation.

PART- C: BENEFITS

1. The following benefits are payable under an in-force policy:

A. Death Benefit:

- On death of the Life Assured during the Policy Term i.e. before the stipulated Date of Maturity:

Death benefit shall be "Sum Assured on Death" along with vested Simple Reversionary Bonuses and Final Additional Bonus, if any; where "Sum Assured on Death" shall be higher of 125% of Basic Sum Assured or 7 times of Annualized Premium.

This Death Benefit shall not be less than 105% of the total premiums paid upto the date of death.

The Death Benefit shall be paid in lumpsum as specified above and/or in instalments, as specified in Condition 8 of Part D of this Policy Document, as per the option exercised by the Life Assured.

- On death of the Life Assured after expiry of the Policy Term i.e. from the stipulated Date of Maturity: Death benefit shall be Basic Sum Assured.

B. Maturity Benefit:

On Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity, "Sum Assured on Maturity" along with vested Simple Reversionary Bonuses and Final Additional Bonus, if any, shall be payable; where "Sum Assured on Maturity" is equal to Basic Sum Assured.

निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, देय होगा; जहाँ परिपक्वता पर बीमित राशि मूल बीमित राशि के बराबर है।

बीमित व्यक्ति के पास के इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग डी की शर्त 9 में दिए अनुसार ऊपर निर्दिष्ट और/या किस्तों में (निपटारा विकल्प) एकमुश्त रूप में परिपक्वता हितलाभ प्राप्त करने का विकल्प होगा।

2. राइडर हितलाभ:

अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नलिखित तीन वैकल्पिक राइडर (या इनके संशोधित संस्करण) उपलब्ध होंगे:

ए. एल. आई. सी. का दुर्घटनागत मृत्यु एवं अपंगता हितलाभ राइडर

बी. एल. आई. सी. का नया टर्म एश्योरेंस राइडर

सी. एल. आई. सी. का दुर्घटना हितलाभ राइडर

तथापि, योग्य बीमित व्यक्ति, एल. आई. सी. की दुर्घटनागत मृत्यु एवं अपंगता राइडर और एल. आई. सी. की दुर्घटना हितलाभ राइडर में से एक का ही चयन कर सकता है। इसीलिए इस पॉलिसी के अंतर्गत अधिकतम दो राइडर्स लिए जा सकते हैं।

एलआईसी का दुर्घटनावश मृत्यु एवं विकलांगता हितलाभ राइडर/एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर: एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत इनमें से किसी भी राइडर को मूल पॉलिसी की अवधि के भीतर किसी भी समय चुना जा सकता है, बशर्ते कि मूल पॉलिसी के साथ-साथ राइडर की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम पांच वर्ष हो, लेकिन पॉलिसी की वर्षगांठ से पहले, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन की आयु 65 वर्ष है।

एलआईसी का नया टर्म एश्योरेंस राइडर: यह राइडर अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर पॉलिसी के प्रारंभ में उपलब्ध है।

यदि राइडरों का चयन किया जाता है तो उनकी शर्तें इस पॉलिसी के पृष्ठांकन के रूप में संलग्न हैं।

3. लाभ में प्रतिभागी:

पॉलिसी निगम के हितलाभ में प्रतिभागी होगी तथा पॉलिसी अवधि के दौरान निगम के अनुभव के अनुसार घोषित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस प्राप्त करने हेतु पात्र होगी, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो।

यदि प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी भावी हितलाभ में भाग लेना बंद कर देगी, भले ही पॉलिसी ने चुकता मूल्य प्राप्त किया हो या न किया हो।

सरल प्रत्यावर्ती बोनस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वार्षिक रूप से घोषित किया जाएगा। एक बार घोषित होने के बाद, वे निगम द्वारा घोषित शर्तों पर योजना के गारंटीकृत हितलाभ का हिस्सा बन जाते हैं।

पॉलिसी के अभ्यर्पण की स्थिति में, अभ्यर्पण की तारीख पर लागू निहित बोनसों का अभ्यर्पण मूल्य, इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग 'डी' की शर्त 4 के विनिर्देश के अनुसार देय होगा।

The Life Assured shall have an option to receive the Maturity benefit in lumpsum as specified above and/or in instalments (Settlement Option), as specified in Condition 9 of Part D of this Policy Document.

2. Rider Benefits:

The following three rider(s) (or amended versions of these) shall be available on payment of additional premium:

A. LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider

B. LIC's New Term Assurance Rider

C. LIC's Accident Benefit Rider

However, the eligible Life Assured can opt between either of the LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider or LIC's Accident Benefit Rider. Therefore, a maximum of two riders can be availed under this policy.

LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider/LIC's Accident Benefit Rider: Under an in-force policy either of these riders can be opted for at any time within the policy term of the Base Policy provided, the outstanding premium paying term of the Base Policy as well as the rider is at least five years but before the policy anniversary on which the age nearer birthday of the Life Assured is 65 years.

LIC's New Term Assurance Rider: This rider is available only at the inception of the policy on payment of additional premium.

Conditions of rider(s), if opted, are enclosed as endorsement to this policy.

3. Participation in profits:

The policy shall participate in profits of the Corporation and shall be entitled to receive Simple Reversionary Bonuses declared as per the experience of the Corporation during the Policy term, provided the policy is in-force.

In case the premiums are not duly paid, the policy shall cease to participate in future profits irrespective of whether or not the policy has acquired paid-up value.

Simple Reversionary Bonuses shall be declared annually at the end of each financial year. Once declared, they form part of the guaranteed benefits of the plan on such terms and conditions as declared by the Corporation.

In the event of policy being surrendered, the surrender value of vested bonuses, if any, as applicable on the date of surrender, will be payable as specified in Condition 4 of Part D of this Policy Document.

Final Additional Bonus may also be declared under the policy in the year when the policy results into a death claim during the policy term

पॉलिसी के तहत अंतिम अतिरिक्त बोनस उस वर्ष में भी घोषित किया जा सकता है जब पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी मृत्यु का दावे में परिणत होती है या परिपक्वता हितलाभ भुगतान ऐसी दरों पर देय हो, और ऐसी शर्तों पर जैसा कि निगम द्वारा घोषित किया जा सकता है।

चुक्ता पॉलिसियों के अंतर्गत अंतिम अतिरिक्त बोनस देय नहीं होगा। एक्ज्यूरियल जांच से प्राप्त अधिशेष में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन एलआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार होगा।

4. प्रीमियमों का भुगतान:

- ए. इस पॉलिसी दस्तावेज की अनुसूची के विनिर्देश के अनुसार, पॉलिसीधारक को समय-समय पर लागू करें सहित, प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
- बी. जिस चालू पॉलिसी के अंतर्गत, मृत्यु की तारीख तक देय सभी प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया है और जिसमें प्रीमियम भुगतान का प्रणाली वार्षिक के अलावा है, उसके अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, मृत्यु की तारीख से अगली पॉलिसी वर्षगांठ तक कोई प्रीमियम यदि शेष होगा, तो वह दावा राशि में से काट लिया जाएगा।

निगम ऐसा कोई नोटिस जारी करने के लिए बाध्य नहीं है कि प्रीमियम अथवा राशि देय हो गई है।

5. अनुग्रह अवधि:

वार्षिक या अर्ध-वार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियमों के भुगतान के लिए पहले अदत्त प्रीमियम की तारीख से 30 दिन और मासिक प्रीमियमों के भुगतान के लिए 15 दिन की अनुग्रह अवधि की अनुमति दी जाएगी। यदि अनुग्रह के दिन समाप्त होने से पूर्व प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी।

यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु अनुग्रह-अवधि के दौरान किंतु देय प्रीमियम अदा करने से पूर्व हो जाती है तो पॉलिसी तब भी वैध रहेगी और उपर्युक्त अदत्त प्रीमियम तथा मृत्यु की तारीख से अगली पॉलिसी वर्षगांठ तक देय प्रीमियम के साथ किसी शेष प्रीमियमों की राशि काटकर, हितलाभों का भुगतान किया जाएगा।

उपर्युक्त अनुग्रह अवधि उन राइडर प्रीमियमों पर भी लागू होगी, जो मूल बीमा पॉलिसी प्रीमियम के साथ ही देय होते हैं।

भाग - 'डी' : सेवा पक्ष से संबंधित शर्तें

1. आयु का प्रमाण:

मूल पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियम और वैकल्पिक राइडरों के लिए प्रीमियम की गणना प्रस्ताव प्रपत्र में घोषित बीमित व्यक्ति की आयु के आधार पर की गई है।

यदि प्रस्ताव प्रपत्र में बीमित व्यक्ति की आयु गलत बताई गई है और सही आयु उससे अलग (अधिक या कम) पाई जाती है, तो समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938

or due for the maturity benefit payment at such rates and on such terms as may be declared by the Corporation.

Final Additional Bonus shall not be payable under paid up policies. The actual allocation to policyholders, out of the surplus emerging from the actuarial investigation, shall be in accordance with provisions in this regard under LIC Act, 1956.

4. Payment of Premiums:

- (a) The policyholder has to pay the Premium on the due dates as specified in the Schedule of this Policy Document along with applicable taxes, if any, from time to time.
- (b) In case of death of Life Assured under an in-force policy wherein all the premiums due till the date of death have been paid and where the mode of payment of premium is other than yearly, balance premium(s), if any, falling due from the date of death and before the next policy anniversary shall be deducted from the claim amount.

The Corporation does not have any obligation to issue a notice that premium is due or for the amount that is due.

5. Grace Period

A grace period of 30 days shall be allowed for payment of yearly or half yearly or quarterly premiums and 15 days for monthly premiums from the date of First unpaid premium. If the premium is not paid before the expiry of the days of grace, the Policy lapses.

If the death of the Life Assured occurs within the grace period but before the payment of the premium then due, the policy will still be valid and the benefit shall be paid after deductions of the said unpaid premium as also the balance premium(s), if any, falling due from the date of death and before the next policy anniversary.

The above grace period will also apply to rider premiums which are payable along with premium for Base Policy.

PART - D: CONDITIONS RELATED TO SERVICING ASPECTS

1. Proof of Age:

The Premium payable under the Base Policy and Premium for Optional Riders have been calculated on the age of the Life Assured as declared in the Proposal Form.

In case, the age of Life Assured is mis-stated in the Proposal Form and correct age is found to be different (higher or lower) than such age, without prejudice to the Corporation's other rights and remedies, including the provisions under Insurance Act, 1938, as amended from time to time, Corporation shall check the eligibility of Life

के प्रावधानों सहित निगम के अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम द्वारा पॉलिसी शुरू होने की तिथि पर सही आयु के आधार पर बीमित व्यक्ति की पात्रता की जांच की जाएगी और निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी:

यदि बीमित व्यक्ति मूल पॉलिसी और चुने गए राइडर (यदि कोई हो) के लिए पात्र रहता/रहती है:

तत्कालीन विद्यमान जोखिमांकन मानदंडों के अधीन, मूल पॉलिसी और राइडर (यदि कोई हो) के लिए सही आयु के लिए क्रमशः मूल बीमा राशि और राइडर (यदि कोई हो) बीमा राशि के आधार पर प्रीमियम की फिर से गणना की जाएगी और पॉलिसीधारक द्वारा मूल पॉलिसी और राइडर (यदि कोई हो) के अंतर्गत संशोधित प्रीमियम (यदि कोई हो) का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, मूल पॉलिसी/राइडर के प्रारंभ होने से लेकर संशोधित प्रीमियम के भुगतान की तिथि तक सही आयु के लिए प्रीमियम और मूल प्रीमियम के बीच संचित अंतर समय-समय पर निगम द्वारा यथा निर्धारित दर पर ब्याज सहित निगम को भुगतान किया जाएगा। यदि भुगतान नहीं किया जाएगा तो कोई भी बकाया प्रीमियम और/या ब्याज पॉलिसी के अंतर्गत देय किसी भी दावे की आय से वसूल की जाएगी।

यदि सही आयु घोषित आयु से कम पाई जाती है, तो मूल पॉलिसी और राइडर (यदि कोई हो) के लिए ली गई अतिरिक्त प्रीमियम बिना ब्याज के वापस लौटा दी जाएगी।

यदि बीमित व्यक्ति मूल पॉलिसी के लिए अपात्र है:

मूल पॉलिसी के साथ-साथ चुना गया राइडर/चुने गए राइडर को रद्द कर दिया जाएगा और मूल पॉलिसी और राइडर के प्रति भुगतान की गई प्रीमियम, यदि कोई हो, बिना ब्याज के वापस लौटा दी जाएगी, जो बीमा सुरक्षा की अवधि के लिए पॉलिसी के अंतर्गत वहन की गई आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल पॉलिसी और राइडर, यदि कोई हो, के लिए), लागू करों और चिकित्सीय जाँच, विशेष रिपोर्टों, यदि कोई हो, के लिए शुल्कों और स्टाम्प शुल्क जैसे सभी लागू व्ययों की कटौती की अधीन होगी। उक्त भुगतान पर पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

यदि बीमित व्यक्ति मूल पॉलिसी के लिए पात्र है, लेकिन चुने गए किसी भी राइडर के लिए अपात्र है:

ऐसे राइडर को रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे राइडर के संबंध में भुगतान की गई प्रीमियम बिना ब्याज के वापस लौटा दी जाएगी, जो बीमा सुरक्षा की अवधि के लिए राइडर के संबंध में वहन की गई आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल पॉलिसी और राइडर, यदि कोई हो, के लिए), लागू करों और चिकित्सीय जाँच, विशेष रिपोर्टों, यदि कोई हो, के लिए शुल्कों और स्टाम्प शुल्क जैसे सभी लागू व्ययों की कटौती की अधीन होगी। उक्त भुगतान पर संबंधित राइडर समाप्त हो जाएगा। हालांकि, मूल पॉलिसी परिवर्तित शर्तों के साथ जारी रहेगी।

2. जब्ती और गैर-जब्ती विनियम:

जब्ती विनियम:

- सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसियों के मामले में, यदि इस पॉलिसी के लिए एक पूर्ण वर्ष से कम का/के प्रीमियम अदा

Assured based on the correct age as on the date of commencement of policy and the following action shall be taken:

If the Life Assured remains eligible for Base Policy and Rider(s) opted, if any:

Subject to the then existing underwriting norms, the premium for the Base Policy and Rider(s) opted, if any, shall be recalculated on the Basic Sum Assured and Rider(s) Sum Assured respectively for the correct age and the revised premium(s) shall be payable by the policyholder under the Base Policy and Rider(s). Further, accumulated difference between the premiums for the correct age and the original premiums, from the commencement of the Base Policy / Rider upto the date of payment of revised premium shall be paid to the Corporation with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time. Any outstanding premium and/or interest, if unpaid the same shall be recoverable from any claim proceeds payable under the policy.

If the correct age is found to be lower than the declared age, excess Premium for Base Policy and Rider(s) premium collected shall be refunded without interest.

If the Life Assured is ineligible for Base Policy:

Base Policy along with opted Rider(s) shall be cancelled and the Premiums paid towards Base Policy and Rider(s), if any, shall be refunded without interest subject to deduction of all applicable expenses like proportionate risk premium (for Base Policy and Rider(s), if any) for the period of cover, applicable taxes and charges for medical examination, special reports, if any and stamp duty, incurred under the policy. The policy shall terminate on said payment.

If Life Assured is eligible for Base Policy but ineligible for any of the opted Riders:

Such Rider(s) shall be cancelled and the Premiums paid in respect of such Rider(s) shall be refunded without interest, subject to deduction of all applicable expenses like proportionate risk premium for Rider(s) for the period of cover, applicable taxes and charges for medical examination, special reports, if any and stamp duty, incurred in respect of the Rider(s). The respective Rider(s) shall terminate on said payment. However, the Base Policy shall continue with the altered terms.

2. Forfeiture and Non-forfeiture Regulations:

Forfeiture Regulations:

- If less than one full year's premium(s) has been paid in respect of this policy and any subsequent premium be not duly paid, all the benefits under this policy shall cease after the expiry of grace period from the date of first unpaid premium and nothing shall be payable, and the premiums paid thitherto are also not refundable.

किया गया है / गए हैं, और उसके बाद देय कोई प्रीमियम अदा नहीं किया गया है तो छूट की अवधि समाप्त होने के पश्चात पहले अदत्त प्रीमियम की तारीख से सभी हितलाभ समाप्त हो जाएंगे और कुछ भी देय नहीं होगा तथा तब तक अदा किए गए प्रीमियम भी वापसी योग्य नहीं होंगे।

- ii) कुछ अन्य स्थितियों में जब्ती: यदि यहां निहित अथवा पृष्ठांकित किसी शर्त का उल्लंघन होता है अथवा यदि ऐसा पाया जाता है कि प्रस्ताव पत्र में, व्यक्तिगत बयान/कथन में, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य अथवा गलत बयान निहित है या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गई है तो तब और ऐसे प्रत्येक मामले में यह पॉलिसी भंग हो जाएगी और इस कारण से, किसी भी हितलाभ के दावों पर, समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे।

गैर-जब्ती विनियम:

यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किया गया है और किसी भी बाद के प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पहला पॉलिसी वर्ष पूरा होने पर, यह पॉलिसी पूरी तरह से शून्य नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि के अंत तक चुकता पॉलिसी के रूप में बनी रहेगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत

मृत्यु पर बीमा राशि को ऐसी राशि तक कम कर दिया जाएगा, जिसे 'मृत्यु चुकता बीमा राशि' कहा जाता है और यह कुल अवधि के अनुपात से गुणा किए गए मृत्यु पर बीमा राशि के बराबर होगी, जिसके लिए प्रीमियम का पहले ही भुगतान किया जा चुका है, और वह उस अधिकतम अवधि के अनुपात से प्राप्त होगी, जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थी। चुकता पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर देय मृत्यु लाभ, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, के साथ मृत्यु चुकता बीमा राशि होगा। यह मृत्यु लाभ, मृत्यु की तिथि तक भुगतान किए गए कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत यह परिपक्वता पर बीमा राशि को ऐसी राशि तक कम कर दिया जाएगा जिसे 'परिपक्वता चुकता बीमा राशि' कहा जाता है और यह कुल अवधि के अनुपात से गुणा किए गए परिपक्वता पर बीमा राशि के बराबर होगा, जिसके लिए प्रीमियम का पहले ही भुगतान किया जा चुका है, और वह उस अधिकतम अवधि के अनुपात से प्राप्त होगी, जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थी। चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता लाभ, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, के साथ परिपक्वता चुकता बीमा राशि होगा।

पॉलिसी अवधि की समाप्ति के बाद:

पॉलिसी अवधि की समाप्ति के बाद बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर केवल चुकता बीमा राशि देय होगी। चुकता बीमा राशि मूल बीमा राशि गुणित वह कुल अवधि, जिसके लिए प्रीमियम पहले से भुगतान की गई हैं और वह अधिकतम अवधि, जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थी, के अनुपात के गुणनफल के बराबर होगी।

- ii) Forfeiture in Certain Other Events: In case any condition herein contained or endorsed hereon be contravened or in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained in the proposal, personal statement, declaration and connected documents or any material information is withheld, then and in every such case this policy shall be void and all claims to any benefit in virtue of this policy shall be subject to the provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time.

Non-forfeiture Regulations:

If, after atleast one full year's premium(s) has been paid and any subsequent premiums be not duly paid, on completion of first policy year, this policy shall not be wholly void, but shall subsist as a paid-up policy.

During the Policy Term:

The "Sum Assured on Death" under the paid-up policy shall be reduced to such a sum, called "Death Paid-up Sum Assured" and shall be equal to Sum Assured on Death multiplied by the ratio of total period for which premiums have already been paid bears to the maximum period for which premium were originally payable. The Death Benefit payable under the paid-up policy, on death of the Life Assured during the policy term, shall be Death Paid-Up Sum Assured along with vested simple reversionary bonuses, if any. This Death benefit, shall not be less than 105% of total premiums paid upto the date of death.

This "Sum Assured on Maturity" under the paid-up policy shall be reduced to such a sum called "Maturity Paid-Up Sum Assured" and shall be equal to Sum Assured on Maturity multiplied by the ratio of total period for which premiums have already been paid bears to the maximum period for which premium were originally payable. The Maturity Benefit payable under the paid-up policy, on the expiry of the policy term, shall be Maturity Paid-Up Sum Assured along with vested simple reversionary bonuses, if any.

After the expiry of Policy Term:

On death of the Life Assured after expiry of the policy term only Paid-up Sum Assured shall be payable. Paid-up Sum Assured shall be equal to Basic Sum Assured multiplied by the ratio of the total period for which premiums have already been paid bears to the maximum period for which premiums were originally payable.

A paid-up policy shall not be entitled to participate in future profits. However, the vested simple reversionary bonuses, if any, shall remain attached to the paid up policy.

Notwithstanding what is stated above, if atleast 3 full years' premiums have been paid

चुकता पॉलिसी को भावी लाभों में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी। तथापि, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, चुकता पॉलिसी से संलग्न रहेगा।

ऊपर चाहे कुछ भी उल्लेख किया गया हो, यदि इस पॉलिसी के संबंध में कम से कम 3 पूर्ण वर्षों के प्रीमियम का भुगतान हो गया है और उसके बाद के प्रीमियमों का विधिवत् भुगतान नहीं किया गया है तो पहले अदत्त प्रीमियम की देय तारीख से 6 माह के अंदर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में (ए) मूल बीमा पॉलिसी के लिए मृत्यु की तारीख तक ऐसी अवधि के लिए पॉलिसी के पुनर्चलन के समान शर्तों पर, ब्याज सहित अदत्त प्रीमियम; और (बी) मृत्यु की तारीख से और अगली पॉलिसी वर्षगांठ से पूर्व मूल पॉलिसी पर देय होने वाले प्रीमियमों को काटकर "मृत्यु पर बीमा राशि" का भुगतान, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अतिरिक्त बोनस (यदि कोई हो) के साथ किया जाएगा। यह प्रावधान आत्महत्या से हुई मृत्यु की स्थिति में लागू नहीं होगा।

ऊपर चाहे कुछ भी उल्लेख किया गया हो, यदि इस पॉलिसी के संबंध में कम से कम पांच पूर्ण वर्षों के प्रीमियम का भुगतान हो गया है और उसके बाद के प्रीमियमों का विधिवत् भुगतान नहीं किया गया है तो पहले अदत्त प्रीमियम की देय तारीख से 12 माह के अंदर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में (ए) मूल बीमा पॉलिसी के लिए मृत्यु की तारीख तक ऐसी अवधि के लिए पॉलिसी के पुनर्चलन के समान शर्तों पर, ब्याज सहित अदत्त प्रीमियम; और (बी) मृत्यु की तारीख से और अगली पॉलिसी वर्षगांठ से पूर्व मूल पॉलिसी पर देय होने वाले प्रीमियमों को काटकर "मृत्यु पर बीमा राशि" का भुगतान, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अतिरिक्त बोनस (यदि कोई हो) के साथ किया जाएगा। यह प्रावधान आत्महत्या से हुई मृत्यु की स्थिति में लागू नहीं होगा।

उपयुक्त गैर-जब्त विनियम अनुवृद्धियों पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि अनुवृद्धियां कोई प्रदत्त मूल्य अर्जित नहीं करती।

यदि पॉलिसी कालातीत अवस्था में है तो अनुवृद्धियां लागू नहीं रहती।

3. कालातीत पॉलिसियों

का पुनर्चलन: छूट की अवधि के अंदर देय प्रीमियम का भुगतान न किए जाने पर बीमा पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। कालातीत अवस्था वाली पॉलिसी को बीमित व्यक्ति के जीवनकाल में किंतु, यथास्थिति, पुनर्चलन अवधि के दौरान परिपक्वता की तारीख से पहले पुनर्चलित किया जा सकता है। प्रीमियमों की सारी बकाया राशियों का भुगतान, समय-समय पर निगम द्वारा तय ब्याज दर पर ब्याज सहित (अर्ध-वार्षिक संयोजन के साथ) करने पर और पॉलिसीधारक/ बीमित व्यक्ति/ प्रस्तावक द्वारा, पुनर्चलन के समय निगम की जोखिमांकन नीति के अनुसार पहले से उपलब्ध सूचना, दस्तावेजों और रिपोर्टों के आधार पर और इस विषय में मांगी गई किसी अतिरिक्त सूचना के आधार पर बीमित व्यक्ति और/अथवा प्रस्तावक (यदि जीवन बीमा निगम की प्रीमियम छूट हितलाभ राइडर चुनी गई है) की निरंतर बीमायोग्यता के विषय में संतुष्ट होने पर, पुनर्चलन लागू किया जाएगा।

तथापि, किसी बंद पॉलिसी के पुनर्चलन को मूल शर्तों पर

in respect of this policy, and any subsequent premium be not duly paid, in the event of the death of the Life Assured within six months from the due date of first unpaid premium, 'Sum Assured on Death' along with vested simple reversionary bonuses and final additional bonus, if any, shall be paid after deduction of (a) the unpaid premium(s) for the Base Policy with interest thereon upto the date of death, on the same terms as for revival of the Policy during such period, and (b) the balance premium(s) for the Base Policy falling due from the date of death and before the next Policy anniversary. This provision shall not apply in case of death due to suicide.

Notwithstanding what is stated above, if at least five full years' premiums have been paid in respect of this policy, and any subsequent premium be not duly paid, in the event of death of the Life Assured within 12 months from the due date of first unpaid premium, 'Sum Assured on Death' along with vested simple reversionary bonuses and final additional bonus, if any, shall be paid after deduction of (a) the unpaid premium(s) for the Base Policy with interest thereon upto the date of death, on the same terms as for revival of the Policy during such period, and (b) the balance premium(s) for the Base Policy falling due from the date of death and before the next Policy anniversary. This provision shall not apply in case of death due to suicide.

All of the above mentioned Non-forfeiture Regulations do not apply to Riders as the Riders do not acquire any paid up value.

The Riders Benefits ceases to apply, if the policy is in lapsed condition.

3. Revival of lapsed Policies

An Insurance Policy would lapse on non-payment of due premium within the days of grace. A policy in lapsed condition may be revived during the life time of the Life Assured, but within the Revival Period and before the Date of Maturity, as the case may be. The revival shall be effected on payment of all the arrears of premium(s) together with interest (compounding half yearly) at such rate as may be fixed by the Corporation from time to time and on satisfaction of Continued Insurability of the Life Assured on the basis of information, documents and reports that are already available and any additional information in this regard if and as may be required in accordance with the Underwriting Policy of the Corporation at the time of revival, being furnished by the Policyholder/ Life Assured/Proposer.

The Corporation, however, reserves the right to accept at original terms, accept with modified terms or decline the revival of a discontinued policy. The revival of the discontinued policy shall take effect only after the same is approved, accepted and revival receipt is issued by the Corporation.

स्वीकार करने संशोधित शर्तों पर स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है। समाप्त पॉलिसी का पुनर्चलन तभी लागू होगा जब निगम इसका अनुमोदन कर देगा, इसे स्वीकार करेगा और पुनर्चलन रसीद जारी कर दी जाएगी।

1. यई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए इस उत्पाद के अंतर्गत पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल प्रति वर्ष है जिसमें अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगी प्लस 3% या निगम की असंबद्ध असहभागी निधि पर अर्जित प्रतिफल प्लस 1%, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से शुरू होकर 30 अप्रैल, 2025 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के लिए, लागू ब्याज दर 9.50% प्रति वर्ष होगी जिसमें अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगी। पॉलिसी के पुनर्चलन के लिए ब्याज दर के निर्धारण के आधार में परिवर्तन किया जा सकता है।

यदि राइडर (रें) का चयन किया गया है तो उसके/उनके पुनर्चलन पर मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही विचार किया जाएगा, अलग से नहीं।

4. अभ्यर्पण:

पॉलिसीधारक द्वारा पहला पॉलिसी वर्ष पूरा होने के बाद पॉलिसी अभ्यर्पित की जा सकती है बशर्ते एक पूर्ण वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। हालाँकि, कम से कम दो पूर्ण वर्षों के प्रीमियम के भुगतान पर पॉलिसी गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त कर लेगी और पहला पॉलिसी वर्ष पूरा होने के बाद विशेष अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त कर लेगी, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। चालू या चुकता पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम द्वारा गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य और विशेष अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक हो, उसके बराबर अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

पॉलिसी अवधि के दौरान देय गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य, अदा किए गए कुल प्रीमियमों (किसी अतिरिक्त प्रीमियम, राइडर्स के लिए किन्हीं प्रीमियमों, यदि चुना गया हो और अतिरिक्त कर, यदि स्पष्ट रूप से संग्रहित किया गया हो, को छोड़ कर) को, पॉलिसी के अंतर्गत अदा किए गए कुल प्रीमियमों पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य गुणक से गुणा कर के प्राप्त राशि के बराबर होगा। प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त यह गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य गुणक पॉलिसी अवधि और पॉलिसी अभ्यर्पित करने के पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करते हैं, जो इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट-4 में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, यदि निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस की कोई राशि है तो वह भी देय होगी जो कि निहित बोनस को, निहित बोनस पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य गुणक से गुणा करके आयी राशि के समान होगा। यह गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य गुणक पॉलिसी अवधि पर और पॉलिसी अभ्यर्पण करने के वर्ष पर निर्भर होंगे और यह इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट - 5 में दिए गए हैं।

परिपक्वता हितलाभ अदा करने के बाद गारंटीशुदा अभ्यर्पण मूल्य लागू नहीं होता है यानी पॉलिसी अवधि समाप्त होने के बाद।

विशेष अभ्यर्पण मूल्य का निर्धारण और समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई के प्रधान परिपत्र, संदर्भ: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एमएसटीसीआईआर/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024

The rate of interest applicable for revival under this product for every 12 months' period from 1st May to 30th April shall not exceed 10 year G-Sec yield p.a. compounding half yearly as at the last trading day of previous financial year plus 3% or the yield earned on the Corporation's Non-Linked Participating Fund plus 1%, whichever is higher. For the 12 months' period commencing from 1st May, 2024 to 30th April, 2025, the applicable interest rate shall be 9.50% p.a. compounding half yearly. The basis for determination of interest rate for policy revival is subject to change.

Revival of Rider(s), if opted for, will only be considered along with the revival of the Base policy and not in isolation.

4. Surrender :

The policy can be surrendered by the policyholder after completion of first policy year provided one full year's premium(s) has been paid. However, the policy shall acquire Guaranteed Surrender Value on payment of atleast two full years' premiums and Special Surrender Value after completion of first policy year provided one full year's premium(s) has been paid. On surrender of an in-force or paid-up policy, the Corporation shall pay the Surrender Value equal to higher of Guaranteed Surrender Value and Special Surrender Value.

The Guaranteed Surrender Value payable during the policy term shall be equal to the total premiums paid (excluding any extra premium, any premiums for rider(s), if opted for and taxes if collected explicitly) multiplied by the Guaranteed Surrender Value factor applicable to total premiums paid. These Guaranteed Surrender Value factors expressed as percentages will depend on the policy term and policy year in which the policy is surrendered and are contained in Annexure - 4 of this policy document.

In addition, the surrender value of vested simple reversionary bonuses, if any, shall also be payable, which is equal to vested bonuses multiplied by the Guaranteed Surrender Value factor applicable to vested bonuses. These Guaranteed Surrender Value factors will depend on the policy term and the policy year in which policy is surrendered and are contained in Annexure - 5 of this policy document.

No Guaranteed Surrender Value is applicable after maturity benefit is paid i.e. after expiry of the policy term.

The Special Surrender Value shall be determined and reviewed annually in line with IRDAI Master Circular on Life Insurance Products, Ref: IRDAI/ACTL/MSTCIR/MISC/89/6/2024 dated 12th June, 2024 and any subsequent circulars issued by IRDAI in this regard.

No surrender value will be available on Rider(s), if any.

Upon payment of Surrender Value, the Policy

और इस संबंध में आईआरडीआई द्वारा जारी किन्हीं अनुवर्ती परिपत्रों के अनुसार प्रतिवर्ष की जाएगी।

यदि कोई राइडर (राइडरों) है तो उन पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान पर, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और कोई और हितलाभ देय नहीं होगा।

5. पॉलिसी ऋण:

पॉलिसी अवधि के दौरान, पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य के अंतर्गत निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन पॉलिसी के अंतर्गत ऋण उपलब्ध होगा:

- पहला पॉलिसी वर्ष पूरा होने के बाद ऋण प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते एक पूर्ण वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।
- पॉलिसी अवधि के दौरान समर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में दिया जा सकने वाला अधिकतम ऋण निम्नानुसार होगा:

पॉलिसी की स्थिति	दो पूर्ण वर्ष के प्रीमियम के भुगतान से पहले	दो पूर्ण वर्ष के प्रीमियम के भुगतान के बाद
चालू पॉलिसियों के अंतर्गत	50%	75%
चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत	40%	65%

- पॉलिसी का पूर्ण समनुदेशन निगम के पक्ष में किया जाएगा और निगम पॉलिसी को, ऋण और उसके ब्याज को वापसी के लिए प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखेगा।

- इस पॉलिसी के अंतर्गत ऋण लेते समय निगम द्वारा निर्दिष्ट दर पर निगम को ऋण पर अर्ध-वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए लिए जाने वाले ऋण के लिए पूर्ण ऋण अवधि के लिए लागू ऋण पर ब्याज की दर पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम कारोबारी तिथि के अनुसार अर्ध-वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि वाली दर पर 10 वर्षीय जी-सेक प्रति फल प्रति वर्ष, प्लस 3% या निगम की असंबद्ध, सहभागी निधि पर अर्जित प्रतिफल प्लस 1%, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से शुरू होकर 30 अप्रैल, 2025 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के लिए 9.5% प्रति वर्ष होगी, जिसमें अर्ध-वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगी। पॉलिसी ऋण के लिए ब्याज दर के निर्धारण के आधार में परिवर्तन हो सकता है। ब्याज का पहला भुगतान अगली पॉलिसी वर्षगांठ पर या अगली पॉलिसी वर्षगांठ से छह माह पहले की तिथि को किया जाएगा, जो भी ऋण स्वीकृत होने की तिथि के तुरंत बाद पड़े और उसके बाद हर छमाही किया जाएगा।

- यहां ऊपर उल्लिखित देय तारीखों पर ऋण पर ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में यदि बकाया ऋण और

terminates and no further benefits shall be payable.

5. Policy Loan:

During the Policy Term, loan shall be available under the policy subject to the following terms and conditions, within the surrender value of the policy :

- Loan can be availed after completion of first policy year provided one full year's premium(s) has been paid.
- The maximum Loan that can be granted as a percentage of Surrender value during the policy term shall be as under:

Policy Status	Before payment of two full year's premiums	After payment of two full year's premiums
Under In-force policies	50%	75%
Under Paid-up policies	40%	65%

- The Policy shall be assigned absolutely to and held by the Corporation as security for the repayment of Loan and of the interest thereon;

- Interest on Loan shall be paid on compounding half-yearly basis to the Corporation at the rate to be specified by the Corporation at the time of taking loan under this policy. The rate of loan interest applicable for full loan term, for the loan to be availed under this policy for every 12 months' period from 1st May to 30th April shall not exceed 10year G-Sec yield p.a. compounding half-yearly as at the last trading date of previous financial year plus 3% or the yield earned on the Corporation's Non-Linked, Participating fund plus 1%, whichever is higher. For loan sanctioned during 12 months' period commencing from 1st May, 2024 to 30th April, 2025 the applicable interest rate shall be 9.5% p.a. compounding half-yearly for entire term of the loan. The basis for determination of interest rate for Policy Loan is subject to change. The first payment of interest is to be made on the next Policy anniversary or on the date six months before the next Policy anniversary whichever immediately follows the date on which the Loan is sanctioned and every half year thereafter.

- In the event of default in payment of loan interest on the due dates as herein mentioned above and when the outstanding loan along with interest is to exceed the surrender value, the Corporation would be entitled to foreclose such policies. Such policies when being foreclosed shall be entitled to payment of the difference of surrender value and the loan outstanding amount along with interest, if any.

ब्याज अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाता है तो निगम ऐसी पॉलिसियों का पूर्व-समापन करने का हकदार होगा। पूर्व-समापन की जाने वाली ऐसी पॉलिसियां, अभ्यर्पण मूल्य और ब्याज सहित ऋण की बकाया राशि के अंतर के भुगतान की हकदार होंगी।

(vi) निगम, तीन महीने का नोटिस देकर, ऋण की राशि उस पर देय समस्त ब्याज सहित वसूल करने या वापस मांगने का अधिकारी है।

(vii) यदि पॉलिसी परिपक्व या अभ्यर्पित हो जाती है या मृत्यु के कारण दावे में परिवर्तित हो जाती है तो निगम, पॉलिसी की राशि में से बकाया ऋण की राशि ब्याज सहित काटने का अधिकारी होगा।

6. पॉलिसी का निरस्तीकरण:

निम्नलिखित में से किसी भी घटना के सबसे पहले घटित होने पर पॉलिसी तत्काल और स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगी:

ए) वह तिथि जिस पर एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त/निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्त, जो भी बाद में हो, का भुगतान किया जाता है; या

बी) जिस तारीख पर पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभों का निपटान किया गया हो; या

सी) इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग-‘डी’ की शर्त 5 के उल्लेख के अनुसार ऋण के ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में; या

डी) यदि पॉलिसी का पुनर्चलन नहीं कराया गया है और पॉलिसी को प्रदत्त पॉलिसी में परिवर्तित नहीं किया गया है तो पुनर्चलन अवधि समाप्त

ई) निःशुल्क अवलोकन निरस्तीकरण की राशि का भुगतान हो जाने पर।

एफ) पॉलिसी दस्तावेज के भाग डी के शर्त 2 में विनिर्दिष्ट जब्ती की स्थिति में।

7. निःशुल्क अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के नियम एवं शर्तों से संतुष्ट नहीं है तो पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्त करने की तारीख से 30 दिन की निःशुल्क अवलोकन अवधि के दौरान वह आपत्तियों का कारण बताते हुए पॉलिसी निगम को लौटा सकता है। पॉलिसी प्राप्त होने पर, निगम पॉलिसी को निरस्त कर देगा और सुरक्षा अवधि के लिए समानुपाती जोखिम प्रीमियम (मूल पॉलिसी के लिए और अनुबुद्धि का चयन किया गया है तो उसके लिए), चिकित्सा जांचों (विशेष रिपोर्टें, यदि कोई हों) और स्टॉप शुल्क के प्रभार काटकर जमा किए गए प्रीमियम की राशि लौटा देगा।

(vi) Corporation is entitled to recover or recall the amount of the Loan with all due interest by giving 3 month notice.

(vii) In case the policy shall mature or be surrendered or become a claim by death, the Corporation shall become entitled to deduct the amount of the Loan or any portion thereof which is outstanding, together with all interest from the policy moneys.

6. Termination of Policy:

The policy shall immediately and automatically terminate on the earliest occurrence of any of the following events:

a) The date on which lumpsum Death Benefit/Final instalment of Death Benefit/Final instalment under Settlement Option, whichever is later, is paid; or

b) The date on which surrender benefits are settled under the policy; or

c) In the event of default in payment of loan interest as specified in Condition 5 of Part D of this policy document; or

d) On expiry of Revival Period if the policy, which has not acquired paid up status, has not been revived within the revival period; or

e) On payment of free look cancellation amount; or

f) In the event of forfeiture as specified in Condition 2 of Part D of this Policy Document.

7. Free look period:

During the Free Look period of 30 days from the date of receipt of the electronic or physical mode of Policy Document, whichever is earlier, by the Policyholder, if the Policyholder is not satisfied with the Terms and Conditions of the policy, he/she may return the policy to the Corporation stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the policy and return the amount of premium deposited after deducting the proportionate risk premium (for Base Policy and Rider(s), if opted for) for the period of cover, expense incurred on medical examinations (including special reports, if any) and stamp duty charges.

8. Option to take Death Benefit in instalments:

This is an option to receive Death Benefit in instalments over the chosen period of 5 or 10 or 15 years instead of lump sum amount under an in-force as well as paid-up policy. This option can be exercised by the Life Assured, during his/her life time; for full or part of Death benefits payable under the policy. The amount opted for by the Life Assured (i.e. Net Claim Amount) can

8. किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने का विकल्प:

यह एक चालू और चुकता पॉलिसी के तहत एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 साल की चुनी गई अवधि में किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त करने का विकल्प है। इस विकल्प का इस्तेमाल बीमित व्यक्ति अपने जीवनकाल में पॉलिसी के तहत देय मृत्यु हितलाभ के पूरे या हिस्से के लिए कर सकता है। बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में हो सकती है या देय कुल दावा आय के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किए गए चयन के अनुसार, किस्तों का अग्रिम भुगतान वार्षिक या अर्ध-वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर किया जाएगा और विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए किस्त की न्यूनतम राशि निम्न प्रकार होगी:

किस्त भुगतान का प्रकार	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	₹ 5,000/-
त्रैमासिक	₹ 15,000/-
अर्ध-वार्षिक	₹ 25,000/-
वार्षिक	₹ 50,000/-

यदि बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार, न्यूनतम किस्त की राशि की व्यवस्था करने के लिए वांछित राशि से कम है तो दावे की प्राप्ति का भुगतान एकमुश्त ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 माह की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि पर निकाली जाती रही ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल प्रति वर्ष माइनस 2% से कम नहीं होगी; जहाँ, 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा। तदनुसार, 1 मई, 2024 से शुरू होकर 30 अप्रैल, 2025 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के लिए, किस्त की राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.07% प्रति वर्ष होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने के विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए, बीमित व्यक्ति अपने जीवनकाल में पॉलिसी की मुद्रा में रहते हुए इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें किस्त भुगतान की अवधि और शुद्ध दावा राशि निर्दिष्ट की जाती है जिसके लिए विकल्प का इस्तेमाल किया जाना है। मृत्यु दावा राशि का भुगतान तब नामित व्यक्ति को जीवन बीमाधारक द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार किया जाएगा और नामित व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. निपटान विकल्प (परिपक्वता हितलाभ के लिए):

निपटान विकल्प एक ऐसा विकल्प है जिसमें चालू और चुकता पॉलिसी के तहत एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10

be either in absolute value or as a percentage of the total claim proceeds payable.

The instalments shall be paid in advance at yearly or half-yearly or quarterly or monthly intervals, as opted for, subject to minimum instalment amount for different modes of payments being as under:

Mode of Instalment payment	Minimum instalment amount
Monthly	₹ 5,000/-
Quarterly	₹ 15,000/-
Half-Yearly	₹ 25,000/-
Yearly	₹ 50,000/-

If the Net Claim Amount is less than the required amount to provide the minimum instalment amount as per the option exercised by the Life Assured, the claim proceed shall be paid in lump sum only.

For all the instalment payment options commencing during the 12 months' period from 1st May to 30th April, the interest rate used to arrive at the amount of each instalment shall be annual effective rate not lower than the 10 year semi-annual G-Sec yield p.a. minus 2%; where, the 10 year semi-annual G-Sec yield shall be as at last trading day of previous financial year. Accordingly, for the 12 months period commencing from 1st May, 2024 to 30th April, 2025, the applicable interest rate for the calculation of the instalment amount shall be 5.07% p.a. effective.

For exercising option to take Death Benefit in instalments, the Life Assured can exercise this option during his/her lifetime while in currency of the policy, specifying the period of instalment payment and net claim amount for which the option is to be exercised. The death claim amount shall then be paid to the nominee as per the option exercised by the Life Assured and no alteration, whatsoever, shall be allowed to be made by the nominee.

9. Settlement Option (for Maturity Benefit):

Settlement Option is an option to receive Maturity Benefit in instalments over the chosen period of 5 or 10 or 15 years instead of lumpsum amount under an in-force as well as paid-up policy. This option can be exercised by the Life Assured, for full or part of Maturity proceeds payable under the policy. The amount opted for by the Life Assured (i.e. Net Claim Amount) can be either in absolute value or as a percentage of the total claim proceeds payable.

The instalments shall be paid in advance at yearly or half-yearly or quarterly or monthly intervals, as opted for, subject to minimum instalment amount for different mode of payments being as under:

या 15 साल की चुनी गई अवधि में किशतों में परिपक्वता हितलाभ प्राप्त किया जाता है। इस विकल्प का उपयोग जीवन बीमाधारक द्वारा पॉलिसी के तहत देय परिपक्वता आय के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए किया जा सकता है। जीवन बीमाधारक द्वारा चुनी गई राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में हो सकती है या देय कुल दावा आय के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किए गए चयन के अनुसार, किशतों का अग्रिम भुगतान वार्षिक, अर्ध-वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक अंतरालों पर किया जाएगा और विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए किशतों की न्यूनतम राशि निम्न प्रकार होगी:

किशत भुगतान का प्रकार	न्यूनतम किशत राशि
मासिक	₹ 5,000/-
त्रैमासिक	₹ 15,000/-
अर्ध-वार्षिक	₹ 25,000/-
वार्षिक	₹ 50,000/-

यदि बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार, न्यूनतम किशत की राशि की व्यवस्था करने के लिए वांछित राशि से कम है तो दावे की प्राप्ति का भुगतान एकमुश्त ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 माह की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किशत भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किशत की राशि पर निकाली जाती रही ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रति फल प्रति वर्ष माइनस 2% से कम नहीं होगी; जहाँ, 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा। तदनुसार, 1 मई, 2024 से शुरू होकर 30 अप्रैल, 2025 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के लिए, किशत की राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.07% प्रति वर्ष होगी।

परिपक्वता हितलाभ के बदले निपटान विकल्प चुनने के लिए, बीमित व्यक्ति को, परिपक्वता दावे की देय तारीख से कम से कम तीन महीने पूर्व निवल दावा राशि का भुगतान किशतों में करने का विकल्प चुनना होगा।

पहला भुगतान परिपक्वता की तारीख पर किया जाएगा और उसके पश्चात्, जीवन बीमा द्वारा चुने गए किशत के भुगतान के प्रकार के आधार पर, यथास्थिति, परिपक्वता की तारीख से प्रत्येक माह, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक पर किया जाएगा।

निपटान विकल्प के अंतर्गत किशतों का भुगतान प्रारंभ होने के पश्चात्:

- परिपक्वता हितलाभ के बदले जिस बीमित व्यक्ति ने निपटान विकल्प चुना है यदि वह व्यक्ति इस विकल्प को वापस लेना चाहता है और बकाया किशतों का विनिमय कराना चाहता है तो बीमित व्यक्ति से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इसकी अनुति दी जाएगी। ऐसे मामले में,

Mode of Instalment payment	Minimum instalment amount
Monthly	₹ 5,000/-
Quarterly	₹ 15,000/-
Half-Yearly	₹ 25,000/-
Yearly	₹ 50,000/-

If the Net Claim Amount is less than the required amount to provide the minimum instalment amount as per the option exercised by the Life Assured, the claim proceed shall be paid in lumpsum only.

For all the instalment payment options commencing during the 12 months' period from 1st May to 30th April, the interest rate used to arrive at the amount of each instalment shall be annual effective rate not lower than the 10 year semi-annual G- Sec yield p.a. minus 2%; where, the 10 year semi-annual G-Sec yield shall be as at last trading day of previous financial year. Accordingly, for the 12 months period commencing from 1st May, 2024 to 30th April, 2025, the applicable interest rate for the calculation of the instalment amount shall be 5.07% p.a. effective.

For exercising the Settlement Option against Maturity Benefit, the Life Assured shall be required to exercise option for payment of net claim amount in instalments at least 3 months before the due date of maturity claim.

The first payment will be made on the date of maturity and thereafter, based on the mode of instalment payment opted for by the Life Assured, every month or three months or six months or annually from the date of maturity, as the case may be.

After the commencement of Instalment payments under Settlement Option:

- If a Life Assured, who has exercised Settlement Option against Maturity Benefit, desires to withdraw this option and commute the outstanding instalments, the same shall be allowed on receipt of written request from the Life Assured. In such case, the lump sum amount which is higher of the following shall be paid and policy shall terminate,
 - discounted value of all the future instalments due; or
 - (the original amount for which settlement option was exercised) less (sum of total instalments already paid);
- The applicable interest rate that will be used to discount the future instalment payments shall be annual effective rate not exceeding 10 year semi-annual G-Sec yield p.a.; where, the 10 year semi-annual G-Sec yield shall be as at last trading day of previous financial

निम्नांकित में से उच्चतम एकमुश्त राशि का भुगतान कर दिया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी:

- भविष्य में देय समस्त किश्तों का घटा मूल्य; अथवा
 - (मूल राशि जिसके लिए निपटान विकल्प चुना गया था) में से (भुगतान की गई कुल किश्तों की राशी) को घटाकर
- ii. भविष्य की किश्तों के भुगतान को छूट देने के लिए उपयोग की जाने वाली लागू ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रति फल प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी; जहाँ, 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रति फल प्रति वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा, जिस दौरान निपटान विकल्प आरंभ किया गया था। तदनुसार, 1 मई, 2024 से शुरू होकर 30 अप्रैल, 2025 तक चलने वाली 12 माहने की अवधि के दौरान शुरू हुए सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भविष्य की किश्तों को छूट देने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लागू ब्याज दर 7.07% प्रति वर्ष होगी।
- iii. निपटान विकल्प चुनने वाले बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, बकाया किश्तों का भुगतान, बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार नामिती को किया जाना जारी रहेगा और इसमें नामिती को कोई भी परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

भाग - 'ई'

लागू नहीं

भाग - 'एफ': अन्य नियम एवं शर्तें

1. ए) समनुदेशन:

समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत समनुदेशन की अनुमति है। धारा 38 के वर्तमान प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट-1 में निहित हैं। समनुदेशन का नोटिस, पंजीकरण के लिए निगम के उस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जहाँ इस पॉलिसी से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं।

बी) नामांकन:

समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार, जीवन बीमा के पॉलिसीधारक द्वारा नामांकन किया जाना वांछित है। धारा 39 के वर्तमान प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट-2 में निहित हैं। नामांकन का नोटिस, पंजीकरण के लिए निगम के उस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जहाँ इस पॉलिसी से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं। नामांकन के पंजीकरण में निगम कोई जिम्मेदारी नहीं लेता और न ही उसकी वैधता या कानूनी प्रभाव के विषय में कोई मत प्रकट करता है।

2. आत्महत्या संबंधी अपवर्जन:

मृत्यु हितलाभ भुगतान हेतु जो भी शर्तें इस पॉलिसी प्रपत्र में कहीं भी उल्लिखित हों परंतु आत्महत्या से हुई मृत्यु की अवस्था में दावे का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत किया जाएगा:

- i. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे मानसिक रूप से स्वस्थ हो या

year during which Settlement Option was commenced. Accordingly, in respect of all the Settlement Options commenced during the 12 months' period beginning from 1st May, 2024 to 30th April, 2025, the maximum applicable interest rate used for discounting the future instalments shall be 7.07% p.a. effective.

- iii. After the Date of Maturity, in case of death of the Life Assured, who has exercised Settlement Option, the outstanding instalments will continue to be paid to the nominee as per the option exercised by the Life Assured and no alteration whatsoever shall be allowed to be made by the nominee.

PART E

Not Applicable.

PART - F: OTHER TERMS AND CONDITIONS

1. a) Assignments:

Assignment is allowed under this plan as per Section 38 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 38 are contained in Annexure-1 of this policy document. The notice of assignment should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced.

b) Nominations:

Nomination by the holder of a policy of life assurance on his/her own life is allowed as per Section 39 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 39 are contained in Annexure-2 of this policy document. The notice of nomination or change of nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced. In registering nomination the Corporation does not accept any responsibility or express any opinion as to its validity or legal effect.

2. Suicide Exclusion:

Notwithstanding the provision of benefits payable on death mentioned anywhere in this Policy Document, the provisions related to claim payment in case of death due to suicide shall be subject to the conditions as specified herein under:

- i. If the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide at any time within 12 months from the date of commencement of risk, the Nominee or Beneficiary of the Life assured shall be entitled to 80% of the total premiums paid till the date of death (excluding any taxes if collected explicitly, extra premium and rider premiums other than term assurance rider, if any), provided the policy is in-force.
- ii. If the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide within 12 months from date of revival, an amount which is higher of 80% of the total premiums paid till the date of death (excluding any taxes if collected explicitly, extra premium and rider premiums, other than

अस्वस्थ) जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है, तो बीमित व्यक्ति का नामिती या हितलाभार्थी मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 80% (यदि स्पष्ट रूप से एकत्र किया गया हो, तो किसी भी कर, अतिरिक्त प्रीमियम और टर्म एश्योरेंस राइडर के अलावा राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो को छोड़कर) का अधिकारी होगा बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो।

- ii. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) पुनर्चलन की तिथि से 12 माह के भीतर आत्म हत्या कर लेता है, तो मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 80% (यदि स्पष्ट रूप से एकत्र किया गया हो, तो किसी भी कर, अतिरिक्त प्रीमियम और टर्म एश्योरेंस राइडर के अलावा राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो को छोड़कर), या मृत्यु की तिथि को उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य में से जो अधिक हो, वह राशि देय होगी। बीमित व्यक्ति का नामिती या लाभार्थी इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे का अधिकारी नहीं होगा।

प्रदत्त मूल्य प्राप्त किए बिना कालातीत हुई पॉलिसी पर यह धारा लागू नहीं होगी और ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

गैर-जब्त उपबंधों के अंतर्गत उल्लेखित छूट, आत्महत्या से हुई मृत्यु के मामले में लागू नहीं होगी।

3. कर:

भारत सरकार अथवा किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकारी द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर यदि कोई कर लगाया जाता है, तो वह और लागू करों की दर कर-कानूनों के अनुसार होंगे।

प्रचलित दरों पर लागू करों की राशि पॉलिसीधारक द्वारा प्रीमियमों (मूल पॉलिसी और यदि कोई राइडर है तो उसके लिए) की राशि, जोखिमांकन के कारण पॉलिसी के अंतर्गत ली गई अतिरिक्त राशि सहित (यदि कोई हो), पॉलिसीधारक द्वारा देय होगी, जो अलग से और पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अतिरिक्त वसूल की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना करने के लिए करों की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा।

4. दावे के लिए सामान्य अपेक्षाएं:

- ए) मृत्यु दावा: बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में दावा दाखिल करते हुए, दावाकर्ता निगम की संतुष्टि के अनुसार जो सामान्य दस्तावेज दाखिल करेगा, वे होंगे: निगम द्वारा निर्धारित दावा प्रपत्र के साथ मूल पॉलिसी दस्तावेज, बैंक खाते में दावा राशि सीधे जमा करने के लिए दावाकर्ता से एनईएफटी आदेश-पत्र, अधिकार का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु से पहले यदि कोई इलाज हुआ हो, स्कूल/कॉलेज/नियोक्ता का प्रमाण, जो भी लागू होते हों। यदि पॉलिसी के अंतर्गत आयु स्वीकृत नहीं है तो बीमित व्यक्ति की आयु का प्रमाण भी दाखिल किया जाएगा।

अप्राकृतिक मृत्यु या दुर्घटना के कारण हुई या होने वाली मृत्यु के मामले में, निगम प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर), पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतियाँ माँग सकता

term assurance rider if any,) or the surrender value available as on the date of death shall be payable. The Nominee or Beneficiary of the Life assured shall not be entitled to any other claim under this policy.

This clause shall not be applicable for a policy lapsed without acquiring paid-up value and nothing shall be payable under such policies.

The relaxation mentioned under Non-forfeiture provisions shall not be applicable in case of death due to suicide.

3. Tax:

Statutory Taxes, if any, imposed on such insurance plans by the Government of India or any other constitutional tax Authority of India shall be as per the Tax laws and the rate of tax as applicable from time to time.

The amount of applicable taxes as per the prevailing rates, shall be payable by the policyholder on premiums (for Base Policy and rider(s), if any) including extra premium, if any, which shall be collected separately over and above in addition to the premiums payable by the policyholder. The amount of tax paid shall not be considered for the calculation of benefits payable under the plan.

4. Normal requirements for a claim:

- (a) Death Claim: The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Life Assured shall be claim forms, as prescribed by the Corporation, accompanied with original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account, proof of title, proof of death, medical treatment prior to the death (if any), school/college/employer's certificate, whichever is applicable, to the satisfaction of the Corporation. If the age is not admitted under the policy, the proof of age of the Life Assured shall also be submitted.

In case of unnatural death or death on account of or arising from an accident, the Corporation may call for the copies of First Information Report (FIR), Panchnama and Post Mortem report. The Corporation may also call for additional documents as may be required by them.

Policyholder or the claimant, as applicable, is required to intimate the Corporation, about the happening of the insured event resulting into a claim under the policy, at the earliest possible time.

- (b) Maturity/Surrender Claim: Where the policy results into a maturity claim or in case of surrender of the policy, the Life Assured shall submit the discharge form along with the original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account besides proof of

है। निगम अपनी आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज भी माँग सकता है।

पॉलिसीधारक या दावाकर्ता, जैसा भी लागू हो, के लिए आवश्यक है कि वह पॉलिसी के अंतर्गत दावे में परिणत होने वाली बीमा-रक्षित घटना के होने के संबंध में निगम को यथासंभव शीघ्र से शीघ्र सूचित करे।

बी) परिपक्वता/अभ्यर्पण दावा: जब पॉलिसी का अंत, परिपक्वता दावे के रूप में हो या पॉलिसी के अभ्यर्पण की स्थिति में, बीमित व्यक्ति को, मूल पॉलिसी दस्तावेज के साथ विमुक्ति प्रपत्र, बैंक खाते में दावा राशि सीधे जमा करने के लिये दावाकर्ता को एनईएफटी आदेश-पत्र के साथ ही आयु का प्रमाण (यदि आयु पहले स्वीकृत नहीं की गई) दाखिल करना होगा।

उपयुक्त दस्तावेज के अलावा, वे अपेक्षाएं भी प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है, जो किसी वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आदेशित हों या कानून के अनुसार वांछित हों।

5. विधायी परिवर्तन:

इस पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियम एवं हितलाभ सहित, नियम एवं शर्तों संबंधित विधान एवं विनियमों के अनुसार परिवर्तनशील हैं।

6. विश्लेषण आवश्यक है:

आपको उपयुक्तता आकलन के अंतर्गत दस्तावेज का विश्लेषण करना चाहिए, जो इस पॉलिसी दस्तावेज के साथ संलग्न है।

7. हितलाभ निदर्शन:

आपका निर्देश निर्मित हितलाभ निदर्शन इस पॉलिसी दस्तावेज के साथ संलग्न हैं।

8. डुप्लीकेट पॉलिसी जारी करना :

पॉलिसीधारक पॉलिसी दस्तावेज खो जाने पर अन्य आवश्यकताओं, जैसा कि निगम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, के साथ समय-समय* पर निर्दिष्ट किए गए पॉलिसी तैयारी शुल्क, पॉलिसी स्टाम्प शुल्क और लागू करें, यदि कोई हो, का भुगतान कर डुप्लीकेट पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकता है।

*जनवरी, 2024 तक, लागू डुप्लीकेट पॉलिसी तैयारी शुल्क रु.75.00 है। इसके अलावा, अपेक्षित स्टाम्प मूल्य के अनुसार नोटरीकृत क्षतिपूर्ति बॉन्ड भी आवश्यक है और इसके लिए स्टाम्प शुल्क पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जाएगा।

9. शासकीय कानून और अधिकार क्षेत्र :

पॉलिसी भारत के कानूनों से नियंत्रित होगी और भारतीय न्यायालयों का पॉलिसी के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटान करने का क्षेत्राधिकार होगा।

भाग 'जी' : वैधानिक प्रावधान

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 :

समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज की परिशिष्ट 3 में संलग्न हैं।

age, if the age is not admitted earlier.

In addition to above, any requirement mandated under any statutory provision or as may be required as per law shall also be required to be submitted.

5. Legislative Changes:

The Terms and Conditions including the premiums and benefits payable under this policy are subject to variation in accordance with the relevant Legislation & Regulations.

6. Need Analysis:

Your need analysis document under suitability assessment is enclosed to this Policy Document.

7. Benefit illustration:

Your customized Benefit Illustration is enclosed to this Policy document.

8. Issuance of Duplicate Policy:

The Policyholder can make an application for duplicate Policy on payment of policy preparation charges, policy stamp charges and applicable taxes, if any, which are specified from time to time* upon loss of Policy Document along with other requirements as may be prescribed by the Corporation.

*As on January, 2024, the applicable duplicate policy preparation charge is Rs 75.00. In addition, Indemnity Bond notarized as per requisite stamp value is also required and the stamp fee for the same shall be borne by the Policyholder.

9. Governing Law and Jurisdiction:

The Policy shall be governed by the laws of India and the Indian Courts shall have jurisdiction to settle any disputes arising under the Policy.

PART – G: STATUTORY PROVISIONS

Section 45 of Insurance Act 1938:

The provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time, shall be applicable. The current provisions are contained in Annexure-3 of this policy document.

Grievance Redressal Mechanism:

Of the Corporation:

The Corporation has Grievance Redressal Officers (GROs) at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office to redress grievances of customers. The customers can visit our website (<https://licindia.in/web/guest/grievances>) for names and contact details of the GROs and other information related to grievances.

शिकायत निवारण तंत्र:

निगम की:

ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क संबंधी विवरण और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (<https://licindia.in/web/guest/grievances>) पर जा सकते हैं।

ग्राहक शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए निगम ने अपने ग्राहक पोर्टल वेबसाइट <http://www.licindia.in> के माध्यम से ग्राहक अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली का सूत्रपात किया है जहाँ पंजीकृत पॉलिसी धारक सीधे शिकायत/परिवाद दर्ज करा उसकी स्थिति पर नज़र रख सकता है। ग्राहक किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ई-मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावों के अस्वीकृति के निर्णय से असंतुष्ट दावाकर्ताओं के पास, अपने मामलों के पुनरीक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा शिकायत निवारण समिति या केन्द्रीय कार्यालय दावा शिकायत निवारण समिति के पास ले जाने के विकल्प हैं। उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय का एक न्यायाधीश सभी दावा परिवाद निवारण समितियों का सदस्य होता है।

आईआरडीआई की:

यदि ग्राहक हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं या हमसे 15 दिनों के अंदर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो ग्राहक, निम्नलिखित किसी भी माध्यम से पॉलिसीधारक सुरक्षा एवं शिकायत निवारण विभाग में जा सकता है:

- टोल-फ्री (निःशुल्क) नंबर 155255/ 18004254732 (अर्थात आईआरडीआई का शिकायत टेलीफोन केन्द्र) (बीमा भारोसा शिकायत निवारण केन्द्र) में फोन करके।
- complaints@irdai.gov.in पर ई-मेल करके
- इंटरनेट के माध्यम से <https://bimabharosa.irdai.gov.in/> पर शिकायत दर्ज करके
- कुरियर/पत्र द्वारा शिकायत भेजने के लिए पता: उपभोक्ता मामला विभाग,

महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक सुरक्षा एवं शिकायत निवारण विभाग

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण

सर्वे संख्या-115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकराम गुड़ा, गाची बावली, हैदराबाद-500 032 (तेलंगाना)

लोकपाल की :

दावे से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावाकर्ता बीमा लोकपाल के पास भी जा सकते हैं जो ग्राहकों को कम लागत पर तीव्र मध्यस्थता प्रदान करते हैं।

For ensuring quick redressal of customer grievances the Corporation has introduced Customer friendly Integrated Complaint Management System through our Customer Portal (website) <http://www.licindia.in>, where a registered policy holder can directly register complaint/ grievance and track its status. Customers can also contact at e-mail id co_complaints@licindia.com for redressal of any grievances.

Claimants not satisfied with the decision of death claim repudiation have the option of referring their cases for review to Zonal Office Claims Dispute Redressal Committee or Central Office Claims Dispute Redressal Committee. A retired High Court/ District Court Judge is member of each of the Claims Dispute Redressal Committees.

Of IRDAI:

In case the customer is not satisfied with the response or does not receive a response from us within 15 days, then the customer may approach the Policyholder's Protection and Grievance Redressal Department through any of the following modes:

- Calling Toll Free Number 155255/18004254732 (i.e. IRDAI Grievance Call Centre (BIMA BHAROSA SHIKAYAT NIVARAN KENDRA))
- Sending an email to complaints@irdai.gov.in
- Register the complaint online at <https://bimabharosa.irdai.gov.in/>
- Address for sending the complaint through courier / letter:

General Manager, Policyholders Protection and Grievance Redressal Department,

Insurance Regulatory and Development Authority of India,

Survey No.115/1, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032, Telangana.

Of Ombudsman:

For redressal of Claims related grievances, claimants can also approach Insurance Ombudsman who provides for low cost and speedy arbitration to customers.

The Ombudsman, as per Insurance Ombudsman Rules, 2017, can receive and consider complaints or disputes relating to the matters such as:

- (a). Delay in settlement of claims, beyond the

बीमा लाके पाल नियमावली, 2017 के अनुसार, लोकपाल ऐसे मामलों से संबंधित शिकायत अथवा शिकायत प्राप्त कर सकते हैं और उन पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि:

- ए) दावों के निपटान में, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से अधिक देरी
- बी) जीवन बीमाकर्ता, साधारण बीमाकर्ता या स्वास्थ्य बीमाकर्ता द्वारा दावों की आंशिक या पूर्ण अस्वीकृति;
- सी) बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार अदा किए गए या देय प्रीमियमों पर शिकायत
- डी) पॉलिसी दस्तावेज में या पॉलिसी संविदा में किसी भी समय पॉलिसी के नियम एवं शर्तों पर अन्यथा कथन करना
- ई) बीमा पॉलिसी की कानूनी संरचना, जबकि शिकायत दावे से संबंधित हो
- एफ) बीमाकर्ताओं, उनके कार्यकर्ताओं एवं मध्यस्थों के विरुद्ध पॉलिसी सेवा संबंधी शिकायत
- जी) ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी, स्वास्थ्य पॉलिसी सहित साधारण बीमा पॉलिसी जारी करना, जो प्रस्तावक द्वारा दाखिल प्रस्ताव-पत्र के अनुसार न हो;
- एच) जीवन बीमा तथा स्वास्थ्य सहित साधारण बीमा के प्रीमियम प्राप्त करने के बाद भी पॉलिसी जारी न करना
- आई) बीमा अधिनियम, 1938 के या समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा जारी विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों या अनुदेशों या पॉलिसी संविदा के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन से उत्पन्न कोई अन्य मामला, जहां तक कि वे धारा (ए) से (एफ) में उल्लिखित मामलों से संबंधित हों।

नोट: इस दस्तावेज में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों की व्याख्या के विषय में कोई शिकायत होने की स्थिति में, अंग्रेजी भाषांतर विधिमान्य होगा।

आपसे अनुरोध है कि आप इस पॉलिसी की जांच कर लें और यदि इसमें कोई गलती पाई जाए, तो इस पॉलिसी की सुधार के लिए तुरंत लौटा दें।

परिशिष्ट -1

समनुदेशन: बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार

- (1) किसी पॉलिसी का पूर्ण अथवा आंशिक हस्तांतरण या समनुदेशन, चाहे वह प्रतिफल के बदले में हो या बिना प्रतिफल के, पॉलिसी के ऊपर ही एक पृष्ठांकन करके अथवा अलग से एक प्रपत्र के द्वारा किया जा सकता है जिस पर दोनों ही स्थितियों में हस्तांतरणकर्ता या समनुदेशक या उसके विधिवत प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। इस पर कम

time specified in the regulations, framed under the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999;

- (b). Any partial or total repudiation of claims by the life insurer, General insurer or the health insurer;
- (c). Disputes over premium paid or payable in terms of insurance policy;
- (d). Misrepresentation of policy terms and conditions at any time in the policy document or policy contract;
- (e). Legal construction of insurance policies in so far as the dispute relates to claim;
- (f). Policy servicing related grievances against insurers and their agents and intermediaries;
- (g). Issuance of life insurance policy, general insurance policy including health insurance policy which is not in conformity with the proposal form submitted by the proposer;
- (h). Non-issuance of insurance policy after receipt of premium in life insurance and general insurance including health insurance; and
- (i). Any other matter resulting from the violation of provisions of the Insurance Act, 1938 or the regulations, circulars, guidelines or instructions issued by the IRDAI from time to time or the terms and conditions of the policy contract, in so far as they relate to issues mentioned at clauses (a) to (f)

Note: In case of dispute in respect of interpretation of terms and conditions mentioned in this document, the English version shall stand valid.

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION

Annexure 1

Assignment - As per Section 38 of the Insurance Act 1938

- (1) A transfer or assignment of a policy of insurance, wholly or in part, whether with or without consideration, may be made only by an endorsement upon the policy itself or by a separate instrument, signed in either case by the transferor or by the assignor or his duly authorised agent and attested by at least one witness, specifically setting forth the fact of

से कम एक गवाह द्वारा साक्ष्यांकित किया जाएगा और इसमें विशेष रूप से हस्तांतरण अथवा समनुदेशन के तथ्य का, उसके कारणों का, समनुदेशिनी के पूर्वचरित्र का तथा समनुदेशन की शर्तों का उल्लेख किया जाएगा।

- (2) जहां निगम के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ऐसा हस्तांतरण या समनुदेशन प्रामाणिक नहीं है या पॉलिसीधारक के हित में नहीं है या सार्वजनिक हित में नहीं है या बीमा पॉलिसी का सौदा करने के लिए किया गया है तो बीमाकर्ता उप धारा (1) के अंतर्गत किए गए ऐसे हस्तांतरण या समनुदेशन के पृष्ठांकन को स्वीकार कर सकता है या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने से मना कर सकता है।
- (3) पृष्ठांकन पर कोई कार्रवाई करने से मना करने से पहले, बीमाकर्ता ऐसी मनाही के कारण लिखित रूप में दर्ज करेगा और पॉलिसीधारक द्वारा ऐसे हस्तांतरण या समनुदेशन का नोटिस दिए जाने के अधिकतम 30 दिनों के अंदर पॉलिसीधारक को उन कारणों की सूचना देगा।
- (4) बीमाकर्ता द्वारा ऐसे हस्तांतरण या समनुदेशन पर कार्रवाई न करने के निर्णय से यदि किसी व्यक्ति को शिकायत है तो ऐसी मनाही के कारणों वाली सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर वह व्यक्ति प्राधिकारी के सामने दावा कर सकता है।
- (5) उप धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, ऐसे पृष्ठांकन के निष्पादन पर या प्रपत्र के विधिवत् साक्ष्यांकित हो जाने पर, हस्तांतरण या समनुदेशन पूर्ण तथा क्रियाशील हो जाएगा। किन्तु यदि ऐसा हस्तांतरण या समनुदेशन बीमाकर्ता के पक्ष में है तो वह किसी बीमाकर्ता के विरुद्ध कार्यकारी नहीं होगा और इससे हस्तांतरी या समनुदेशिनी को या उसके कानूनी प्रतिनिधि को ऐसी पॉलिसी की राशि पर या पॉलिसी में प्रतिभूत राशि पर वाद चलाने का कोई अधिकार तब तक नहीं मिलेगा जब तक हस्तांतरण या समनुदेशन की लिखित सूचना और उक्त पृष्ठांकन या वह प्रपत्र या हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरी द्वारा अथवा उनके विधिवत् प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा सत्यापित उसकी एक प्रति बीमाकर्ता को दे।
बशर्ते कि यदि भारत में एक से अधिक स्थानों पर अपना व्यवसाय चलाता है तो ऐसा नोटिस केवल उसी स्थान पर दिया जाएगा, जहां पर उस पॉलिसी से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं।
- (6) जिस तारीख पर उप धारा (5) में उल्लिखित नोटिस बीमाकर्ता को दिया जाता है, वह तारीख पॉलिसी में हित रखने वाले व्यक्तियों के बीच, हस्तांतरण या समनुदेशन के सभी दावों की प्राथमिकता को विनियमित करेगी। और यदि कहीं पर एक से अधिक हस्तांतरण या समनुदेशन के प्रपत्र हैं तो ऐसे प्रपत्रों के अंतर्गत दावों की प्राथमिकता उसी क्रम से संचालित होगी, जिस क्रम में उप धारा (5) में उल्लिखित नोटिस दिए गए हैं।

transfer or assignment and the reasons thereof, the antecedents of the assignee and the terms on which the assignment is made.

- (2) An insurer may, accept the transfer or assignment, or decline to act upon any endorsement made under sub-section(1), where it has sufficient reason to believe that such transfer or assignment is not bonafide or is not in the interest of the policyholder or in public interest or is for the purpose of trading of insurance policy.
- (3) The insurer shall, before refusing to act upon the endorsement, record in writing the reasons for such refusal and communicate the same to the policyholder not later than thirty days from the date of the policy-holder giving notice of such transfer or assignment.
- (4) Any person aggrieved by the decision of an insurer to decline to act upon such transfer or assignment may within a period of thirty days from the date of receipt of the communication from the insurer containing reasons for such refusal, prefer a claim to the Authority.
- (5) Subject to the provisions in sub-section (2), the transfer or assignment shall be complete and effectual upon the execution of such endorsement or instrument duly attested but except, where the transfer or assignment is in favour of the insurer, shall not be operative as against an insurer, and shall not confer upon the transferee or assignee, or his legal representative, any right to sue for the amount of such policy or the moneys secured thereby until a notice in writing of the transfer or assignment and either the said endorsement or instrument itself or a copy thereof certified to be correct by both transferor and transferee or their duly authorised agents have been delivered to the insurer:

Provided that where the insurer maintains one or more places of business in India, such notice shall be delivered only at the place where the policy is being serviced.

- (6) The date on which the notice referred to in sub-section (5) is delivered to the insurer shall regulate the priority of all claims under a transfer or assignment as between persons interested in the policy; and where there is more than one instrument of transfer or assignment the priority of the claims under such instruments shall be governed by the order in which the notices referred to in sub-section (5) are delivered:

Provided that if any dispute as to priority of payment arises as between assignees, the dispute

यदि समनुदेशितियों के बीच भुगतान की प्राथमिकता को लेकर कोई मतभेद होता है तो उस विवाद को प्राधिकारी के पास भेज दिया जाएगा।

- (7) उप धारा (5) में उल्लिखित नोटिस प्राप्त होने पर, बीमाकर्ता ऐसे हस्तांतरण या समनुदेशन का, उसकी तारीख और हस्तांतरी या समनुदेशिनी के नाम के तथ्यों को दर्ज करेगा और ऐसा नोटिस देने वाले व्यक्ति या हस्तांतरी या समनुदेशिनी के अनुरोध पर और विनियमों के अंतर्गत निर्धारित शुल्क अदा करने पर, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की लिखित पावती देगा और ऐसी पावती बीमाकर्ता के प्रति इस बात का पक्का सबूत होगी कि उसे वह नोटिस विधिवत प्राप्त हो गया है जिससे वह पावती संबंधित है।

- (8) हस्तांतरण या समनुदेशन के नियम एवं शर्तों के अधीन, बीमाकर्ता उप धारा (5) में उल्लिखित नोटिस की प्राप्ति की तारीख से, उस नोटिस में नामित हस्तांतरी या समनुदेशिनी को पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों का पूर्ण हस्तांतरी या समनुदेशिनी अधिकारी की मान्यता देगा और उस व्यक्ति पर वे समस्त देयताओं और निवल राशियां लागू होंगी जो हस्तांतरणकर्ता या समनुदेशक पर, हस्तांतरण या समनुदेशन की तारीख पर लागू होती थीं और वह हस्तांतरणकर्ता या समनुदेशक की सहमति लिए बिना या ऐसी कार्रवाई में उसे पक्षकार बनाए बिना, पॉलिसी के संबंध में कोई भी कार्रवाई कर सकता है, पॉलिसी के अंतर्गत ऋण ले सकता है या पॉलिसी का अभ्यर्पण कर सकता है।

व्याख्या: यदि उप धारा (1) में उल्लिखित पृष्ठांकन में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया होगा कि समनुदेशन या हस्तांतरण यहां नीचे दी गई उप धारा (10) के अनुसार सशर्त है, तो प्रत्येक हस्तांतरण या समनुदेशन को पूर्ण समनुदेशन या हस्तांतरण माना जाएगा और समनुदेशिनी या हस्तांतरी को, यथास्थिति, क्रमशः पूर्ण समनुदेशिनी या हस्तांतरी माना जाएगा।

- (9) बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पूर्व, किसी समनुदेशन अथवा हस्तांतरण के अंतर्गत जीवन बीमा पॉलिसी के किसी समनुदेशिनी या हस्तांतरी के प्रभावी अधिकारों और प्रतिकारों पर, इस धारा के प्रावधानों का कोई प्रतिभूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- (10) किसी कानून के या कानून की शक्ति रखने वाली प्रथा के होते हुए भी, यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में समनुदेशन इस शर्त पर किया जाता है कि:

ए. समनुदेशिनी या हस्तांतरी की मृत्यु बीमाधारक से पहले होने पर, पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्तियां पॉलिसीधारक को या नामिती व्यक्ति/व्यक्तियों को देय हो जाएंगी; अथवा

shall be referred to the Authority.

- (7) Upon the receipt of the notice referred to in sub-section (5), the insurer shall record the fact of such transfer or assignment together with the date thereof and the name of the transferee or the assignee and shall, on the request of the person by whom the notice was given, or of the transferee or assignee, on payment of such fee as may be specified by the regulations, grant a written acknowledgement of the receipt of such notice; and any such acknowledgement shall be conclusive evidence against the insurer that he has duly received the notice to which such acknowledgment relates.

- (8) Subject to the terms and conditions of the transfer or assignment, the insurer shall, from the date of the receipt of the notice referred to in sub-section (5), recognize the transferee or assignee named in the notice as the absolute transferee or assignee entitled to benefit under the policy, and such person shall be subject to all liabilities and equities to which the transferor or assignor was subject at the date of the transfer or assignment and may institute any proceedings in relation to the policy, obtain a loan under the policy or surrender the policy without obtaining the consent of the transferor or assignor or making him a party to such proceedings.

Explanation – Except where the endorsement referred to in sub-section (1) expressly indicates that the assignment or transfer is conditional in terms of sub-section (10) hereunder, every assignment or transfer shall be deemed to be an absolute assignment or transfer and the assignee or transferee, as the case may be, shall be deemed to be the absolute assignee or transferee respectively.

- (9) Any rights and remedies of an assignee or transferee of a policy of life insurance under an assignment or transfer effected prior to the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 shall not be affected by the provisions of this Section.

- (10) Notwithstanding any law or custom having the force of law to the contrary, an assignment in favour of a person made upon the condition that-

a. The proceeds under the policy shall become payable to the policyholder or the nominee or nominees in the event of either the assignee or transferee predeceasing the insured; or

बी. बीमाधारक के पॉलिसी अवधि तक जीवित रहने पर, वह वैध होगा।

बशर्ते कि कोई सशर्त समनुदेशित पॉलिसी पर कोई ऋण लेने का या पॉलिसी को अभ्यर्पित करने का अधिकारी नहीं होगा।

- (11) उप धारा (1) के अंतर्गत किसी पॉलिसी के आंशिक समनुदेशन या हस्तांतरण के मामले में, बीमाकर्ता की देयता, आंशिक समनुदेशन या हस्तांतरण द्वारा प्रत्याभूत राशि तक सीमित होगी और ऐसे पॉलिसीधारक को, उसी पॉलिसी के अंतर्गत देय शेष राशि को आगे समनुदेशित या अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा।

परिशिष्ट - 2

नामांकन: बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार

- (1) अपने ही जीवन पर जीवन बीमा पॉलिसी रखने वाला पॉलिसीधारक, पॉलिसी लेते समय अथवा पॉलिसी के भुगतान के लिए परिपक्व होने के पूर्व किसी भी समय ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है जिनको, पॉलिसीधारक की मृत्यु होने की स्थिति में, पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्याभूत राशि का भुगतान किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि नामिती अवयस्क है तो पॉलिसीधारक के लिए यह कानूनसम्मत होगा कि वह बीमाकर्ता द्वारा बनाए गए तरीके से किसी व्यक्ति को नियुक्त करे जो नामिती की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाने पर, पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्याभूत राशि प्राप्त कर सके।

- (2) यदि नामांकन पॉलिसी के मूल पाठ में ही समाविष्ट नहीं है तो ऐसे किसी भी नामांकन को क्रियाशील बनाने के लिए, पॉलिसी पर ऐसा पृष्ठांकन करके, बीमाधारक को उसकी सूचना देकर तथा पॉलिसी से संबंधित अभिलेखों में उसे पंजीकृत कराना होगा और पॉलिसी के भुगतान के लिए परिपक्व होने से पूर्व ऐसे नामांकन को एक पृष्ठांकन के द्वारा या वसीयत के द्वारा किसी भी समय निरस्त या परिवर्तित कराया जा सकता है। किन्तु जब तक ऐसे निरस्तीकरण या परिवर्तन की लिखित सूचना बीमाकर्ता को नहीं दे दी जाती, तब तक बीमाकर्ता पॉलिसी के मूल पाठ में उल्लिखित या बीमाकर्ता के अभिलेखों में पंजीकृत और बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक बनाए गए नामिती को किए गए किसी भी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

- (3) बीमाकर्ता पॉलिसीधारक को, नामांकन के पंजीकरण की या उसके निरस्तीकरण की या उसमें परिवर्तन की लिखित पावती देगा और ऐसे निरस्तीकरण या परिवर्तन के लिए विनियमों में विनिर्दिष्ट शुल्क ले सकेगा।

- b. The insured surviving the term of the policy , shall be valid:

Provided that a conditional assignee shall not be entitled to obtain a loan on the policy or surrender a policy.

- (11) In the case of the partial assignment or transfer of a policy of insurance under sub-section (1), the liability of the insurer shall be limited to the amount secured by partial assignment or transfer and such policyholder shall not be entitled to further assign or transfer the residual amount payable under the same policy.

Annexure 2

Nomination - As per Section 39 of the Insurance Act 1938

- (1) The holder of a policy of life insurance on his own life may, when effecting the policy or at any time before the policy matures for payment, nominate the person or persons to whom the money secured by the policy shall be paid in the event of his death:

Provided that, where any nominee is a minor, it shall be lawful for the policy holder to appoint any person in the manner laid down by the insurer, to receive the money secured by policy in the event of his death during the minority of the nominee.

- (2) Any such nomination in order to be effectual shall, unless it is incorporated in the text of the policy itself, be made by an endorsement on the policy communicated to the insurer and registered by him in the records relating to the policy and any such nomination may at any time before the policy matures for payment be cancelled or changed by an endorsement or a further endorsement or a will, as the case may be, but unless notice in writing of any such cancellation or change has been delivered to the insurer, the insurer shall not be liable for any payment under the policy made bona fide by him to a nominee mentioned in the text of the policy or registered in records of the insurer.

- (3) The insurer shall furnish to the policy holder a written acknowledgement of having registered a nomination or a cancellation or change thereof, and may charge such fee as may be specified by regulations for registering such cancellation or change.

- (4) A transfer or assignment of a policy made in accordance with Section 38 shall automatically cancel a nomination:

(4) धारा 38 के अनुसार किए गए पॉलिसी के हस्तांतरण या समनुदेशन से नामांकन स्वतः निरस्त हो जाएगा:

यदि पॉलिसी का समनुदेशन किसी ऐसे बीमाकर्ता को किया जाता है, जो पॉलिसी के अभ्यर्ण मूल्य के अंदर अथवा ऋण की अदायगी पर पुनः समनुदेशन की स्थिति में पॉलिसी की प्रतिभूति पर दिए गए ऋण के बदले, समनुदेशन के समय पॉलिसी के जोखिम का वहन करता है तो उससे नामांकन निरस्त नहीं होगा, किन्तु उससे नामिती के अधिकारों पर, पॉलिसी में बीमाकर्ता के हितों की सीमा तक ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

यह भी शर्त है कि यदि हस्तांतरी या समनुदेशिनी द्वारा पॉलिसीधारक को दिए गए ऋण के बदले पॉलिसी के पूर्ण या आंशिक हस्तांतरण या समनुदेशन से नामांकन निरस्त नहीं होगा बल्कि नामिती के हितों पर उसी सीमा तक विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जहां तक यथास्थिति, हस्तांतरी या समनुदेशिनी का हित उस पॉलिसी में है।

और यह भी शर्त है कि हस्तांतरण अथवा समनुदेशन के फलस्वरूप जो नामांकन स्वतः निरस्त हो गया है तो समनुदेशिनी द्वारा पुनः समनुदेशन करने पर या पॉलिसी की प्रतिभूति के अलावा, लिए गए ऋण की अदायगी कर दिए जाने पर, पॉलिसीधारक के पक्ष में हस्तांतरी द्वारा पुनः हस्तांतरण किए जाने पर, वह नामांकन स्वतः ही पुनः सक्रिय हो जाएगा।

(5) जिस व्यक्ति के जीवन का बीमा किया गया है, यदि उसके जीवनकाल में पॉलिसी भुगतान के लिए परिपक्व हो जाती है अथवा नामिती (एक से अधिक नामिती होने की स्थिति में सारे नामिती) की मृत्यु पॉलिसी भुगतान के लिए परिपक्व होने से पूर्व होने पर पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्याभूत राशि का भुगतान, यथास्थिति, पॉलिसीधारक को या उसके वारिसों या कानूनी प्रतिनिधियों को या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र धारक को देय होगा।

(6) नामिती व्यक्ति या एक से अधिक नामिती होने की स्थिति में, नामित व्यक्तियों के बीमित व्यक्ति से अधिक जीवित रहने पर, पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्याभूत राशि ऐसे जीवित व्यक्ति या व्यक्तियों को देय होगी।

(7) इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन, यदि कोई अपने ही जीवन पर या पॉलिसी लेने वाला पॉलिसीधारक अपने माता-पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पति/पत्नी और बच्चों को या इसमें से किसी को नामित करता है तो नामिती उप धारा (6) के अंतर्गत बीमाधारक द्वारा उसको या उनको देय राशि के लिए हितलाभी अधिकारी होंगे, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि पॉलिसी में अपने अधिकार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पॉलिसीधारक नामित व्यक्ति को ऐसा अधिकार प्रदान नहीं कर सकता था।

Provided that the assignment of a policy to the insurer who bears the risk on the policy at the time of the assignment, in consideration of a loan granted by that insurer on the security of the policy within its surrender value, or its reassignment on repayment of the loan shall not cancel a nomination, but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the insurer's interest in the policy:

Provided further that the transfer or assignment of a policy, whether wholly or in part, in consideration of a loan advanced by the transferee or assignee to the policyholder, shall not cancel the nomination but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the interest of the transferee or assignee, as the case may be, in the policy:

Provided also that the nomination, which has been automatically cancelled consequent upon the transfer or assignment, the same nomination shall stand automatically revived when the policy is reassigned by the assignee or retransferred by the transferee in favour of the policyholder on repayment of loan other than on a security of policy to the insurer.

(5) Where the policy matures for payment during the lifetime of the person whose life is insured or where the nominee or, if there are more nominees than one, all the nominees die before the policy matures for payment, the amount secured by the policy shall be payable to the policyholder or his heirs or legal representatives or the holder of a succession certificate, as the case may be.

(6) Where the nominee or if there are more nominees than one, a nominee or nominees survive the person whose life is insured, the amount secured by the policy shall be payable to such survivor or survivors.

(7) Subject to the other provisions of this Section, where the holder of a policy of insurance on his own life nominates his parents, or his spouse, or his children, or his spouse and children, or any of them, the nominee or nominees shall be beneficially entitled to the amount payable by the insurer to him or them under sub-section (6) unless it is proved that the holder of the policy, having regard to the nature of his title to the policy, could not have conferred any such beneficial title on the nominee.

(8) Subject as aforesaid, where the nominee, or if there are more nominees than one, a nominee or nominees, to whom sub-section (7) applies, die

(8) उपर्युक्त उल्लेख के अधीन ही, जिस नामिती (एक से अधिक नामिती होने पर नामितियों) पर उप धारा (7) लागू होती है, उसकी/उनकी मृत्यु बीमित व्यक्ति के बाद, किन्तु पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्याभूत राशि के भुगतान से पूर्व होने की स्थिति में, पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्याभूत राशि या इस प्रकार मरने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों (यथास्थिति) के हिस्से की पॉलिसी द्वारा प्रत्याभूत राशि का भाग, नामिती के वारिसों को या कानूनी प्रतिनिधियों को या यथास्थिति उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र धारक को देय होगा और वे उस राशि के हितलाभ अधिकारी होंगे।

(9) जीवन बीमा पॉलिसी की प्राप्ति में से लेनदारों के अधिकारों को समाप्त करने के लिए या उनमें बाधा के लिए उप धारा (7) और (8) में से कुछ भी लागू नहीं होगा।

(10) उप धारा (7) और (8) के प्रावधान जीवन बीमा की उन सभी पॉलिसियों पर लागू होंगे जो बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने के बाद भुगतान के लिए परिपक्व होंगी।

(11) यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु पॉलिसी की परिपक्वता के बाद होती है, किन्तु उसकी मृत्यु के कारण उसकी पॉलिसी के हितलाभों का भुगतान उसे नहीं किया जा सका है तो उसके नामिती उसकी पॉलिसी की प्राप्ति और हितलाभों के हकदार होंगे।

(12) इस धारा के प्रावधान जीवन बीमा की किसी भी ऐसी पॉलिसी पर लागू नहीं होंगे, जिस पर विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, 1874 की धारा 6 लागू होती है या किसी समय लागू रही है।

बशर्ते कि यदि अपने जीवन का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का या इनमें से किसी का भी बीमा कराने वाले व्यक्ति की पत्नी के पक्ष में बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पूर्व या बाद में किया गया नामांकन इस धारा के अंतर्गत किए गए नामांकन के रूप में अभिव्यक्त है (चाहे वह पॉलिसी के फलक पर हो या नहीं) तो माना जाएगा कि उक्त धारा 6 पॉलिसी पर लागू नहीं होती और न ही उसे पॉलिसी पर लागू किया गया है।

after the person whose life is insured but before the amount secured by the policy is paid, the amount secured by the policy, or so much of the amount secured by the policy as represents the share of the nominee or nominees so dying (as the case may be), shall be payable to the heirs or legal representatives of the nominee or nominees or the holder of a succession certificate, as the case may be, and they shall be beneficially entitled to such amount.

(9) Nothing in sub-sections (7) and (8) shall operate to destroy or impede the right of any creditor to be paid out of the proceeds of any policy of life insurance.

(10) The provisions of sub-sections (7) and (8) shall apply to all policies of life insurance maturing for payment after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.

(11) Where a policyholder dies after the maturity of the policy but the proceeds and benefit of his policy has not been made to him because of his death, in such a case, his nominee shall be entitled to the proceeds and benefit of his policy.

(12) The provisions of this Section shall not apply to any policy of life insurance to which Section 6 of the Married Women's Property Act, 1874, applies or has at any time applied;

Provided that where a nomination made whether before or after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, in favour of the wife of the person who has insured his life or of his wife and children or any of them is expressed, whether or not on the face of the policy, as being made under this Section, the said Section 6 shall be deemed not to apply or not to have applied to the policy.

Annexure 3

परिशिष्ट -3

Section 45 as per the Insurance Act 1938

बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार धारा 45

(1) पॉलिसी की तारीख अर्थात् पॉलिसी जारी करने की तारीख अथवा जोखिम प्रारंभ होने की तारीख अथवा पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख अथवा पॉलिसी में अनुवृद्धि की तारीख (इनमें जो भी बाद में हो) के बाद तीन वर्ष समाप्त हो जाने पर जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा।

(1) No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy, i.e. from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.

(2) A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of

(2) पॉलिसी जारी करने की तारीख अथवा जोखिम प्रारंभ होने की तारीख अथवा पॉलिसी के पुनर्वर्तन की तारीख अथवा पॉलिसी में राइडर की तारीख (इनमें से जो भी बाद में हो) से तीन वर्षों के अंदर जीवन बीमा पॉलिसी पर कपट के आधार पर प्रश्न किया जा सकता है:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को उन सभी आधारों और सामग्री की लिखित सूचना बीमाधारक को, या कानूनी प्रतिनिधियों को, नाभितियों या समनुदेशितियों को देनी होगी, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

व्याख्या - I : इस उप धारा के उद्देश्य के लिए "कपट" का अर्थ बीमाधारक या उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया कोई भी ऐसा निम्नलिखित कार्य होगा जो बीमाकर्ता को ठगने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु प्रभावित करने के लिए किया गया हो:-

ए) ऐसे तथ्य का सुझाव जो सत्य न हो और जिसके सत्य होने पर बीमाधारक को विश्वास न हो;

बी) किसी विश्वास या तथ्य का ज्ञान होने पर भी बीमाधारक द्वारा किसी तथ्य को सक्रियता से छुपाना;

सी) धोखा देने के लिए उपयुक्त कोई अन्य कार्य;

डी) अन्य कोई ऐसी त्रुटि, जिसे कानून विशेष रूप से कपटकारी घोषित करता हो।

व्याख्या - II: बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन को प्रभावित करने की संभावना वाले तथ्यों पर मात्र चुप रहना कपट नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसी न हों कि यदि उन पर विचार किया जाए तो चुप रहना बीमाधारक का या उसके अभिकर्ता का कर्तव्य है या जब तक कि उसका चुप रहना स्वयं में ही बोलने के समान न हो।

(3) उप धारा (2) में चाहे कुछ भी उल्लेख किया गया हो, यदि बीमाधारक यह सिद्ध कर सकता है कि उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार मिथ्या कथन या महत्वपूर्ण तथ्य का छुपाया जाना सही था अथवा तथ्य को जानबूझकर इच्छापूर्वक नहीं छुपाया गया था अथवा महत्वपूर्ण तथ्य का ऐसा मिथ्या कथन या छुपाव बीमाकर्ता की जानकारी में है, तो कोई बीमाकर्ता कपट के आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी पर किए गए दावे को खारिज नहीं करेगा।

बशर्ते कि कपट की स्थिति में, यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है तो उसे गलत साबित करने की जिम्मेदारी लाभार्थियों पर होगी।

व्याख्या : जो व्यक्ति बीमा करार का आग्रह एवं मोल-तोल करता है, उसे करार को बनाने के उद्देश्य के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता समझा जाएगा।

commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later on the ground of fraud:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision is based.

Explanation I- For the purposes of this sub-section, the expression "fraud" means any of the following acts committed by the insured or by his agent, with the intent to deceive the insurer or to induce the insurer to issue a life insurance policy:-

(a) the suggestion, as a fact of that which is not true and which the insured does not believe to be true;

(b) the active concealment of a fact by the insured having knowledge or belief of the fact;

(c) any other act fitted to deceive; and

(d) any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.

Explanation II- Mere silence as to facts likely to affect the assessment of the risk by the insurer is not fraud, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the insured or his agent, keeping silence to speak, or unless his silence is, in itself, equivalent to speak.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), no insurer shall repudiate a life insurance policy on the ground of fraud if the insured can prove that the misstatement of or suppression of a material fact was true to the best of his knowledge and belief or that there was no deliberate intention to suppress the fact or that such misstatement of or suppression of a material fact are within the knowledge of the insurer:

Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholder is not alive.

Explanation - A person who solicits and negotiates a contract of insurance shall be deemed for the purpose of the formation of the contract, to be the agent of the insurer.

(4) A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from

(4) पॉलिसी जारी होने की तारीख से या जोखिम प्रारंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी में राइडर जोड़ने की तारीख से (इनमें जो भी बाद में हो) तीन वर्ष के अंदर बीमा पॉलिसी पर इस आधार पर प्रश्न किया जा सकता है कि प्रस्ताव पत्र में या अन्य किसी दस्तावेज में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या राइडर जारी की गई थी, बीमित व्यक्ति का प्रत्याशित आयु से संबंधित कोई कथन अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को गलत तरीके से छुपाया गया था।

बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति या कानूनी प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों की लिखित सूचना देनी होगी, जिन पर जीवन बीमा पॉलिसी को रद्द करने का निर्णय आधारित है।

यह भी शर्त है कि यदि पॉलिसी को मिथ्या कथन या महत्वपूर्ण तथ्य के छुपाने के आधार पर (और कपट के आधार पर नहीं) रद्द किया जाता है तो पॉलिसी पर रद्द करने की तारीख तक संग्रह की गई प्रीमियम, ऐसे रद्दीकरण की तारीख से 90 दिनों की अवधि में बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधियों को या नामितियों को या समनुदेशितियों को अदा कर दी जाएगी।

व्याख्या : इस उप धारा के उद्देश्य के लिए, मिथ्या कथन को या तथ्य छुपाने को तब तक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाएगा जब तक कि बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए जोखिम पर उसका सीधा प्रभाव न हो। यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी बीमाकर्ता की होगी कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती तो बीमाधारक को जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती।

(5) यदि बीमाकर्ता ऐसा करने के अधिकारी हैं तो इस धारा का कोई प्रावधान बीमाधारक के किसी भी समय आयु का प्रमाण मांगने से बीमाकर्ता को रोक नहीं सकता और किसी भी पॉलिसी को केवल इसलिए प्रश्नचिह्नित नहीं माना जाएगा कि बीमाधारक की आयु प्रस्ताव पत्र में गलत बताने का प्रमाण बाद में मिलने पर, पॉलिसी की शर्तों में समायोजन किया गया है।

the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in the proposal or other document on the basis of which the policy was issued or revived or rider issued:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision to repudiate the policy of life insurance is based:

Provided further that in case of repudiation of the policy on the ground of misstatement or suppression of a material fact, and not on the ground of fraud the premiums collected on the policy till the date of repudiation shall be paid to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured within a period of ninety days from the date of such repudiation.

Explanation - For the purposes of this subsection, the misstatement of or suppression of fact shall not be considered material unless it has a direct bearing on the risk undertaken by the insurer, the onus is on the insurer to show that had the insurer been aware of the said fact no life insurance policy would have been issued to the insured.

(5) Nothing in this Section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life insured was incorrectly stated in the proposal.

कुल भुगतान की गई प्रीमियमों पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य घटक (प्रतिशत में) / Guaranteed Surrender Value factors applicable to total premiums paid (in percentage)																								
पॉलिसी अवधि / Policy Term																								
पॉलिसी वर्ष	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	54.29%	53.75%	53.33%	53.00%	52.73%	52.50%	52.31%	52.14%	52.00%	51.88%	51.76%	51.67%	51.58%	51.50%	51.43%	51.36%	51.30%	51.25%	51.20%	51.15%	51.11%	51.20%	51.15%	51.11%
9	58.57%	57.50%	56.67%	56.00%	55.45%	55.00%	54.62%	54.29%	54.00%	53.75%	53.53%	53.33%	53.16%	53.00%	52.86%	52.73%	52.61%	52.50%	52.40%	52.31%	52.22%	52.40%	52.31%	52.22%
10	62.86%	61.25%	60.00%	59.00%	58.18%	57.50%	56.92%	56.43%	56.00%	55.63%	55.29%	55.00%	54.74%	54.50%	54.29%	54.09%	53.91%	53.75%	53.60%	53.46%	53.33%	53.60%	53.46%	53.33%
11	67.14%	65.00%	63.33%	62.00%	60.91%	60.00%	59.23%	58.57%	58.00%	57.50%	57.06%	56.67%	56.32%	56.00%	55.71%	55.45%	55.22%	55.00%	54.80%	54.62%	54.44%	54.80%	54.62%	54.44%
12	71.43%	68.75%	66.67%	65.00%	63.64%	62.50%	61.54%	60.71%	60.00%	59.38%	58.82%	58.33%	57.89%	57.50%	57.14%	56.82%	56.52%	56.25%	56.00%	55.77%	55.56%	56.00%	55.77%	55.56%
13	75.71%	72.50%	70.00%	68.00%	66.36%	65.00%	63.85%	62.86%	62.00%	61.25%	60.59%	60.00%	59.47%	59.00%	58.57%	58.18%	57.83%	57.50%	57.20%	56.92%	56.67%	57.20%	56.92%	56.67%
14	90.00%	76.25%	73.33%	71.00%	69.09%	67.50%	66.15%	65.00%	64.00%	63.13%	62.35%	61.67%	61.05%	60.50%	60.00%	59.55%	59.13%	58.75%	58.40%	58.08%	57.78%	58.40%	58.08%	57.78%
15	90.00%	90.00%	76.67%	74.00%	71.82%	70.00%	68.46%	67.14%	66.00%	65.00%	64.12%	63.33%	62.63%	62.00%	61.43%	60.91%	60.43%	60.00%	59.60%	59.23%	58.89%	59.60%	59.23%	58.89%

कुल भुगतान की गई प्रीमियमों पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य घटक (प्रतिशत में) / Guaranteed Surrender Value factors applicable to total premiums paid (in percentage)																			
पॉलिसी अवधि / Policy Term																			
16	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
17			90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
18				90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
19					90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
20						90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
21							90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
22								90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
23									90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
24										90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
25											90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
26												90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
27													90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
28														90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
29															90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
30																90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
31																	90.00%	90.00%	90.00%
32																		90.00%	90.00%
33																			90.00%
34																			
35																			

गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक निहित बोनस के लिए लागू (प्रतिशत में) / Guaranteed Surrender Value factors applicable to vested bonuses (in percentage)																																	
पोलिसी अवधि / Policy Term																																	
पोलि- सी वर्ष	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35									
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	3.06%	2.00%	6.01%	6.01%	3.06%	2.00%								
4	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	3.06%	6.01%	6.01%	3.06%	2.00%								
5	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	10.61%	6.01%	6.01%	6.01%								
6	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	10.61%	6.01%	6.01%								
7	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	10.61%	6.01%	6.01%							
8	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	10.61%	6.01%	6.01%						
9	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	10.61%	6.01%	6.01%					
10	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	10.61%	6.01%	6.01%				
11	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	10.61%	6.01%	6.01%			
12	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	10.61%	6.01%	6.01%		
13	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	10.61%	6.01%	6.01%	
14	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	10.61%	6.01%	
15	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	10.61%	

गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक निहित बोनस के लिए लागू (प्रतिशत में) / Guaranteed Surrender Value factors applicable to vested bonuses (in percentage)																							
पॉलिसी अवधि / Policy Term																							
16	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	16.22%	15.93%	15.72%
17		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	16.58%	16.22%	15.93%
18			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	17.03%	16.58%	16.22%
19				35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	17.58%	17.03%	16.58%
20					35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.18%	18.60%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	17.58%	17.03%	16.58%
21						35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.18%	18.60%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	17.58%	17.03%	16.58%
22							35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.18%	18.60%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	17.58%	17.03%	16.58%
23								35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.18%	18.60%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	17.58%	17.03%
24									35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.18%	18.60%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%
25										35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.18%	18.60%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%
26											35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.18%	18.60%	17.85%	17.66%	17.58%	
27												35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.18%	18.60%	17.85%	17.66%	
28													35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.18%	18.60%	17.85%	
29														35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.18%	18.60%	
30															35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.18%	
31																35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	
32																	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	
33																		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	
34																			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	
35																				35.00%	30.00%	27.06%	



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

पृष्ठांकन/Endorsement

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित)
(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)
पंजीकरण संख्या: 512 / Registration Number: 512
एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु और दिव्यांगता हितलाभ राइडर
LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider
(एक व्यक्तिगत, असंबद्ध जीवन राइडर)
(An Individual, Non-Linked Life Rider)
बुआई एन: / UIN: 512B209V02

भाग - ए / PART - A

अग्रेषण पत्र

FORWARDING LETTER

मूल पॉलिसी के अनुसार
As Per the Base Policy

प्रस्तावना

एलआईसी के दुर्घटनावश मृत्यु एवं दिव्यांगता हितलाभ राइडर का यह दस्तावेज, जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, और जिसे पॉलिसी का हिस्सा माना जाएगा, मूल पॉलिसी के लिए पृष्ठांकन है।

अनुसूची में उल्लेखित प्रीमियम और इस पृष्ठांकन में मुद्रित सभी नियम और शर्तें इस राइडर के लिए विशिष्ट हैं। इस राइडर के नियम और शर्तों को मूल पॉलिसी के नियमों और शर्तों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। मूल पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम बीमा सुरक्षा की निरंतरता इस राइडर के अंतर्गत बीमा सुरक्षा की निरंतरता के लिए आवश्यक पूर्व शर्त है। मूल योजना के अंतर्गत हितलाभ इस पृष्ठांकन में उल्लेखित राइडर के नियमों और शर्तों से स्वतंत्र मूल पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अधीन होंगे।

PREAMBLE

This document of LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider, details of which are given in the Schedule below, and which shall be deemed as part of the Policy, is an endorsement to the Base Policy.

The premium mentioned in the Schedule and all the terms and conditions printed in this Endorsement are specific to this Rider. Terms and conditions of this Rider are to be read in conjunction with the terms and conditions of the Base Policy. The continuance of risk cover under the Base Policy is necessary precondition for continuance of cover under this Rider. The benefits under the Base Plan shall be governed by the terms and conditions of the Base Policy independent of terms and conditions of the Rider mentioned in this Endorsement.

मुख्यालय कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE: D093

शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE: 999

पॉलिसी संख्या : Policy Number :		एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु और दिव्यांगता हितलाभ राइडर की आरंभ तिथि : Date of commencement of LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider:	14-11-2024
प्रस्तावक का नाम : Name of the Proposer :		राइडर के लिए जोखिम आरंभ होने की तिथि : Date of commencement of risk for the Rider :	14-11-2024
बीमित व्यक्ति का नाम : Name of Life Assured :		राइडर अवधि : Rider Term :	21
दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि (रु .) : Accident Benefit Sum Assured (Rs) :		प्रीमियम भुगतान अवधि : Premium Paying Term :	21
एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु और एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु और दिव्यांगता हितलाभ राइडर की प्रीमियम (रु .) : LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider Premium (Rs) :	125	एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु और दिव्यांगता हितलाभ राइडर के लिए अंतिम प्रीमियम के भुगतान की देय तिथि : Due Date of payment of Last premium for LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider :	14-05-2045
जन्म तिथि : Date of Birth :	12-02-1990	एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु और दिव्यांगता हितलाभ राइडर की समापन तिथि : Date of expiry of LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider :	14-11-2045
आयु : Age :	35	क्या आयु स्वीकृत है : Whether Age Admitted :	Yes

दिनांक : / Date : 04-12-2024

जाँचकर्ता : / Examined by : 434269

प्रपत्र सं. : / Form No .:

Digitally Signed by : on behalf of LIC of India
Date: 2024.12.04 15:14:58 IST
Reason: Policy Document

कृते . मुख्य / वरिष्ठ / शाखा प्रबंधक
p . Chief / Sr. / Branch Manager

V20.55

इस राइडर दस्तावेज़ में प्रयुक्त शब्दों/पदों की परिभाषाएँ निम्नानुसार हैं:

1. **दुर्घटना** एक अचानक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक घटना है जो बाहरी, हिंसक और दृश्यगत साधनों के कारण होती है।
2. **आयु** इस राइडर के प्रारंभ के समय बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मतिथि की आयु है, सिवाय 18 वर्ष की आयु के जिसके लिए आयु पूर्ण वर्ष में है।
3. **मूल पॉलिसी** से अर्थ उस पॉलिसी से है जिससे यह राइडर दस्तावेज़ संलग्न है।
4. **एलआईसी की दुर्घटना मृत्यु और अपंगता हितलाभ राइडर की आरंभ तिथि** इस राइडर की आरंभ तिथि है।
5. **राइडर के लिए जोखिम प्रारंभ होने की तिथि** वह तिथि है जिस दिन निगम इस राइडर के लिए बीमा (बीमा-सुरक्षा) हेतु जोखिम स्वीकार करता है, जैसा कि राइडर की अनुसूची में प्रमाणित है।
6. **बीमित व्यक्ति** वह व्यक्ति है जिसके जीवन पर इस राइडर के साथ मूल पॉलिसी के लिए बीमा-सुरक्षा स्वीकार की गई है।
7. **सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसी** का अर्थ एकल प्रीमियम पॉलिसी के अलावा असंबद्ध बीमा पॉलिसी से है, जहां प्रीमियम भुगतान अवधि पॉलिसी अवधि की तुलना में सीमित होती है, और प्रीमियम नियमित अंतराल जैसे वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अंतराल पर देय होता है।
8. **पॉलिसीधारक** इस पॉलिसी का वैधानिक स्वामी है।
9. **प्रीमियम भुगतान अवधि** से अर्थ वर्षों में वह अवधि से है जिसके दौरान प्रीमियम देय है।
10. **प्रस्तावक** वह व्यक्ति है जो इस राइडर के साथ मूल पॉलिसी के लिए जीवन बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।
11. **नियमित प्रीमियम पॉलिसी** का अर्थ है असंबद्ध बीमा पॉलिसी, जहां प्रीमियम का भुगतान पॉलिसी की पूरी अवधि या पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान किया जाता है, और प्रीमियम का भुगतान नियमित अंतराल जैसे वार्षिक, अर्ध-वार्षिक, त्रैमासिक, मासिक या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अंतराल पर किया जाता है।
12. **राइडर** का अर्थ है अतिरिक्त प्रीमियम या शुल्क के लिए मूल पॉलिसी में जोड़ी गई बीमा-सुरक्षा।
13. **राइडर अवधि** वह अवधि है, जो पॉलिसीधारक द्वारा वर्षों में चुनी जाती है और अनुसूची में उल्लेखित होती है, जो एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु और अपंगता हितलाभ राइडर की प्रारंभ तिथि से समापन तिथि तक होती है।

The definitions of terms/words used in this Rider Document are as under:

1. **Accident** is a sudden, unforeseen and involuntary event caused by external, violent and visible means.
2. **Age** is the age nearer birthday of the Life Assured at the time of commencement of this Rider except for age 18 yrs for which the age is in completed year.
3. **Base Policy** refers to the Policy to which this Rider Document is attached.
4. **Date of commencement of LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider** is the start date of this Rider.
5. **Date of commencement of risk for Rider** is the date on which the Corporation accepts the risk for insurance (cover) for this Rider as evidenced in the Schedule of the Rider.
6. **Life Assured** is the person on whose life the insurance cover has been accepted for the Base Policy along with this Rider.
7. **Limited Premium Payment Policy** means the non-linked insurance policy other than single premium policy, where the premium payment period is limited compared to the policy term, and premium are payable at regular intervals like yearly, half yearly, quarterly, monthly or any other intervals as approved by the Authority.
8. **Policyholder** is the legal owner of this policy.
9. **Premium Paying Term** means the period, in years, during which the premium is payable.
10. **Proposer** is a person who proposes the life insurance proposal for the Base Policy along with this Rider.
11. **Regular Premium Policy** means non-linked insurance policy, where the premium payment is throughout the term of the policy or premium payment term of the policy, and premiums are payable at regular intervals like yearly, half-yearly, quarterly, monthly or any other interval as approved by the Authority.
12. **Rider** means the insurance cover(s) added to a Base Policy for additional premium or charge.
13. **Rider Term** is the period, in years, as chosen by the policyholder and mentioned in the Schedule, commencing from the Date of commencement till the Date of expiry of LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider.
14. **Schedule** is the part of this Rider document that gives the specific details of your Rider.

14. अनुसूची इस राइडर दस्तावेज का वह हिस्सा है जो आपके राइडर का विशिष्ट विवरण देता है।
15. एकल प्रीमियम पॉलिसी का अर्थ असबद्ध बीमा पॉलिसी से है, जहां प्रीमियम का भुगतान पॉलिसी के प्रारंभ में एकमुश्त किया जाता है।
16. दुर्घटना मृत्यु और अपंगता हितलाभ राइडर प्रीमियम वह प्रीमियम है जो पॉलिसीधारक द्वारा एलआईसी की दुर्घटना मृत्यु और अपंगता हितलाभ राइडर के अंतर्गत चयनित बीमा-सुरक्षा/हितलाभ के लिए मूल पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम के साथ देय होती है।
17. दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि का अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट राशि से है, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा राइडर लेते समय चुना जाता है।

नोट: इस अनुमोदन में कहीं भी प्रयुक्त अन्य शब्दों/शब्दों की परिभाषा के लिए, मूल पॉलिसी में दी गई परिभाषाओं का संदर्भ लिया जा सकता है।

भाग - सी : हितलाभ

1. चालू राइडर के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ देय हैं:

यदि बीमित व्यक्ति इस राइडर के प्रभावी रहने के दौरान किसी समय दुर्घटना से ग्रस्त होता है, और ऐसी चोट के परिणाम स्वरूप उसके होने के 180 दिनों के भीतर (ए) पूर्ण और स्थायी अपंगता, जैसा कि आगे परिभाषित किया गया है, या (बी) बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है; और यह निगम की संतुष्टि के लिए प्रमाणित हो जाता है, तो निम्नलिखित हितलाभ इस पृष्ठांकन के भाग सी की शर्त 4 में उल्लेखित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन देय होंगे।

(ए) बीमित व्यक्ति की अपंगता की स्थिति में:

(i) दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि के बराबर अपंगता हितलाभ, 10 वर्ष की अवधि में समान मासिक किस्तों में विभाजित, का भुगतान किया जाएगा और (ii) भावी प्रीमियम का भुगतान, यदि कोई हो, इस राइडर के संबंध में माफ कर दिया जाएगा और मूल बीमा राशि के अनुरूप मूल पॉलिसी के लिए प्रीमियम दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि के बराबर होगा। अन्य राइडर(रों) के लिए प्रीमियम सहित कुल प्रीमियम, यदि चयनित हो, और मूल बीमा राशि और दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि (यदि मूल बीमा राशि इस राइडर के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि से अधिक है) के बीच के अंतर के अनुरूप मूल पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम, मूल पॉलिसी और राइडर(रों) के नियमों और शर्तों के अनुसार संबंधित हितलाभों के बीमा-सुरक्षा की निरंतरता के लिए भुगतान किया जाना जारी रहेगा।

उक्त 10 वर्ष की अवधि, जिसके दौरान मासिक किस्तों का भुगतान किया जाना है, की समापन से पहले मृत्यु या परिपक्वता

15. **Single Premium Policy** means non-linked insurance policy, where the premium payment is made in lump sum at the inception of the policy.
16. **Accidental Death and Disability Benefit Rider Premium** is the premium payable by the policyholder along with the premium under Base Policy towards the cover/benefit opted under the LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider.
17. **Accident Benefit Sum Assured** means the amount specified in the Schedule as opted by the Policyholder at the time of taking the rider.

Note: For definitions of other terms/words used anywhere in this endorsement, the definitions given in the Base Policy may be referred to.

PART – C: BENEFITS

1. The following benefits are payable under an in-force Rider:

If the Life assured is involved in an accident at any time when this Rider is in-force, and such injury shall within 180 days of its occurrence solely, directly and independently of all other causes result in (a) either Total and Permanent disability, as hereinafter defined or (b) death of the Life assured; and the same is proved to the satisfaction of the Corporation, the following benefits shall be payable subject to 'Conditions and Restrictions' mentioned in Condition 4 of Part C of this Endorsement.

(a) In case of Disability to the Life Assured:

(i) Disability Benefit equal to the Accident Benefit Sum Assured, divided into equal monthly instalments spread over a period of 10 years, shall be paid and (ii) the payment of future premiums, if any, shall also be waived in respect of this Rider and the premium for Base Policy corresponding to Basic Sum Assured equal to Accident Benefit Sum Assured. The total premium including the premium for other rider(s), if opted for, and premium under the Base Policy corresponding to the difference in the Basic Sum Assured and the Accident Benefit Sum Assured (if Basic Sum Assured exceeds the Accident Benefit Sum Assured under this Rider), shall continue to be paid for continuity of coverage of respective benefits as per the terms and conditions of the Base Policy and Rider(s).

On death or maturity before the expiry of the said period of 10 years, during which monthly instalments are to be paid, the Disability Benefit instalments, which have not fallen due, will be paid in lumpsum.

(i) पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध हितलाभ उस तिथि से कम हो जाएंगे जैसे कि पॉलिसी बंद कर दी गई हो, जिस तिथि से प्रीमियम माफ की गई हो या अपंगता हितलाभ की पहली किस्त का भुगतान किया गया हो, जो भी पहले हो, और

(ii) पहले से भुगतान की गई अपंगता हितलाभ की किस्तों को उक्त पॉलिसी के विरुद्ध ऋण माना जाएगा और पॉलिसी की आय से निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर ब्याज के साथ कटौती की जाएगी।

अपंगता हितलाभ की कोई भी अतिरिक्त किस्त देय नहीं होगी, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि कोई अपंगता हुई ही नहीं थी।

(बी) बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में:

इस राइडर के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर राशि देय होगी। हालाँकि, राइडर दुर्घटना के समय चालू होना चाहिए (अर्थात् दुर्घटना की तिथि तक सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया जाना चाहिए)।

(सी) परिपक्वता हितलाभ:

इस राइडर के अंतर्गत कोई परिपक्वता हितलाभ देय नहीं है।

2. प्रीमियम का भुगतान:

(ए) दुर्घटना मृत्यु और अपंगता हितलाभ राइडर प्रीमियम, समय-समय पर लागू करों सहित, केवल मूल पॉलिसी के प्रीमियम के साथ देय है और इसका अलग से भुगतान नहीं किया जा सकता है।

(बी) एक बार एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु और अपंगता हितलाभ राइडर के अंतर्गत अपंगता का दावा स्वीकार कर लिया जाता है, तो इस राइडर के लिए कोई भी प्रीमियम नहीं ली जाएगी। हालाँकि, अन्य राइडर (यदि चयनित हो) के लिए प्रीमियम सहित कुल प्रीमियम, और मूल बीमा राशि और दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि (यदि मूल बीमा राशि इस राइडर के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि से अधिक है) के अंतर के अनुरूप मूल पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम, मूल पॉलिसी और राइडर(रों) के नियमों और शर्तों के अनुसार संबंधित हितलाभों की बीमा-सुरक्षा की निरंतरता के लिए भुगतान किया जाना जारी रहेगा।

(सी) इस राइडर के संबंध में भुगतान की गई अतिरिक्त प्रीमियम मूल पॉलिसी के मृत्यु हितलाभ के निर्धारण और मूल पॉलिसी के समर्पण मूल्य की गणना में शामिल नहीं की जाएगी।

3. रियायती अवधि: मूल पॉलिसी के अंतर्गत उल्लेखित किए अनुसार

4. शर्तें और प्रतिबंध:

(ए) इस राइडर के प्रयोजन के लिए दुर्घटना इस पृष्ठांकन के भाग बी में परिभाषित है।

(बी) यह राइडर पॉलिसी के अंतर्गत अवयस्कों के जीवन पर, बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान उपलब्ध नहीं होगा। हालाँकि, यह राइडर 18 वर्ष की आयु पूरी होने के

(i) the benefits available under the policy shall stand reduced as if the policy has been discontinued as on the date from which premiums have been waived or on the payment of the first instalment of Disability Benefit, whichever is earlier and

(ii) the instalments of Disability Benefit already paid shall be treated as a debt against the said policy and shall be deducted with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time from the proceeds of the policy.

No further instalment/s of Disability Benefit shall be payable considering as if no disability had occurred.

(b) In case of Death of the Life Assured:

A sum equal to the Accident Benefit Sum Assured shall be payable under this Rider. However, the Rider shall have to be in-force at the time of accident (i.e. all due premiums should have been paid as on the date of accident).

(c) Maturity Benefit:

No maturity benefit is payable under this Rider.

2. Payment of Premium:

(a) The Accidental Death and Disability Benefit Rider premium, including the taxes as applicable from time to time, is payable only along with the premium for the Base Policy and cannot be paid separately.

(b) Once a disability claim under LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider has been admitted, no subsequent premium towards this Rider shall be charged. However, the total premium including the premium for other rider(s), if opted for, and premium under the Base Policy corresponding to the difference in the Basic Sum Assured and the Accident Benefit Sum Assured (if Basic Sum Assured exceeds the Accident Benefit Sum Assured under this Rider), shall continue to be paid for continuity of coverage of respective benefits as per the terms and conditions of the Base Policy and Rider(s).

(c) The additional premium paid in respect of this Rider shall not be taken into account for determination of Death Benefit of the Base Policy and in calculating the surrender value of the Base Policy.

3. Grace period: Same as mentioned under the Base Policy

4. Conditions and restrictions:

(a) An Accident for the purpose of this Rider is as defined in Part B of this Endorsement.

(b) This Rider will not be available under the policy on the life of minors, during minority of the Life Assured. However, this Rider will

बाद पॉलिसी की वर्षगांठ से उपलब्ध होगा, यदि निगम के बीमांकन नियमों के अनुसार पात्र पाया जाता है, तो विशेष अनुरोध प्राप्त होने और अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने पर राइडर उपलब्ध होगा।

(सी) जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसी चालू पॉलिसी के अंतर्गत एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु और अपंगता हितलाभ राइडर को मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके चुना जा सकता है, बशर्ते कि मूल पॉलिसी और राइडर की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम पांच वर्ष हो, लेकिन पॉलिसी की वर्षगांठ से पहले, जिस पर बीमित व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत बीमा-सुरक्षित हितलाभ मूल पॉलिसी की बकाया पॉलिसी अवधि के दौरान या पॉलिसी की वर्षगांठ तक उपलब्ध होगा, जिस पर बीमित व्यक्ति की उम्र 70 वर्ष हो, जो भी पहले हो, बशर्ते कि पॉलिसी दुर्घटना की तिथि को चालू हो।

(डी) इस राइडर के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान मूल पॉलिसी के अंतर्गत सभी प्रीमियमों के भुगतान के बाद या पॉलिसी की वर्षगांठ के बाद, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मतिथि 70 वर्ष है, जो भी पहले हो, करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, मूल पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम, जिसके साथ यह राइडर जुड़ा हुआ है, पॉलिसी अवधि के अंत तक 70 वर्ष की आयु के बाद भी भुगतान किया जाना जारी रहेगा, जहाँ भी लागू हो।

(ई) दुर्घटना हितलाभ बीमा-सुरक्षा की अधिकतम समग्र सीमा निम्नानुसार होगी:

i) **एलआईसी का जीवन शिरोमणि, न्यूनतम मूल बीमा राशि 100 लाख रुपए के साथ**

भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ ली गई व्यक्तिगत पॉलिसियों के साथ-साथ समूह पॉलिसियों, जिन पर निम्नलिखित हितलाभ लागू होते हैं, के अंतर्गत अंतर्निहित दुर्घटना हितलाभ वाली पॉलिसियों सहित सभी पॉलिसियों के अंतर्गत बीमा की अधिकतम कुल सीमा किसी भी स्थिति में दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि (एलआईसी के जीवन शिरोमणि सहित) के 200 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। यदि एक से अधिक पॉलिसियाँ हों और कुल दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि 200 लाख रुपए से अधिक हो (एलआईसी की जीवन शिरोमणि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत न्यूनतम 100 लाख रुपए सहित) ये हितलाभ जारी की गई पॉलिसियों की तिथि के क्रम में प्रथम 200 लाख रुपए की दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि पर लागू होंगे।

ii) **अन्य सभी योजनाओं के लिए (एलआईसी की जीवन शिरोमणि को छोड़कर):**

भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ ली गई व्यक्तिगत

be available from the policy anniversary following completion of age 18 years on receipt of specific request and payment of additional premium, if found eligible as per the underwriting rules of the Corporation.

(c) Subject to as stated above, under an in-force policy the LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider can be opted for by payment of additional premium at any time within the premium paying term of the Base Policy provided, the outstanding premium paying term of the Base Policy as well as Rider is atleast five years but before the policy anniversary on which the age nearer birthday of the Life Assured is 65 years. The benefit covered under this rider will be available during the outstanding policy term of the Base Policy, or upto the policy anniversary on which the age nearer birthday of the Life Assured is 70 years, whichever is earlier, provided the Policy is in-force as on date of accident.

(d) The additional premium for this Rider will not be required to be paid after all premiums under the Base Policy have been paid or on and after the policy anniversary on which the age nearer birthday of the Life Assured is 70 years, whichever is earlier. However, the premium under the Base Policy with which this rider is attached shall continue to be paid beyond age 70 years till the end of policy term, wherever applicable.

(e) The maximum aggregate limit of Accident Benefit cover shall be as under:

i) **For LIC's Jeevan Shiromani with minimum Basic Sum Assured of Rs. 100 lakhs**

The maximum aggregate limit of assurance under all policies including policies with in-built Accident Benefit taken with Life Insurance Corporation of India under individual policies as well as group policies on the same life to which following benefits apply shall not in any event exceed Rs.200 lakhs of Accident Benefit Sum Assured (including LIC's Jeevan Shiromani). If there be more policies than one and if the total Accident Benefit Sum Assured exceeds Rs. 200 lakhs (including a minimum of 100 lakhs under LIC's Jeevan Shiromani) the benefits shall apply to the first Rs. 200 lakhs Accident Benefit Sum Assured in order of date of policies issued.

ii) **For all other plans (excluding LIC's Jeevan Shiromani):**

The maximum aggregate limit of assurance

पॉलिसियों के साथ-साथ समूह पॉलिसियों सहित सभी पॉलिसियों के अंतर्गत बीमा की अधिकतम कुल सीमा, जिस पर निम्नलिखित हितलाभ लागू होते हैं, किसी भी स्थिति में दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि के 100 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। यदि एक से अधिक पॉलिसियाँ हैं और यदि कुल दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि 100 लाख रुपए से अधिक है, तो हितलाभ जारी की गई पॉलिसियों की तिथि के क्रम में पहले 100 लाख रुपए की दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि पर लागू होंगे।

उपरोक्त शर्त 4.(ई) i) के अंतर्गत ली गई पॉलिसियों सहित किसी व्यक्ति को दी जाने वाली अधिकतम दुर्घटना हितलाभ बीमा-सुरक्षा राशि 200 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

(एफ) अपवर्जन:

यदि बीमित व्यक्ति की अपंगता या मृत्यु निम्नांकित कारणों से होती है, तो निगम उपरोक्त भाग सी की शर्त 1.(ए) या 1.(बी) में निर्दिष्ट हितलाभों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा:

- (i) जानबूझकर खुद को चोट पहुँचाना, आत्महत्या का प्रयास करना, पागलपन या अनैतिकता के कारण या जब बीमित व्यक्ति मादक शराब, मादक पदार्थ या दवा के प्रभाव या सेवन में हो (जब तक कि यह उपचार के भाग के रूप में डॉक्टर द्वारा निर्धारित न किया गया हो); या
- (ii) दंगों, नागरिक उपद्रव, विद्रोह, युद्ध (चाहे युद्ध घोषित हो या न हो), आक्रमण, शिकार, पर्वतारोहण, ऊँचे शिखरों की चढ़ाई, किसी भी प्रकार की दौड़, पैरामाउण्डिंग या पैराशूटिंग, साहसिक खेलों में भाग लेने से उत्पन्न चोटें; या
- (iii) बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक इरादे से कोई आपराधिक कृत्य करना; या
- (iv) ए) सशस्त्र बलों या सैन्य सेवा में बीमित व्यक्ति के रोजगार से। यह अपवर्जन तब लागू नहीं होता है, जब बीमित व्यक्ति उस समय दुर्घटना में शामिल था, जब वह ड्यूटी पर नहीं था, या हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के दौरान किसी बचाव अभियान में शामिल था; या
बी) अर्धसैनिक बलों के अलावा किसी अन्य पुलिस संगठन में पुलिस ड्यूटी (जिसमें प्रशासनिक कार्य शामिल नहीं हैं) में लगे होने से। यह अपवर्जन तब लागू नहीं होता है जब पुलिस ड्यूटी में लगे रहने के दौरान दुर्घटना से उत्पन्न होने वाली आकस्मिक मृत्यु और अपंगता हितलाभ को कवर करने का विकल्प चुना गया हो; या
- (v) बीमित व्यक्ति की दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के बाद घटित होना।

under all policies including policies with in-built Accident Benefit taken with Life Insurance Corporation of India under individual policies as well as group policies on the same life to which following benefits apply shall not in any event exceed Rs.100 lakhs of Accident Benefit Sum Assured. If there be more policies than one and if the total Accident Benefit Sum Assured exceeds Rs. 100 lakhs, the benefits shall apply to the first Rs. 100 lakhs Accident Benefit Sum Assured in order of date of policies issued.

In any case, the maximum Accident Benefit cover offered to an individual including the policies taken under Condition 4.(e).i) above, will not exceed Rs. 200 lakhs.

(f) Exclusions:

The Corporation shall not be liable to pay the benefits as specified in Condition 1.(a) or 1.(b) of Part C above, if the disability or the death of the Life Assured shall:

- (i) be caused by intentional self injury, attempted suicide, insanity or immorality or whilst the Life Assured is under the influence or consumption of intoxicating liquor, narcotic or drug (unless prescribed by doctor as a part of treatment); or
- (ii) be caused by injuries resulting from taking any part in riots, civil commotion, rebellion, war (whether war be declared or not), invasion, hunting, mountaineering, steeple chasing, racing of any kind, paragliding or parachuting, taking part in adventurous sports; or
- (iii) result from the Life Assured committing any criminal act with criminal intent; or
- (iv) a) arise from employment of the Life Assured in the armed forces or military service. This exclusion is not applicable if the Life Assured was involved in an accident when he is not on duty or was involved in any rescue operations while combating natural calamities in our country; or
b) arise from being engaged in police duty (which excludes administrative assignments) in any police organization other than paramilitary forces. This exclusion is not applicable where the option to cover Accidental Death and Disability Benefit arising on accident while engaged in police duty, has been chosen; or
- (v) occur after 180 days from the date of accident of the Life Assured.

भाग - डी : सेवा पहलुओं से संबंधित शर्तें

1. आयु का प्रमाण: मूल पॉलिसी के अंतर्गत उल्लेखित अनुसार।
2. जल्दी और गैर-जल्दी विनियम:

कुछ अन्य घटनाओं में जल्दी: मूल पॉलिसी के अंतर्गत उल्लेखित अनुसार।

गैर-जल्दी विनियम: ये प्रावधान इस राइडर पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कोई चुकता मूल्य नहीं होता है और यदि मूल पॉलिसी पूर्ण/चुकता स्थिति में है, तो राइडर हितलाभ लागू होना बंद हो जाता है।

3. पूर्ण हो चुकी पॉलिसियों का पुनर्चलन: राइडर के पुनर्चलन पर मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही विचार किया जाएगा और निगम की बीमांकन नीति के अनुसार इसे पुनर्चलित किया जाएगा। नियम और शर्तें मूल पॉलिसी दस्तावेज़ के भाग डी में "पूर्ण हो चुकी पॉलिसियों के पुनर्चलन" के अंतर्गत उल्लेखित हैं।

4. अभ्यर्पण मूल्य: इस राइडर में कोई चुकता मूल्य नहीं होगा और इस राइडर के अंतर्गत कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा। हालाँकि, यदि इस राइडर को चुना गया है और जिस मूल पॉलिसी से यह राइडर जुड़ा हुआ है, उसे अभ्यर्पित करने पर, बशर्ते कि इस राइडर और मूल पॉलिसी के संबंध में सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो और मूल पॉलिसी ने अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त कर लिया हो, तो

प्रीमियम भुगतान अवधि के बाद बीमा-सुरक्षा के संबंध में ली गई अतिरिक्त राइडर प्रीमियम निम्नानुसार वापस की जाएगी:

नियमित प्रीमियम पॉलिसी: कुछ भी वापस नहीं किया जाएगा।

एकल प्रीमियम पॉलिसी: राइडर एकल प्रीमियम का 90%* (इस राइडर के लिए पूर्ण वर्षों में बकाया अवधि / राइडर अवधि)

सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसी:

प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान: 80%* (प्रति 1000 रुपए दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि पर वार्षिक राइडर प्रीमियम-1)* (दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि/1000)* (उन वर्षों की संख्या जिनके लिए इस राइडर के संबंध में प्रीमियम का भुगतान किया गया है)

प्रीमियम भुगतान अवधि के बाद : 80%* (प्रति 1000 रुपए दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि के लिए वार्षिक राइडर प्रीमियम-1)* (दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि/1000)* (राइडर के लिए प्रीमियम भुगतान अवधि)* (पूर्ण वर्षों में राइडर के लिए बकाया अवधि/(राइडर अवधि - राइडर के लिए प्रीमियम भुगतान अवधि))

उपरोक्त एकल प्रीमियम या वार्षिक राइडर प्रीमियम में कर शामिल नहीं है।

नोट: चिन्ह (*) गुणन को दर्शाता है तथा चिन्ह (/) भाग को

PART - D: CONDITIONS RELATED TO SERVICING ASPECTS

1. **Proof of Age:** Same as mentioned under the Base Policy.

2. **Forfeiture and Non-forfeiture Regulations:**

Forfeiture in Certain Other Events: Same as mentioned under the Base Policy.

Non-forfeiture Regulations: These provisions do not apply to this Rider as it does not acquire any paid up value and the Rider benefit ceases to apply, if Base policy is in lapsed/paid-up condition.

3. **Revival of lapsed Policies:** The revival of the Rider will be considered along with the revival of the Base Policy and shall be revived in accordance with the Underwriting policy of the Corporation. The terms and conditions are as mentioned under "Revival of Lapsed Policies" in Part D of the Base Policy Document.

4. **Surrender Value:** This rider shall not acquire any Paid-up Value and no Surrender Value will be available under this rider. However, if this rider has been opted for and on surrender of the base policy to which this rider is attached, provided all the due premiums in respect of this rider and the base policy have been paid and the base policy has acquired surrender value, additional rider premium charged in respect of cover after premium paying term shall be refunded as follows:

Regular premium policy: Nothing shall be refunded.

Single premium policy: 90% of rider single premium * (outstanding term for this rider in complete years / Rider term)

Limited premium paying policy:

During Premium Paying Term: 80% * (annualised rider premium per Rs. 1000 Accident Benefit Sum Assured - 1) * (Accident Benefit Sum Assured / 1000) * (Number of years for which premiums in respect of this rider have been paid)

After Premium Paying Term: 80% * (annualised rider premium per Rs. 1000 Accident Benefit Sum Assured - 1) * (Accident Benefit Sum Assured / 1000) * (Premium paying term for the rider) * (outstanding term for the rider in complete years / (Rider term - Premium paying term for the rider))

Where single premium or annualized rider premium mentioned above excludes taxes.

दर्शाता है।

5. ऋण: इस राइडर के अंतर्गत कोई ऋण नहीं दिया जाएगा।

6. एलआईसी के आकस्मिक मृत्यु और अपंगता हितलाभ राइडर की समापन:

एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु एवं अपंगता हितलाभ राइडर के अंतर्गत बीमा-सुरक्षा निम्नलिखित तिथियों पर समाप्त हो जाएगी:

ए) बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर।

बी) पूर्ण एवं स्थायी अपंगता की स्थिति में अपंगता हितलाभ की अंतिम किस्त के भुगतान पर।

सी) एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु और अपंगता हितलाभ राइडर की समापन की तिथि (अनुसूची में उल्लेखित अनुसार)।

डी) वह तिथि, जिस पर मूल पॉलिसी, जिससे राइडर जुड़ा हुआ है, समाप्त हो जाती है या चुकता पॉलिसी में परिवर्तित हो जाती है।

ई) इस राइडर के लिए निशुल्क अवलोकन निरस्तीकरण राशि का भुगतान हो जाने पर।

यदि अपंगता हितलाभ का दावा इस राइडर के अंतर्गत स्वीकार कर लिया जाता है और बाद में पॉलिसीधारक द्वारा मूल पॉलिसी को अभ्यर्पित कर दिया जाता है, तो अपंगता हितलाभ की किस्तों, यदि कोई हों, का भुगतान इस राइडर के अंतर्गत अपंगता हितलाभ के प्रावधानों के अनुसार जारी रहेगा।

7. निशुल्क अवलोकन अवधि:

निशुल्क अवलोकन अवधि के दौरान, यदि पॉलिसीधारक राइडर के "नियमों और शर्तों" से संतुष्ट नहीं है, तो राइडर पृष्ठांकन के साथ मूल पॉलिसी दस्तावेज़ को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से राइडर पृष्ठांकन की प्राप्ति की तिथि, जो भी पहले हो, से 30 दिनों के भीतर आपत्तियों का कारण बताते हुए निगम को वापस किया जा सकता है। इसके प्राप्त होने पर निगम राइडर को निरस्त कर देगा और इस राइडर के लिए जमा की गई प्रीमियम की राशि को उसमें से बीमा-सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (इस राइडर के लिए), राइडर को शामिल करने के कारण चिकित्सा जांच (विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो) पर किए गए खर्च और स्टाम्प ड्यूटी शुल्क की कटौती करने के बाद वापस कर देगा।

Note: Symbol (*) denotes multiplication and symbol (/) denotes division.

5. Loan: No loan will be granted under this Rider

6. Termination of LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider:

The cover under LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider will terminate on the earliest of:

a) On death of the Life Assured.

b) On payment of final instalment of disability benefit in case of total and permanent disability.

c) The date of expiry of the LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider (as mentioned in the Schedule).

d) The date on which the Base Policy to which the Rider is attached terminates or is converted into a paid up policy.

e) On payment of Free Look cancellation amount for this Rider.

If Disability Benefit claim is admitted under this Rider and the Base Policy is surrendered subsequently by the policyholder, the Disability Benefit instalments, if any, shall continue to be paid as per the provisions of Disability Benefit under this Rider.

7. Free look period:

During the Free Look period, if the policyholder is not satisfied with the "Terms and Conditions" of the Rider, the Rider Endorsement along with Base Policy document may be returned to the Corporation within 30 days from the date of receipt of the the electronic or physical mode of Rider Endorsement, whichever is earlier, stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the Rider and return the amount of premium deposited for this Rider after deducting the proportionate risk premium (for this Rider) for the period of cover, expenses incurred on medical examination (including special reports, if any) on account of Rider inclusion and stamp duty charges.

भाग - एफ : अन्य नियम और शर्तें

1. **समनुदेशन और नामांकन:** मूल पॉलिसी के अंतर्गत उल्लेख किए अनुसार।

2. **कर:**

भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा ऐसे बीमा राइडरों पर लगाए गए वैधानिक कर, यदि कोई हों, समय-समय पर लागू कर कानूनों और कर की दर के अनुसार होंगे।

प्रचलित दरों के अनुसार देय लागू करों की राशि, पॉलिसीधारक द्वारा प्रीमियम पर देय होगी, जिसमें अतिरिक्त प्रीमियम शामिल हैं, जिन्हें पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अतिरिक्त अलग से लिया जाएगा। राइडर के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना के लिए भुगतान किए गए कर की राशि पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. **दुर्घटना दावे के लिए सामान्य आवश्यकताएँ:**

मूल पॉलिसी में वर्णित दावा प्रावधानों के अतिरिक्त, दुर्घटना मृत्यु हितलाभ और अपंगता दावे पर विचार करने के लिए, निम्नलिखित सूची से लागू विवरण मांगे जा सकते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन परिस्थितियों में मृत्यु/अपंगता हुई है:-

- 1) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की प्रमाणित प्रति
- 2) पुलिस जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति
- 3) पंचनामे की प्रति
- 4) मृत्यु का संभावित कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यदि पोस्टमार्टम में विसरा सुरक्षित रखा जाता है, तो रासायनिक विश्लेषक रिपोर्ट से यह पता लगाया जाता है कि कहीं भीमित व्यक्ति द्वारा शराब, नशीली दवाओं, नार्कोटिक्स या जहर का सेवन तो नहीं किया गया था।
- 5) समाचार पत्रों की कटिंग, जिसमें दुर्घटना की सूचना हो।
- 6) यदि मृत्यु वाहन दुर्घटना के कारण हुई हो, तो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति, यदि वाहन बीमाधारक द्वारा चलाया जा रहा था।
- 7) सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट का मृत्यु के बारे में अंतिम निर्णय - इससे मृत्यु को प्राकृतिक/आत्महत्या/दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- 8) जब दुर्घटना ऐसी हो, जिसकी सूचना पुलिस प्राधिकारियों

PART - F: OTHER TERMS AND CONDITIONS

1. **Assignments and Nominations:** Same as mentioned under the Base Policy.

2. **Tax:**

Statutory Taxes, if any, imposed on such insurance Riders by the Government of India or any other Constitutional Tax Authority of India shall be as per the Tax laws and the rate of tax as applicable from time to time.

The amount of applicable taxes payable as per the prevailing rates, shall be payable by the policyholder on premiums including extra premiums, which shall be collected separately over and above in addition to the premiums payable by the policyholder. The amount of Tax paid shall not be considered for the calculation of benefits payable under the Rider.

3. **Normal requirements for accidental claim:**

In addition to the Claim provisions as stated in the Base Policy, for considering accidental death benefit and disability claim, the applicable statements from the following list may be called to ascertain circumstances under which death / disability took place:-

- 1) A certified copy of first information report (FIR).
- 2) A certified copy of police inquest report.
- 3) Copy of panchanama.
- 4) Post mortem report to know the probable cause of death. If viscera is preserved in post mortem, then chemical analyzer report to know the contents i.e. whether life assured has consumed liquor, drugs, narcotics or poison.
- 5) News paper cuttings where accident is reported.
- 6) If death is due to vehicle accident, then copy of driving licence, if life assured was driving the vehicle.
- 7) Sub-divisional magistrate final verdict about death- this will give classification of death as 'natural/suicide/accidental'
- 8) When accident is not reported to police authorities, like death due to dog or snake bite.

को नहीं दी जाती है, जैसे कुत्ते या सांप के काटने से मृत्यु, तो वैकल्पिक प्रमाण, जैसे प्रत्यक्षदर्शी का बयान, ग्रामसेवक या सरकारी अधिकारी का हलफनामा, हमारी अपनी जांच रिपोर्ट, उपस्थित चिकित्सक या अस्पताल की रिपोर्ट पर्याप्त हो सकती है।

9) अस्पताल उपचार रिकॉर्ड, आदि।

पॉलिसी धारक या दावेदार, जहां भी लागू हो, को बीमाधारक के साथ घटित घटना के बारे में निगम को यथाशीघ्र सूचित करना आवश्यक है, भले ही पॉलिसी के अंतर्गत दावा ही क्यों न हुआ हो।

अपंगता हितलाभ का दावा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएँ:

अपंगता होने के बाद, इसका पूरा विवरण निगम के उस कार्यालय को लिखित रूप में दिया जाना चाहिए, जहाँ इस पॉलिसी के लिए सेवा प्रदान की जाती है, साथ ही बीमित व्यक्ति का पते और ठिकाने की जानकारी निगम के सेवा कार्यालय को, निगम द्वारा अपेक्षित तरीके से, निगम को संतोषजनक अपंगता के प्रमाण के साथ और निगम को बिना किसी खर्च के दिया जाना चाहिए। निगम द्वारा अधिकृत चिकित्सा परीक्षक द्वारा बीमाधारक की जाँच की जाएगी और सूचना के बाद दावा की गई किसी भी अपंगता के संबंध में उसे प्रमाणित किया जाएगा। आवश्यकता होने पर मामले दर मामले के आधार पर अपंगता की निरंतरता को प्रमाणित करने के लिए आगे चिकित्सा जाँच की जा सकती है।

निगम द्वारा राइडर दावे के मूल्यांकन के लिए किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।

4. विधायी परिवर्तन:

इस राइडर के अंतर्गत देय प्रीमियम और हितलाभ सहित नियम और शर्तें प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

then alternate proofs such as statement of eye witness, affidavit of gramsevak or government officials, our own enquiry report, attending physician or hospital reports may be sufficient.

9) Hospital treatment records, etc.

Policy holder or the claimant, as applicable, is required to intimate the Corporation about the happening of the insured even resulting into a claim under the policy, at the earliest possible time.

Additional requirements for claiming Disability Benefit:

After the happening of the disability, full particulars thereof must be given in writing to the office of the Corporation where this Policy is serviced together with the then address and whereabouts of the Life Assured must be given to the servicing Office of the Corporation, in the manner required by it, proof of disability satisfactory to the Corporation and without any expense to the Corporation. Medical Examiner authorized by the Corporation shall examine the Life Assured and certify in respect of any disability claimed after the intimation. Further medical examination may be done to validate the continuity of disability on case to case basis, if required.

The Corporation reserves the right to call for any additional requirement for the assessment of Rider claim.

4. Legislative Changes:

The Terms and Conditions including the premiums and benefits payable under this Rider are subject to variation in accordance with the relevant Legislation & Regulations.

बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 45:

मूल पॉलिसी के अंतर्गत उल्लेख किए अनुसार।

शिकायत निवारण तंत्र:

मूल पॉलिसी के अंतर्गत उल्लेख किए अनुसार।

टिप्पणी:

- इस दस्तावेज़ में उल्लेखित नियमों और शर्तों की व्याख्या के संबंध में विवाद की स्थिति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
- इस अनुमोदन में उल्लेखित शर्तों को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि मूल पॉलिसी में उल्लेखित शर्तों के साथ सहमति में पढ़ा जाना चाहिए।

आपसे अनुरोध है कि इस पृष्ठांकन की जांच करें, और यदि इसमें कोई गलती पाई जाए तो इसे सुधार के लिए तुरंत वापस कर दें।

Section 45 of Insurance Act, 1938:

Same as mentioned under the Base Policy.

Grievance Redressal Mechanism:

Same as mentioned under the Base Policy.

Note:

- In case of dispute in respect of interpretation of terms and conditions mentioned in this Document, the English version shall stand valid.
- The conditions mentioned in this endorsement are not to be read in isolation but in agreement with the conditions mentioned in the Base Policy.

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS ENDORSEMENT, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.

**LIC**भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA**भारतीय जीवन बीमा निगम**
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित)
(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)**Endorsement**

पंजीकरण संख्या: 512 / Registration Number: 512

एलआईसी का नया टर्म एश्योरेन्स राइडर (एक व्यक्तिगत, जीवन, नॉन-लिंक्ड, टर्म एश्योरेन्स राइडर)
LIC'S NEW TERM ASSURANCE RIDER (A Individual, Life, Non-linked, Term Assurance Rider)

यूआईएन/ UIN: 512B210V02

भाग - अ / PART - A**अग्रेषण पत्र / FORWARDING LETTER**मूल पॉलिसी के अनुसार / As Per the Base Policy.**प्रस्तावना / PREAMBLE**

एलआईसी के इस नया टर्म एश्योरेन्स राइडर दस्तावेज, जिसका विवरण नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है, तथा जिसे पॉलिसी का एक अंग माना जाएगा, मूल पॉलिसी का एक पृष्ठांकन है।

अनुसूची में उल्लिखित प्रीमियम तथा इस पृष्ठांकन में मुद्रित सभी नियम व शर्तें इस राइडर के लिए विशिष्ट हैं। इस राइडर के नियमों व शर्तों को मूल पॉलिसी के नियमों और शर्तों के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। इस राइडर के अंतर्गत संरक्षण के जारी रहने के लिए मूल पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम संरक्षण का जारी रहना एक आवश्यक पूर्वपक्ष है। मूल प्लान के अंतर्गत हितलाभ मूल पॉलिसी के नियमों व शर्तों के अधीन होंगे तथा वे इस पृष्ठांकन में उल्लेख किए गए राइडर के नियमों तथा शर्तों से स्वतंत्र होंगे।

This document of LIC's New Term Assurance Rider, details of which are given in the Schedule below, and which shall be deemed as a part of the Policy, is an endorsement to the Base Policy.

The premium mentioned in the Schedule and all the terms and conditions printed in this Endorsement are specific to this Rider. Terms and conditions of this Rider are to be read in conjunction with the terms and conditions of the Base Policy. The continuance of risk cover under the Base Policy is necessary precondition for continuance of cover under this Rider. The benefits under the Base Plan shall be governed by the terms and conditions of the Base Policy independent of terms and conditions of the Rider mentioned in this Endorsement.

अनुसूची / SCHEDULE

मण्डल कार्यालय : / DIVISIONAL OFFICE: D093

शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE: 999

पॉलिसी संख्या Policy Number		क्या उम्र स्वीकृत है : Whether Age Admitted:	Yes
प्रस्तावक का नाम : Name of the Proposer :		क्या एकल प्रीमियम / नियमित प्रीमियम / सीमित प्रीमियम भुगतान को 'कुना गया है ? Whether Single Premium / Regular Premium / Limited Premium payment opted for ?	Regular
बीमित व्यक्ति का नाम : Name of Life Assured :		एलआईसी के नए टर्म एश्योरेन्स राइडर के आरंभ होने की तिथि : Date of commencement of LIC's New Term Assurance Rider :	14-11-2024
टर्म एश्योरेन्स राइडर बीमा राशि (रु.): Term Assurance Rider Sum Assured (Rs) :	250000	राइडर के लिए जोखिम के आरंभ होने की तिथि : Date of commencement of risk for Rider :	14-11-2024
टर्म एश्योरेन्स राइडर प्रीमियम (रु.): Term Assurance Rider Premium (Rs):	501.18	राइडर की अवधि : Rider Term :	21
जन्म तिथि : Date of Birth :	12-02-1990	एलआईसी के नए टर्म एश्योरेन्स राइडर के अंतिम प्रीमियम के भुगतान की देय तिथि : Due Date of payment of Last premium of LIC's New Term Assurance Rider:	14-05-2045
आयु: Age :	35	एलआईसी के नए टर्म राइडर एश्योरेन्स राइडर की समाप्ति की तिथि : Date of expiry of LIC's New Term Assurance Rider :	14-11-2045

दिनांक / Date : 04-12-2024

जाँचकर्ता / Examined by : 434269

प्रपत्र सं. / Form No. :

Digitally Signed by : on behalf of LIC of India
Date: 2024.12.04 15:14:57 IST
Reason: Policy Document

कृते, मुख्य / वरिष्ठ / शाखा प्रबंधक
Chief / Sr. / Branch Manager

V20.55

भाग - बी: परिभाषाएँ

इस राइडर दस्तावेज में प्रयुक्त वाक्यांशों/शब्दों की परिभाषाएँ इस प्रकार हैं:

1. **उम्र** इस राइडर के आरंभ के समय बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन पर उम्र है, सिवाय प्रवेश के समय न्यूनतम उम्र के, जो कि 18 पूर्ण वर्ष है।
2. **वार्षिकीकृत राइडर प्रीमियम** इस टर्म एश्योरेन्स राइडर के अंतर्गत एक वर्ष में देय प्रीमियम की राशि है जिसमें टैक्स, अंडरराइटिंग अतिरिक्त प्रीमियम्स तथा मोडल प्रीमियम्स के लिए लोडिंग्स को शामिल नहीं किया गया है।
3. **मूल पॉलिसी** से तात्पर्य इस राइडर दस्तावेज से जुड़ी पॉलिसी से है।
4. **एलआईसी के नए टर्म राइडर एश्योरेन्स राइडर के आरंभ होने की तिथि** इस राइडर के आरंभ होने की तिथि है।
5. **राइडर के लिए जोखिम के आरंभ होने की तिथि** वह तिथि है जब निगम इस राइडर के साथ मूल पॉलिसी के लिए जोखिम को बीमा संरक्षण हेतु स्वीकार करता है, जिसे राइडर की अनुसूची में प्रमाणित किया जाता है।
6. **मृत्यु हितलाभ** से तात्पर्य उस हितलाभ से है जो कि इस राइडर दस्तावेज के भाग सी की शर्त 1.ए में विनिर्धारित है।
7. **बीमित व्यक्ति** वह व्यक्ति है जिसके जीवन पर बीमा संरक्षण को इस राइडर के साथ मूल पॉलिसी के अंतर्गत स्वीकार किया गया है।
8. **सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसी** से तात्पर्य एकल प्रीमियम पॉलिसी से भिन्न असंबद्ध इश्योरेन्स पॉलिसी है, जहां प्रीमियम भुगतान की अवधि पॉलिसी अवधि की तुलना में सीमित होती है और प्रीमियम का भुगतान वार्षिक, छमाही, तिमाही, मासिक या प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किन्हीं अन्य अंतरालों में किया जाता है।
9. **प्रस्तावक** वह व्यक्ति है जो कि इस राइडर के साथ मूल पॉलिसी के लिए जीवन बीमा प्रस्तावित करता है।
10. **नियमित प्रीमियम पॉलिसी का मतलब** है ऐसी असंबद्ध बीमा पॉलिसी जहां पॉलिसी की पूरी अवधि या पॉलिसी की पूरी प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान किया जाता है और यह भुगतान वार्षिक, छमाही, तिमाही, मासिक या प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए गए किन्हीं अन्य अंतरालों में किया जाता है।
11. **राइडर का अर्थ** है अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर मूल पॉलिसी के साथ जोड़ा गया अतिरिक्त बीमा संरक्षण।
12. **राइडर हितलाभ** से तात्पर्य हितलाभ की उस राशि से है जो कि इस राइडर के अंतर्गत किसी घटना विशेष के घटित होने पर देय है, तथा यह मूल पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ से अतिरिक्त हितलाभ है।
13. **राइडर अवधि** वर्षों में पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई अवधि है और इसका उल्लेख अनुसूची में किया जाता है जो कि एलआईसी के नए टर्म एश्योरेन्स राइडर के आरंभ होने से शुरू होकर एलआईसी के नए टर्म एश्योरेन्स राइडर की समाप्ति की तिथि को समाप्त होती है।

PART - B: DEFINITIONS

The definitions of terms/words used in this Rider Document are as under:

1. **Age** is the age nearer birthday of the Life Assured at the time of commencement of this Rider except for minimum age at entry where age is 18 yrs completed.
2. **Annualized Rider Premium** shall be the premium amount payable in a year under this Term Assurance Rider excluding the taxes, underwriting extra premiums and loadings for modal premiums.
3. **Base Policy** refers to the Policy to which this Rider Document is attached.
4. **Date of commencement of LIC's New Term Assurance Rider** is the start date of this Rider.
5. **Date of commencement of risk for Rider** is the date on which the Corporation accepts the risk for insurance (cover) for the Base Policy along with this Rider as evidenced in the Schedule of the Rider.
6. **Death Benefit** means the benefit, which is payable on death, as specified in Condition 1.A of Part C of this Rider Document.
7. **Life Assured** is the person on whose life the insurance cover has been accepted for the Base Policy along with this Rider.
8. **Limited Premium Payment Policy** means the non-linked insurance policy other than single premium policy, where the premium payment period is limited compared to the policy term, and premium are payable at regular intervals like yearly, half yearly, quarterly, monthly or any other intervals as approved by the Authority.
9. **Proposer** is a person who proposes the life insurance proposal for the Base Policy along with this Rider.
10. **Regular Premium Policy** means non-linked insurance policy, where the premium payment is throughout the term of the policy or premium payment term of the policy, and premiums are payable at regular intervals like yearly, half-yearly, quarterly, monthly or any other interval as approved by the Authority.
11. **Rider** means the insurance cover(s) added to a Base Policy for additional premium.
12. **Rider Benefits** means an amount of benefit payable on occurrence of a specified event covered under this Rider, and is an additional benefit to the benefit under Base Policy.
13. **Rider Term** is the period, in years, as chosen by the policyholder and mentioned in the Schedule, commencing from the Date of commencement of LIC's New Term Assurance Rider and ending on the Date of expiry of LIC's New Term Assurance Rider.

14. **अनुसूची** इस राइडर दस्तावेज का हिस्सा है जो कि आपके राइडर का विशेष विवरण प्रदान करता है।
15. **एकल प्रीमियम पॉलिसी** से तात्पर्य असंबद्ध बीमा पॉलिसी से है, जहां प्रीमियम का भुगतान एकमुश्त रूप में पॉलिसी के आरंभ में किया जाता है।
16. **एकल राइडर प्रीमियम** इस टर्म एश्योरेन्स राइडर के अंतर्गत देय प्रीमियम की राशि है और यह टैक्स, अंडरराइटिंग अतिरिक्त प्रीमियम्स को छोड़कर है।
17. **टर्म एश्योरेन्स राइडर प्रीमियम**, राइडर को चुने जाने पर राइडर के अंतर्गत अतिरिक्त संरक्षण/हितलाभ के लिए मूल पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम के साथ पॉलिसीधारक द्वारा दिया जाने वाला प्रीमियम है।
18. **टर्म एश्योरेन्स राइडर बीमा राशि** पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी लेते समय चुनी गई अनुसूची में उल्लिखित राशि है।
19. **कुल भुगतान किया गया राइडर प्रीमियम** से तात्पर्य इस टर्म एश्योरेन्स राइडर के अंतर्गत अदा किए गए सभी प्रीमियम्स का योगफल है, जिसमें अतिरिक्त प्रीमियम तथा टैक्स शामिल नहीं हैं, अगर अलग से उल्लेख नहीं किया गया है।

भाग - सी: हितलाभ

1. किसी प्रभावी राइडर के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ देय हैं:
 - अ. **मृत्यु हितलाभ:**
 इस राइडर की समाप्ति से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, बशर्ते राइडर मूल पॉलिसी के साथ प्रभावी हो, "मृत्यु पर टर्म राइडर बीमा राशि" के समान राशि देय होगी।
 नियमित तथा सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसी के अंतर्गत, "मृत्यु पर टर्म राइडर बीमा राशि" को निम्नलिखित के सर्वाधिक के रूप में परिभाषित किया गया है:
 - टर्म एश्योरेन्स राइडर बीमा राशि; या
 - वार्षिकीकृत राइडर प्रीमियम का 7 गुना; या
 - मृत्यु की तिथि तक "भुगतान किए गए कुल राइडर प्रीमियम्स का 105%।
 एकल प्रीमियम भुगतान पॉलिसी के अंतर्गत, "मृत्यु पर टर्म राइडर बीमा राशि" को निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित किया गया है:
 - टर्म एश्योरेन्स राइडर बीमा राशि; या
 - एकल राइडर प्रीमियम का 1.25 गुना।
 - ब. **परिपक्वता हितलाभ:** इस राइडर के अंतर्गत कोई परिपक्वता हितलाभ देय नहीं है।
2. **प्रीमियम्स का भुगतान:**
 - (ए) टर्म एश्योरेन्स राइडर प्रीमियम, जिसमें समय-समय पर लागू टैक्स शामिल हैं मूल पॉलिसी के लिए प्रीमियम के साथ देय हैं तथा इसका अलग से भुगतान नहीं किया जा सकता है।
 - (बी) राइडर के अंतर्गत प्रीमियम्स का भुगतान एलआईसी के नए टर्म एश्योरेन्स राइडर के अंतिम प्रीमियम की विनिर्धारित तिथि तक या उससे पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने तक किया जाना है।

14. **Schedule** is the part of this Rider document that gives the specific details of your Rider.
15. **Single Premium Policy** means non-linked insurance policy, where the premium payment is made in lump sum at the inception of the policy.
16. **Single Rider Premium** shall be the premium amount payable under this Term Assurance Rider, excluding the taxes, underwriting extra premiums.
17. **Term Assurance Rider Premium** is the premium payable by the policyholder along with the premium under Base Policy towards the additional cover/benefit opted under the Rider, if opted.
18. **Term Assurance Rider Sum Assured** amount specified in the Schedule as opted by the Policyholder at the time of taking the policy.
19. **Total Rider Premiums Paid** means total of all the premiums paid under this Term Assurance Rider, excluding any extra premium, and taxes, if collected explicitly.

PART – C: BENEFITS

1. The following benefits are payable under an in-force Rider:
 - A. **Death Benefit:**
 On death of the Life Assured before the stipulated date of expiry of this Rider, provided Rider along with the Base Policy is in-force, an amount equal to "Term Rider Sum Assured on Death" shall be payable.
 Under Regular and Limited premium payment policy, "Term Rider Sum Assured on Death" is defined as the highest of:
 - Term Assurance Rider Sum Assured; or
 - 7 times the Annualized Rider Premium; or
 - 105% of "Total Rider Premiums Paid" upto the date of death.
 Under Single premium payment policy, "Term Rider Sum Assured on Death" is defined as the higher of:
 - Term Assurance Rider Sum Assured; or
 - 1.25 times of Single Rider Premium.
 - B. **Maturity Benefit:** No maturity benefit is payable under this Rider.
2. **Payment of premiums:**
 - (a) The Term Assurance Rider premium, including the applicable taxes from time to time, is payable only along with the premium for the Base Policy and cannot be paid separately.
 - (b) The premiums under the Rider are payable till the stipulated date of payment of last premium of LIC's New Term Assurance Rider or earlier death of the Life Assured.

- (सी) एलआईसी के नए टर्म एश्योरेन्स राइडर के अंतर्गत एक बार दावा स्वीकार किए जाने पर अगली पॉलिसी वर्षगांठ तक इस हितलाभ के लिए किसी परवर्ती प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाना है।
- (डी) किसी प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, जहां मृत्यु की तिथि तक सभी देय प्रीमियम्स का भुगतान कर दिया गया है और जहां प्रीमियम के भुगतान का माध्यम वार्षिक से भिन्न है, अगर मृत्यु की तिथि से अगली पॉलिसी वर्षगांठ तक कोई बैलेन्स प्रीमियम्स हों तो उसे दावे की राशि से काट लिया जाएगा।
- (ई) इस राइडर के संबंध में अदा किए गए अतिरिक्त प्रीमियम को मूल पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ की गणना करने तथा मूल पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य की गणना करने के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।
3. **रियायती अवधि:** मूल पॉलिसी के अंतर्गत उल्लेख किए गए के समान।

भाग - डी: सेवा पहलुओं से संबंधित शर्तें

1. **उम्र का प्रमाण:** मूल पॉलिसी में उल्लेख किए गए अनुसार।
2. **जब्त तथा गैर-जब्त संबंधी विनियम:**
कतिपय अन्य घटनाओं में जब्त: मूल पॉलिसी में उल्लेख किए गए अनुसार।
गैर-जब्त संबंधी विनियम: ये प्रावधान इस राइडर पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इसका कोई चुकता मूल्य नहीं होता है और अगर मूल पॉलिसी कालातीत/ चुकता दशा में हो तो राइडर हितलाभ लागू होने समाप्त हो जाते हैं।
3. **कालातीत पॉलिसियों का पुनर्चलन :**
मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ राइडर के पुनर्चलन पर विचार किया जाएगा तथा निगम की अंडरराइटिंग पॉलिसी के अनुसार पुनर्चलन किया जाएगा। नियम व शर्तें मूल पॉलिसी दस्तावेज के भाग डी में उल्लेख की गई "कालातीत पॉलिसियों का पुनर्चलन" के अनुसार होगा। पुनर्चलन के लिए ब्याज की दर मूल पॉलिसी के अंतर्गत लागू अनुसार होगी।
4. **अभ्यर्पण मूल्य :** इस राइडर के अंतर्गत कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा। नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के अंतर्गत इस राइडर के संबंध में कुछ भी लौटाया नहीं जाएगा।
लेकिन एकल तथा सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसियों के मामले में, उस मूल पॉलिसी के अभ्यर्पण पर जिससे वह राइडर संलग्न है, इशर्तें इस राइडर तथा मूल पॉलिसी से संबद्ध सभी देय प्रीमियम्स का भुगतान कर दिया गया हो, प्रीमियम भुगतान अवधि के बाद संरक्षण के संबंध में वसूल किए गए अतिरिक्त टर्म एश्योरेन्स राइडर प्रीमियम के एक समानुपाती अंश को लौटा दिया जाएगा। लौटायी जाने वाली राशि नीचे उल्लेख किए गए असमाप्त जोखिम प्रीमियम मूल्य के समान होगी।
नियमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसियां: कुछ भी लौटाया नहीं जाएगा।
सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसियां:

- (c) Once a claim under LIC's New Term Assurance Rider has been admitted, no subsequent premium towards this benefit shall be charged from the next policy anniversary.
- (d) In case of death of Life Assured under an in-force policy wherein all the premiums due till the date of death have been paid and where the mode of payment of premium is other than yearly, balance premium(s), if any, falling due from the date of death and before the next policy anniversary shall be deducted from the claim amount.
- (e) The additional premium paid in respect of this Rider shall not be taken into account for determination of Death Benefit of the Base Policy and in calculating the surrender value of the Base Policy.
3. **Grace period:** Same as mentioned under the Base Policy.

PART - D: CONDITIONS RELATED TO SERVICING ASPECTS

1. **Proof of Age:** Same as mentioned under the Base Policy.
2. **Forfeiture and Non-forfeiture Regulations:**
Forfeiture in Certain Other Events: Same as mentioned under the Base Policy.
Non-forfeiture Regulations: These provisions do not apply to this Rider as it does not acquire any paid up value and the Rider benefit ceases to apply, if Base policy is in lapsed/ paid-up condition.
3. **Revival of lapsed Policies:**
The revival of the Rider will be considered along with the revival of the Base Policy and shall be revived in accordance with the Underwriting policy of the Corporation. The terms and conditions are as mentioned under "Revival of Lapsed Policies" in Part D of the Base Policy Document. The rate of interest applicable for revival shall be as applicable under Base Plan.
4. **Surrender Value:** No surrender value will be available under this Rider. In case of regular premium policies, nothing shall be refunded in respect of this Rider.
However, in case of Single and Limited premium payment policies on surrender of the Base Policy to which this Rider is attached, provided all the due premiums in respect of this Rider and Base Policy have been paid, a proportion of additional Term Assurance Rider premium charged in respect of cover after premium payment term shall be refunded. The amount to be refunded shall be equal to Unexpired Risk Premium Value as mentioned below:
Regular premium payment policies: Nothing shall be refunded.
Limited premium payment policies:

- ए) राशि केवल तभी लौटायी जाएगी अगर कम से कम इसके लिए पूरे प्रीमियम्स का भुगतान किया गया हो
- अगर प्रीमियम भुगतान अवधि 10 वर्ष से कम हो तो कम से कम दो लगातार वर्ष
 - अगर प्रीमियम भुगतान अवधि 10 वर्ष या अधिक हो तो कम से कम तीन लगातार वर्ष

बी) प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान अभ्यर्पण मूल्य;
 $75\% * d * (Pppt - Pn) * (\text{टर्म एश्योरेन्स राइडर बीमा राशि} / 1000)$

सी) प्रीमियम भुगतान अवधि के बाद अभ्यर्पण मूल्य;
 $75\% * Pppt * (\text{टर्म एश्योरेन्स राइडर बीमा राशि} / 1000) * (ppt/n) * (n - t)$

एकल प्रीमियम भुगतान पॉलिसियां:

$90\% * (\text{टर्म एश्योरेन्स राइडर बीमा राशि के लिए एकल प्रीमियम} / n) * (n - t)$

जहां;

Pppt = आरंभ में सीमित प्रीमियम अवधि भुगतान, प्रति रु. 1000/- टर्म एश्योरेन्स राइडर बीमा राशि के लिए तालिका वार्षिक प्रीमियम

Pn = आरंभ में पॉलिसीधारक की उम्र पर लागू प्रति रु. 1000/- टर्म एश्योरेन्स राइडर बीमा राशि पर लागू समतुल्य तालिका वार्षिक नियमित प्रीमियम

(उपरोक्त प्रीमियम्स में टैक्स तथा अतिरिक्त शामिल नहीं है, अगर कोई हो)

d = अभ्यर्पण की तिथि को पूरे वर्षों में समाप्त पॉलिसी अवधि

n = राइडर की अवधि

ppt = राइडर की प्रीमियम भुगतान अवधि

t = अभ्यर्पण की तिथि को नजदीकी पूर्ण वर्षों में समाप्त हुई पॉलिसी की अवधि

5. ऋण : इस राइडर के अंतर्गत कोई ऋण नहीं दिया जाएगा।

6. एलआईसी के नए टर्म एश्योरेन्स राइडर की समाप्ति : एलआईसी का नया टर्म एश्योरेन्स राइडर निम्नलिखित में से किसी के सबसे घटित होने पर समाप्त हो जाएगा:

- जिस तिथि को इस राइडर के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ को स्वीकार किया गया है।
- एलआईसी के नए टर्म एश्योरेन्स राइडर की समाप्ति की तिथि (जैसा कि अनुसूची में उल्लेख किया गया है)।
- जिस तिथि को मूल पॉलिसी जिससे यह राइडर जुड़ा है, समाप्त हो जाती है या चुकता पॉलिसी के रूप में परिवर्तित हो जाती है।

7. निशुल्क अवलोकन अवधि :

निशुल्क अवलोकन अवधि के दौरान अगर पॉलिसीधारक राइडर के "नियमों तथा शर्तों" से संतुष्ट नहीं है तो वह राइडर पृष्ठांकन को मूल पॉलिसी दस्तावेज के साथ, पॉलिसी डॉक्यूमेंट के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से मिलने के बाद, जो भी पहले हो, से 30 दिनों के भीतर निगम को अपनी आपत्तियों के कारण बताते हुए लौटा सकता है। इसके मिलने पर निगम राइडर को रद्द करके इस राइडर हेतु जमा

a) Refund shall only be payable if full premiums have been paid for atleast

- first two consecutive years in case of premium payment term less than 10 years

- first three consecutive years in case of premium payment term of 10 years or more

b) For Surrender during premium payment term;
 $75\% * d * (Pppt - Pn) * (\text{Term Assurance Rider Sum Assured} / 1000)$

c) For Surrender after premium payment term;
 $75\% * Pppt * (\text{Term Assurance Rider Sum Assured} / 1000) * (ppt/n) * (n - t)$

Single premium payment policies:

$90\% * (\text{Single Premium for Term Assurance Rider Sum Assured} / n) * (n - t)$

Where;

Pppt = Tabular annual premium for the Limited premium payment term per Rs. 1000/- Term Assurance Rider Sum Assured at inception

Pn = Equivalent Tabular annual Regular premium per Rs. 1000/- Term Assurance Rider Sum Assured applicable to the Policyholder's age at inception and Rider term being n years.

(Above Premiums excludes taxes and extra premium, if any)

d = policy duration elapsed in completed years as on date of surrender

n = Rider Term

ppt = Premium paying term of the Rider

t = policy duration elapsed in nearest completed years as on the date of surrender

5. Loan: No loan will be granted under this Rider

6. Termination of LIC's New Term Assurance Rider:

The LIC's New Term Assurance Rider will terminate on the earliest of:

- The date on which the death benefit is admitted under this Rider.
- The date of expiry of the LIC's New Term Assurance Rider (as mentioned in the Schedule).
- The date on which the Base Policy to which the Rider is attached terminates or is converted into a paid up policy.

7. Free look period:

During the Free Look period, If the policyholder is not satisfied with the "Terms and Conditions" of the Rider, the Rider Endorsement alongwith Base Policy Document may be returned to the Corporation within 30 days from the date of receipt of the electronic or physical mode of policy document, whichever is earlier, stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the Rider and return the amount of premium deposited

करायी गई राशि को संरक्षण की अवधि के लिए समानुपाती जोखिम प्रीमियम (इस राइडर हेतु), स्वास्थ्य जांच परीक्षा (विशेष रिपोर्ट्स सहित, अगर कोई हो) राइडर को शामिल करने के खर्चों तथा स्टैम्प ड्यूटी चार्जेज को काटकर लौटा देगा।

भाग - ई

लागू नहीं।

भाग - एफ: अन्य नियम व शर्तें

1. शर्तें तथा प्रतिबंध :

एलआईसी का नया टर्म एश्योरेन्स राइडर केवल पॉलिसी के आरंभ में अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। राइडर प्रीमियम का भुगतान केवल मूल पॉलिसी के लिए प्रीमियम के साथ किया जा सकता है तथा इसका भुगतान अलग से नहीं किया जा सकता है। इस राइडर के अंतर्गत संरक्षण केवल एलआईसी के नए टर्म एश्योरेन्स राइडर की समाप्ति की तिथि तक के लिए उपलब्ध होगा।

इस राइडर के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान निम्नलिखित तक के लिए करना होगा:-

- जिस तिथि तक के लिए मूल पॉलिसी के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया गया हो; या
- जिस पॉलिसी वर्षगांठ पर बीमित व्यक्ति 75 वर्ष की उम्र को प्राप्त कर लेता है; या
- एलआईसी के नए टर्म एश्योरेन्स राइडर के आरंभ होने की तिथि से 35 वर्ष के लिए;

जो भी पहले हो।

हालांकि, मूल पॉलिसी जिसके साथ यह राइडर संलग्न है, के अंतर्गत प्रीमियम्स का भुगतान मूल पॉलिसी के नियमों तथा शर्तों अनुसार किया जाएगा।

बीमित व्यक्ति द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई समस्त मौजूदा पॉलिसियों, जिसमें विचारार्थ नए प्रस्ताव भी शामिल हैं, के अंतर्गत इस राइडर हेतु अधिकतम संरक्षण रु.25 लाख होगा। अगर एक से अधिक पॉलिसियां हों और अगर कुल टर्म एश्योरेन्स राइडर बीमा राशि रु.25 लाख से अधिक हो, तो हितलाभ पॉलिसियों के जारी होने की तिथियों के क्रम में पहले रु.25 लाख टर्म एश्योरेन्स राइडर बीमा राशि के लिए लागू होंगे।

2. समनुदेशन तथा नामांकन: मूल पॉलिसी के अंतर्गत उल्लेख किए गए अनुसार।

3. आत्महत्या दावा प्रावधान अपवर्जन:

इस राइडर को अलग से जारी नहीं किया जा सकता है तथा इसे हमेशा किसी मूल पॉलिसी से जोड़ा जाएगा। इसलिए राइडर हेतु मूल पॉलिसी में उल्लेख किए गए आत्महत्या दावा प्रावधान लागू होगा।

4. कर:

भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा ऐसे राइडर पर लगाया गया वैधानिक कर, यदि कोई हो, समय-समय पर लागू कर कानूनों और कर की दर के अनुसार होगा।

for this Rider after deducting the proportionate risk premium (for this Rider) for the period of cover, expenses incurred on medical examination (including special reports, if any), on account of Rider inclusion and stamp duty charges.

PART E

Not Applicable.

PART – F: OTHER TERMS AND CONDITIONS

1. Conditions and restrictions:

LIC's New Term Assurance Rider is available only at the inception of the policy on payment of additional premium. The Rider Premium is payable only along with the premium for the Base Policy and cannot be paid separately. The cover under this Rider shall be available only till the Date of expiry of LIC's New Term Assurance Rider.

The additional premium for this Rider will be required to be paid till:-

- the premiums under the Base Policy have been paid; or
 - the policy anniversary on which the age of the Life Assured is 75 years; or
 - for 35 years from the Date of commencement of LIC's New Term Assurance Rider;
- whichever is earlier.

However, the premiums under the Base Policy with which this Rider is attached shall be paid as per the terms and conditions of the Base Policy.

The maximum cover for this Rider shall be Rs. 25 lakhs taking all Term Assurance Riders under all existing policies of the Life Assured taken from Life Insurance Corporation of India including the new proposal under consideration. If there be more policies than one and if the total Term Assurance Rider Sum Assured exceeds Rs. 25 lakhs, the benefits shall apply to the first Rs. 25 lakhs Term Assurance Rider Sum Assured in order of date of policies issued.

2. Assignments and Nominations: Same as mentioned under the Base Policy.

3. Suicide Claim Provision Exclusion :

This Rider cannot be issued on standalone basis and shall be attached with a Base Policy. Therefore, the suicide claim provision as mentioned in the Base Policy with regard to Rider would apply.

4. Tax:

Statutory Taxes, if any, imposed on such insurance Riders by the Government of India or any other Constitutional Tax Authority of India shall be as per the Tax laws and the rate of tax as applicable from time to time.

मौजूदा दरों के अनुसार देय लागू करें की राशि पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत देय कुल प्रीमियम राइडर के लिए प्रीमियम सहित पर देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अतिरिक्त अलग से एकत्र किया जाएगा। भुगतान की गई कर राशि को राइडर के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

5. दावे के लिए सामान्य आवश्यकताएं:

बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में दावा दायर करते हुए, दावाकर्ता निगम की संतुष्टि के अनुसार मूल पॉलिसी दस्तावेज के साथ निगम द्वारा विहित जो अन्य सामान्य दस्तावेज दाखिल करेगा, वे होंगे: मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु से पहले यदि कोई इलाज हुआ हो, स्कूल/ कॉलेज/ नियोक्ता का प्रमाण, जो भी लागू होते हों। यदि पॉलिसी के अंतर्गत आयु स्वीकृत नहीं है तो बीमित व्यक्ति की आयु का प्रमाण भी दाखिल किया जाएगा।

अप्राकृतिक मृत्यु या किसी दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के मामले में, निगम प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर), पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतियाँ माँग सकता है। निगम उसके द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेजों की भी माँग भी कर सकता है। पॉलिसीधारक या दावेदार, जिस पर भी यह लागू हो, से अपेक्षा की जाती है कि पॉलिसी के अंतर्गत किसी बीमित घटना से दावे की स्थिति उत्पन्न होते ही जल्द से जल्द निगम को सूचित करे।

उपर्युक्त दस्तावेजों के अलावा, वे अपेक्षाएं भी प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है, जो किसी वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आदेशित हों या कानून के अनुसार वांछित हों।

6. विधायी परिवर्तन:

इस राइडर के अंतर्गत देय प्रीमियम एवं हितलाभ सहित, नियम एवं शर्तों संबंधित विधान एवं विनियमों के अनुसार परिवर्तनशील हैं।

भाग-जी: वैधानिक प्रावधान

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45: मूल पॉलिसी में उल्लेख किए गए अनुसार।

शिकायत समाधान प्रणाली: मूल पॉलिसी में उल्लेख किए गए अनुसार।

टिप्पणियाँ:

- इस दस्तावेज में उल्लिखित नियमों तथा शर्तों की व्याख्या में कोई मतभेद हो तो अंग्रेजी प्रारूप को मान्य माना जाएगा।
- इस पृष्ठांकन में उल्लेख की गई शर्तों को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है, बल्कि उन्हें मूल पॉलिसी में उल्लेख की गई शर्तों के साथ सहमति से पढ़ा जाएगा। कृपया इस पृष्ठांकन की जांच-पड़ताल कर लें तथा अगर उनमें कोई त्रुटि पायी जाती है तो सुधार के लिए तुरंत लौटा दें।

The amount of applicable taxes payable as per the prevailing rates, shall be payable by the policyholder on premiums including extra premiums, which shall be collected separately over and above in addition to the premiums payable by the policyholder. The amount of Tax paid shall not be considered for the calculation of benefits payable under the Rider.

5. Normal requirements for a claim:

The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Life Assured shall be claim forms, as prescribed by the Corporation, accompanied with original policy document, proof of death, medical treatment prior to the death (if any), school/college/employer's certificate, whichever is applicable, to the satisfaction of the Corporation. If the age is not admitted under the policy, the proof of age of the Life Assured shall also be submitted.

In case of unnatural death or death on account of or arising from an accident, the Corporation may call for the copies of First Information Report (FIR), Panchnama and Post Mortem report. The Corporation may also call for additional documents as may be required by them.

Policyholder or the claimant, as applicable, is required to intimate the Corporation, about the happening of the insured event resulting into a claim under the policy, at the earliest possible time.

In addition to above, any requirement mandated under any statutory provision or as may be required as per law shall also be required to be submitted.

6. Legislative Changes:

The Terms and Conditions including the premiums and benefits payable under this Rider are subject to variation in accordance with the relevant Legislation & Regulations.

PART-G: STATUTORY PROVISIONS

Section 45 of Insurance Act, 1938: Same as mentioned under the Base Policy.

Grievance Redressal Mechanism: Same as mentioned under the Base Policy.

Note:

- In case of dispute in respect of interpretation of terms and conditions mentioned in this Document, the English version shall stand valid.
- The conditions mentioned in this endorsement are not to be read in isolation but in agreement with the conditions mentioned in the Base Policy.

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS ENDORSEMENT, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.

CUSTOMER INFORMATION SHEET / **KNOW YOUR POLICY**

यह दस्तावेज आपकी पॉलिसी के बारे में मुख्य जानकारी प्रदान करता है। आपको अपनी पॉलिसी दस्तावेज को पढ़ने की भी सलाह दी जाती है।

This document provides key information about your policy. You are also advised to go through your Policy Document.

क्रम संख्या	शीर्षक	सरल शब्दों में व्याख्या (कृपया अगले कॉलम में लागू पॉलिसी क्लोज संख्या का भी उल्लेख करें)	पॉलिसी क्लोज संख्या
1	बीमा उत्पाद का नाम तथा यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन)	एलआईसी का नया जीवन आनंद (यूआईएन : _____)	भाग ए
2	पॉलिसी नंबर		भाग ए
3	बीमा पॉलिसी का प्रकार	असंबद्ध, पूर्ण जोखिम तथा पेंशन से भिन्न	भाग बी परिभाषाएं
4	मूल पॉलिसी के विवरण	<ul style="list-style-type: none"> किस्त प्रीमियम (रु.): 8330.00 (टैक्स, अगर कोई हो, तो यथा लागू को समय-समय पर अतिरिक्त लिया जाएगा।) प्रीमियम भुगतान का माध्यम: Hly प्रीमियम भुगतान की अवधि: 21 पॉलिसी की अवधि: 21 मूल बीमा राशि (रु.): 250000 मृत्यु पर बीमा राशि (पॉलिसी की अवधि के दौरान): मृत्यु पर बीमा राशि को मूल बीमा राशि के 125% या वार्षिकीकृत प्रीमियम के 7 गुना में से जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित किया गया है। परिपक्वता पर बीमा राशि: परिपक्वता पर बीमा राशि मूल बीमा राशि के समान है। 	<p>अनुसूची</p> <p>अनुसूची</p> <p>अनुसूची</p> <p>अनुसूची</p> <p>भाग सी की शर्त 1 ए</p> <p>भाग सी की शर्त 1 बी</p>
5	चुने गया राइडर्स,	<< लागू नहीं (अगर राइडर नहीं चुना गया है) >>	अनुसूची

Sl No.	Title	Description in Simple Words (Please refer to applicable Policy Clause Number in next column)	Policy Clause Number
1	Name of the Insurance Product And Unique Identification Number (UIN)	LIC's New Jeevan Anand (UIN: _____) 5341410700	Part A
2	Policy Number	2111410700	Part A
3	Type of Insurance Policy	Non-Linked other than Pure risk and pension	Part B - Definitions
4	Basic Policy details	<p>•Instalment Premium (Rs): 8330.00 (Taxes, if any, as applicable from time to time are charged extra).</p> <p>•Mode of premium payment: Hly</p> <p>•Premium Payment Term: 21</p> <p>•Policy Term: 21</p> <p>•Basic Sum Assured (Rs): 250000</p> <p>•Sum Assured on Death (during the policy term): Sum Assured on Death is defined as Higher of 125% of Basic Sum Assured or 7 times of Annualized Premium</p> <p>•Sum Assured on Maturity: Sum Assured on Maturity is equal to Basic Sum Assured.</p>	<p>Schedule</p> <p>Schedule</p> <p>Schedule</p> <p>Schedule</p> <p>Schedule</p> <p>Condition 1.A of Part C</p> <p>Condition 1.B of Part C</p>
5	Riders opted, if	<<Not Applicable (if rider is not opted)>>	Schedule

	अगर कोई हो	<< राइडर का नाम और पखड़ (पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए अनुसार) ऊपर उल्लेखित राइडर (स) के हितलाभों और शर्तों के विवरण के लिए, इस पॉलिसी का पृष्ठांकन देखें >>		any	<<Rider Name and UIN (as opted for by the policyholder) For details of Benefits and Conditions of riders(s), mentioned above, refer Endorsement to this policy.>>	
6	पॉलिसी संरक्षण/ देय हितलाभ	<p>• मृत्यु पर देय हितलाभ: प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित मृत्यु हितलाभ का भुगतान किया जाएगा।</p> <p>i. पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर मृत्यु हितलाभ "मृत्यु पर बीमा राशि" के साथ निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस, अगर कोई हो, की कुल राशि होगी। यह मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि तक भुगतान किए गए कुल प्रीमियम्स के 105% से कम नहीं होगा।</p> <p>ii. पॉलिसी अवधि की समाप्ति के बाद मृत्यु: मृत्यु हितलाभ मूल बीमा राशि होगी।</p> <p>• परिपक्वता पर देय हितलाभ: परिपक्वता की विनिर्धारित तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर देय हितलाभ, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो, झड़पपरिपक्वता पर बीमा राशिपक्ष, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनसों तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस, अगर कोई हो, के साथ होगा।</p> <p>• अभ्यर्पण हितलाभ: पॉलिसीधारक द्वारा एक पॉलिसी वर्ष को पूरा किए जाने के बाद पॉलिसी अभ्यर्पित की सकती है, बशर्ते एक पूरे वर्ष के प्रीमियम्स का भुगतान किया गया हो। हालांकि दो पूरे वर्षों के प्रीमियम्स का भुगतान किए जाने पर पॉलिसी गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य तथा एक पूरे वर्ष के प्रीमियम्स के भुगतान पर पॉलिसी विशेष अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त कर लेगी। प्रभावी या चुकता पॉलिसी का अभ्यर्पण करने पर निगम द्वारा गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य से जो भी अधिक हो, के समान अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जाएगा।</p> <p>• पॉलिसीधारकों के पास, पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित हितलाभों को, अगर कोई हो, लेने के विकल्प:</p> <p>i. मृत्यु हितलाभ को किस्तों में लेने का विकल्प: इस विकल्प के अंतर्गत प्रभावी तथा चुकता पॉलिसी के मामले में मृत्यु हितलाभ को एक मुश्त राशि के बदले 5 या 10 या 15 वर्षों चुनी हुई अवधि में किस्तों में लिया जा सकता है।</p>	<p>भाग सी की शर्त 1 ए</p> <p>भाग सी की शर्त 1. बी</p> <p>भाग डी की शर्त 4</p> <p>भाग डी की शर्त 8</p>	6	<p>Policy Coverage/ benefits payable</p> <p>• Benefit payable on Death: Under an in-force policy, the following death benefit shall be payable.</p> <p>i. On death during the Policy Term: Death benefit shall be "Sum Assured on Death" along with vested Simple Reversionary Bonuses and Final Additional Bonus, if any. This Death Benefit shall not be less than 105% of total premiums paid up to the date of death.</p> <p>ii. On death after expiry of the Policy Term: Death benefit shall be Basic Sum Assured.</p> <p>• Benefit payable on Maturity: On Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity provided the policy is in-force, "Sum Assured on Maturity" along with vested Simple Reversionary Bonuses and Final Additional Bonus, if any, shall be payable.</p> <p>• Surrender Benefits: The policy can be surrendered by the policyholder after completion provided one full year's premium(s) has been paid. However, the policy shall acquire Guaranteed Surrender Value on payment of at least two full years' premiums and Special Surrender Value after completion of first policy year provided one full year's premium(s) has been paid. On surrender of an in-force or paid-up policy, the Corporation shall pay the Surrender Value equal to higher of Guaranteed Surrender Value and Special Surrender Value.</p> <p>• Options to Policyholders for availing benefits, if any, covered under the policy:</p> <p>i) Option to take Death Benefit in instalments: This is an option to receive Death Benefit in installments over the chosen period of 5 or 10 or 15 years instead of lump sum amount under an in-force as well as paid-up policy.</p>	<p>Condition 1.A of Part C</p> <p>Condition 1.B of Part C</p> <p>Condition 4 of Part D</p> <p>Condition 8 of Part D</p>

		ii. निपटान विकल्प (परिपक्वता हितलाभ के लिए): इस विकल्प के अंतर्गत प्रभावी तथा चुकता पॉलिसी के मामले में परिपक्वता हितलाभ को एकमुश्त राशि के बदले 5 या 10 या 15 वर्षों की चुनी हुई अवधि में किस्तों में लिया जा सकता है।	भाग डी की शर्त 9
7.	(संबद्ध बीमा उत्पादों के मामले में)	लागू नहीं	
8	उपलब्ध विकल्प (वार्षिकी उत्पाद के मामले में)	लागू नहीं	
9.	अपवर्जन (ऐसी घटनाएं जहां बीमा संरक्षण भुगतान योग्य नहीं है), अगर कोई हो।	<p>आत्महत्या अपवर्जन: आत्म हत्या के कारण मृत्यु की दशा में दावे के भुगतान से संबंधित प्रावधान, यहां नीचे उल्लिखित दशाओं के अधीन रहेंगे:</p> <p>i. अगर बीमित व्यक्ति (चाहे स्वस्थ हो या अस्वस्थ) पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम आरंभ होने की तिथि से 12 महीनों के अंदर किसी समय, आत्महत्या करता है तो बीमित व्यक्ति का नामित व्यक्ति या लाभार्थी मृत्यु की तिथि तक अदा किए गए कुल प्रीमियम्स (किसी अतिरिक्त प्रीमियम, अवधि बीमा राइडर से भिन्न राइडर प्रीमियम तथा टैक्स को छोड़कर, अगर स्पष्ट रूप से एकत्र किया गया हो) के 80% को पाने का हकदार होगा, बशर्त पॉलिसी प्रभावी हो।</p> <p>ii. अगर बीमित व्यक्ति वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) पॉलिसी के पुनर्चलन होने की तिथि से 12 महीनों के अंदर किसी समय, आत्महत्या करता है तो बीमित व्यक्ति का नामित व्यक्ति या लाभार्थी, मृत्यु की तिथि तक अदा किए गए कुल प्रीमियम्स (किसी अतिरिक्त प्रीमियम अवधि बीमा राइडर से भिन्न राइडर प्रीमियम तथा टैक्स को छोड़कर, अगर स्पष्ट रूप से एकत्र किया गया हो) के 80% को पाने का हकदार होगा, बशर्त पॉलिसी प्रभावी हो। बीमित व्यक्ति का नामित व्यक्ति इस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ और दावा करने का पात्र नहीं होगा। यह धारा किसी चुकता मूल्य प्राप्त करने वाली कालातीत पॉलिसी के लिए लागू नहीं होगी, क्योंकि ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।</p> <p>नैर - जब्त प्रावधानों के अंतर्गत उल्लिखित राहत आत्महत्या के कारण मृत्यु के मामले में</p>	भाग एफ की शर्त 2

		ii) Settlement Option (for Maturity Benefit): Settlement Option is an option to receive Maturity Benefit in instalments over the chosen period of 5 or 10 or 15 years instead of lumpsum amount under an in-force as well as paid-up policy	Condition 9 of Part D
7	Options available (in case of Linked Insurance Products)	Not Applicable	
8	Option available (in case of Annuity product)	Not Applicable	
9	Exclusions (events where insurance coverage is not payable), if any.	<p>Suicide Exclusion: The provisions related to claim payment in case of death due to suicide shall be subject to the conditions as specified herein under:</p> <p>i) If the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide at any time within 12 months from the date of commencement of risk, the Nominee or Beneficiary of the Life Assured shall be entitled to 80% of the total premiums paid till the date of death (excluding any extra premium, rider premiums other than term assurance rider, if any and taxes, if collected explicitly), provided the policy is in force.</p> <p>ii) If the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide within 12 months from date of revival, an amount which is higher of 80% of the total premiums paid till the date of death (excluding any taxes if collected explicitly, extra premium and rider premiums other than term assurance rider, if any, or the surrender value available as on the date of death, shall be payable. The Nominee or Beneficiary of the Life assured shall not be entitled to any other claim under this policy. This clause shall not be applicable for a policy lapsed</p>	Condition 2 of Part F

		लागू नहीं होगी।	
10.	प्रतीक्षा / लियन अवधि, अगर कोई हो	लागू नहीं	
11.	रियायती अवधि	<ul style="list-style-type: none"> • प्रीमियम भुगतान के वार्षिक, माही, तिमाही माध्यम के लिए 30 दिन • प्रीमियम भुगतान के मासिक माध्यम के लिए 15 दिन 	भाग सी की शर्त 5
12.	निशुल्क अवलोकन अवधि	30 दिन	भाग डी की 7
13.	कालाती त चुकता तथा पॉलिसी का पुनर्चलन	<ul style="list-style-type: none"> • कालातीत: कोई पॉलिसी कालातीत तब होती है जब रियायती दिनों के अंदर देय प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है। • चुकता: अगर कम से कम भुगतान किया गया हो और उसके बाद के प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी पूरी तरह समाप्त नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि के अंत तक यह चुकता अवस्था में रहेगी। 	<p>भाग बी -- परिभाषाएं</p> <p>भाग डी की शर्त 2</p>

		without acquiring paid up value and nothing shall be payable under such policy. The relaxation mentioned under Non-forfeiture provisions shall not be applicable in case of death due to suicide.	
10.	Waiting/ lien Period, if any	Not Applicable	
11.	Grace period	<ul style="list-style-type: none"> • 30 Days for Yearly, Half-yearly, Quarterly mode of premium payment • 15 Days for Monthly mode of premium payment 	Condition 5 of Part C
12.	Free Look Period	30 Days	Condition 7 of Part D
13.	Lapse, paid- up and revival of the Policy	<ul style="list-style-type: none"> • Lapse: Lapse is the status of the policy when due premium is not paid within the days of grace. • Paid-up: If after at least one full year's premium(s) has been paid and any subsequent premiums be not duly paid, on completion of first policy year, this policy shall not be wholly void, but shall subsist as a paid-up policy. 	<p>Part B- Defin itions Conditio n</p> <p>2 of Part D</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • पुनर्चलन: कालातीत अवस्था की किसी पॉलिसी को बीमित व्यक्ति के जीवन काल के दौरान तथा पुनर्चलन अवधि के अंतर्गत तथा परिपक्वता से पहले, जैसी भी स्थिति हो, पुनर्चलित किया जा सकता है। 	भाग डी की शर्त 3																
14.	पॉलिसी ऋण, अगर लागू हो	पॉलिसी अवधि के दौरान, पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद ऋण लिया जा सकता है, बशर्ते पूरे वर्ष के प्रीमियम्स का भुगतान किया गया हो तथा यह पॉलिसी के नियमों तथा शर्तों के अधीन होगा।	भाग डी की शर्त 5																
15.	दावे / दावों की प्रक्रिया	<ul style="list-style-type: none"> • संक्षिप्त प्रक्रिया और बैंक अकाउंट विवरण सहित अपेक्षित कागजातों की सूची • दावों के निपटान के लिए निर्धारित समय (टीएटी): <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>सेवा</th><th>मद/ सेवा का विवरण</th><th>निर्धारित समय</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>मृत्यु के दावे</td><td>छानबीन की अपेक्षा के बिना मृत्यु के दावों का निपटान</td><td>15 दिन</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>शीघ्र मृत्यु के दावे, जहां छानबीन अपेक्षित है निर्णय और भुगतान</td><td>45 दिन</td></tr> <tr> <td>2</td><td>विद्यमानता, परिपक्वता, वार्षिकी भुगतान</td><td>परिपक्वता दावों का निपटान</td><td>देय तिथि पर</td></tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	सेवा	मद/ सेवा का विवरण	निर्धारित समय	1	मृत्यु के दावे	छानबीन की अपेक्षा के बिना मृत्यु के दावों का निपटान	15 दिन			शीघ्र मृत्यु के दावे, जहां छानबीन अपेक्षित है निर्णय और भुगतान	45 दिन	2	विद्यमानता, परिपक्वता, वार्षिकी भुगतान	परिपक्वता दावों का निपटान	देय तिथि पर	भाग एफ की शर्त 4
क्र. सं.	सेवा	मद/ सेवा का विवरण	निर्धारित समय																
1	मृत्यु के दावे	छानबीन की अपेक्षा के बिना मृत्यु के दावों का निपटान	15 दिन																
		शीघ्र मृत्यु के दावे, जहां छानबीन अपेक्षित है निर्णय और भुगतान	45 दिन																
2	विद्यमानता, परिपक्वता, वार्षिकी भुगतान	परिपक्वता दावों का निपटान	देय तिथि पर																

		<ul style="list-style-type: none"> • Revival: A policy in lapsed condition may be revived during the life time of the Life Assured, but within the Revival Period and before the date of maturity, as the case may be. 	Condition 3 of Part D																
14.	Policy Loan, if applicable	Loan can be availed during the policy term, after completion of first policy year, provided one full year's premium(s) has been paid and shall be subject to the terms and conditions of the policy.	Condition 5 of Part D																
15.	Claims/ Claims Procedure	<ul style="list-style-type: none"> • Brief procedure and list of documents required including bank account details • Turn Around Time (TAT) for claims settlement: <table border="1"> <thead> <tr> <th>S No</th><th>Service</th><th>Description of Item / Service</th><th>TAT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Death Claims</td><td>Death claims settlements not requiring investigations</td><td>15 days</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Early Death Claims requiring investigations decision & payment</td><td>45 days</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Survival, Maturity, Annuity payments</td><td>Settlement of Maturity Claims</td><td>On due date</td></tr> </tbody> </table>	S No	Service	Description of Item / Service	TAT	1	Death Claims	Death claims settlements not requiring investigations	15 days			Early Death Claims requiring investigations decision & payment	45 days	2	Survival, Maturity, Annuity payments	Settlement of Maturity Claims	On due date	Condition 4 of Part F
S No	Service	Description of Item / Service	TAT																
1	Death Claims	Death claims settlements not requiring investigations	15 days																
		Early Death Claims requiring investigations decision & payment	45 days																
2	Survival, Maturity, Annuity payments	Settlement of Maturity Claims	On due date																

				विद्यमानता हितलाभों का निपटान	देय तिथि पर												
				वार्षिकी भुगतान/ पेंशन भुगतान													
3	बीमा कंपनी द्वारा स्वतः कार्रवाई	पॉलिसी देय भुगतान संबंधी जानकारी (विद्यमानता हितलाभ, परिपक्वता हितलाभ)	देय तिथि से एक महीने पूर्व														
<p>• दावा फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक: https://licindia.in/web/guest/download-forms अद्यतन विवरणों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in को नियमित रूप से देखते रहें।</p>																	
16.	पॉलिसी को सेवाएं प्रदान करना	<p>• निर्धारित समय (टीएटी- (TAT)</p> <table><tr><td>क्र. सं.</td><td>सेवा की मद का विवरण</td><td>निर्धारित समय</td></tr><tr><td>1</td><td>पॉलिसी कागजात में गलतियों / सुधारों से संबंधित पॉलिसी प्राप्ति पश्चात सेवा</td><td>7 दिन</td></tr><tr><td>2</td><td>अनुरोध मिलने की तिथि से फ्री लुकनिसिटीकरण तथा जमाशु को लौटाना</td><td>7 दिन</td></tr><tr><td>3</td><td>पते में बदलाव</td><td>7 दिन</td></tr></table>				क्र. सं.	सेवा की मद का विवरण	निर्धारित समय	1	पॉलिसी कागजात में गलतियों / सुधारों से संबंधित पॉलिसी प्राप्ति पश्चात सेवा	7 दिन	2	अनुरोध मिलने की तिथि से फ्री लुकनिसिटीकरण तथा जमाशु को लौटाना	7 दिन	3	पते में बदलाव	7 दिन
क्र. सं.	सेवा की मद का विवरण	निर्धारित समय															
1	पॉलिसी कागजात में गलतियों / सुधारों से संबंधित पॉलिसी प्राप्ति पश्चात सेवा	7 दिन															
2	अनुरोध मिलने की तिथि से फ्री लुकनिसिटीकरण तथा जमाशु को लौटाना	7 दिन															
3	पते में बदलाव	7 दिन															

				Settlement of Survival Benefits	On due date
				Annuity payments/Pension Payments	
	3	Auto Act on by Insurer	Policy Payments information (Survival Benefits, Maturity Benefits)	One month before due date	
	•Link for downloading claim form : https://licindia.in/web/guest/download-forms For updated details, we request you to regularly check our website www.licindia.in				
16	Policy Servicing	• Turn Around Time (TAT)			Part G
		S No	Description of Item of Service	TAT	
		1	Post Policy service requests concerning mistakes / correctons in the policy document	7 days	
		2	Free look cancellaton and refund from the date of receipt of request	7 days	
		3	Change of	7	

M - P715
135-67-71

Part G

L04-M-P715
M4 LB135-67-71

		(केवाईसी मापदंड का पालन किया जाना है)	
4	नामांकन/समनुदेशन का रजिस्ट्रेशन/बदलाव	7 दिन	
5	पॉलिसी की मूल शर्तों में बदलाव (जहां लागू हो)	7 दिन	
6	पॉलिसी लोन	7 दिन	
7	सभी अपेक्षाओं के पुरा किए जाने पर पॉलिसी के पुनर्वहन पर निर्णय	7 दिन	
8	प्रीमियम भुगतान प्रमाणपत्र (पीपीसी) जारी करना	7 दिन	
9	डुप्लिकेट पॉलिसी जारी करना	7 दिन	
10	देय प्रीमियम की सूचना	देय तथि से एक महीने पूर्व	
11	पॉलिसी का अभ्यर्पण या आंशिक निकासी	7 दिन	
<p>• हेल्पलाइन / कॉल सेंटर नंबर : 91-022-68276827</p> <p>• SMS LICHELP < POLICY NUMBER > to 9222492224</p> <p>• व्हाट्सअप नं. 8976862090</p> <p>बीमा कंपनी का संपर्क विवरण :</p> <p>• कृपया हमारे शाखा कार्यालय से संपर्क करें, जिसका विवरण पॉलिसी कागजात के भाग ए (पहले पेज) में दिया गया है।</p> <p>• या फिर अपनी शाखा का पता लगाने के लिए https://licindia.in/branch पर विजिट करें</p>			

	Address (KYC norms to be complied)	days	
4	Registraton / Change of Nominaton, Assignment	7 days	
5	Alteraton in original policy condi-tions (where applicable)	7 days	
6	Policy Loan	7 days	
7	Decision on Policy revival after receipt of all re-quirements	7 days	
8	Issue of Premium Payment certificates (PPC)	7 days	
9	Issue of Duplicate Policy	7 days	
10	Premium due intimation	One month before due date	
11	Surrender or Partial withdrawal of Policy	7 days	
<p>• Helpline/Call Centre number: 91-022-68276827</p> <p>• SMS LICHELP<POLICY NUMBER> to 9222492224</p> <p>• WhatsApp No- 8976862090</p> <p>Contact details of the Insurer:</p> <p>• Please contact us at our Branch Office, the details of which are mentioned in the Part A (First Page) of the policy document</p> <p>• Alternatively please visit https://licindia.in/branch to locate your Branch</p> <p>• Please visit</p>			

• अपेक्षित कागजातों की सूची के साथ बैंक अकाउंट विवरण डाउनलोड करने के लिए यहां विजिट करें :
<https://licindia.in/web/guest/download-forms>
 • ताजी जानकारी पाने के लिए, हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी वेबसाइट > www.licindia.in को नियमित रूप से देखते रहें।

17	परिवाद / शिकायत	क्र. सं.	सेवा की मद का विवरण	निर्धारित समय	
		1	शिकायत की	तुरंत	
		2	शिकायत पर कार्यवाई तथा शिकायतकर्ता को फैसले से सूचित करना	14 दिन	
		3	अगर शिकायत को सुलझाया नहीं गया है तो पॉलिसीधारक को विकल्पों के बारे में सूचित करना जिसमें बीमा लाकपाल/ कंप्यूमर कोर्ट को संदर्भित करना भी शामिल है।	शिकायत मिलने की मूल तिथि से 14 दिन	
		<p>• माकर्ता के शिकायत समाधान अधिकारी का संपर्क विवरण : आप हमारे शिकायत समाधान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं जिनका पता पॉलिसी दस्तावेज के भाग ए (पहले पेज) में दिया गया है। या फिर शिकायत समाधान अधिकारियों का विवरण नीचे दिए गए लिंक पर पाया जा सकता है: https://licindia.in/web/guest/grievances</p> <p>• बीमाकर्ता के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए लिंक: अगर आप एक पंजीकृत पॉलिसीधारक हैं तो आप हमारे कस्टमर पोर्टल (वेबसाइट)</p>			

<https://licindia.in/web/guest/download-forms> for downloading applicable forms and list of documents required including bank account details
 • For updated details, we request you to regularly visit our website www.licindia.in

17	Grievances/ Complaints	S No	Description of Item of Service	TAT	Part G
		1	Acknowledgement to complaint	Immediately	
		2	Action on Complaint and Intimation of decision to the complainant	14 Days	
		3	If Complaint is NOT resolved, communicate the details to the Policyholder of the options including referring the complainant to Insurance Ombudsman / Consumer Court	14 Days from original date of receipt of complaint	
		<p>• Contact details of Grievance Redressal Officer of the Insurer: You may contact the Grievance Redressal Officer on the address as mentioned in the Part A (First page) of the Policy Document. Alternatively the details of Grievance Redressal Officers can be found on the below link: https://licindia.in/web/guest/grievances</p> <p>• Link for registering the grievance with the Insurer's portal: If you are a registered policy holder you can directly</p>			

	<p>www.licindia.in पर सीधे शिकायत / परिवाद दर्ज कर सकते हैं तथा उसकी वर्तमान स्थिति को जान सकते हैं। आप ईमेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी किसी शिकायत के सकते हैं। पंजीकरण के लिए लिंक : https://ebiz.licindia.in/D2CPM/?_ga=2.72703123.1272923387.1677050657.120722208.1677050657#Login</p> <p>• लोकपाल का संपर्क विवरण: आप बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं जिनका पता पॉलिसी दस्तावेज के भाग ए (पहले पेज) में दिया गया है। https://cioins.co.in</p> <p>संपर्क नं. : 022-69038800/ 69038812</p>	
	<p>register complaint/ grievance and track its status through our Customer Portal (website) www.licindia.in. You can also contact at e-mail id: co_complaints@licindia.com for redressal of any grievances.</p> <p>Link for registering: https://ebiz.licindia.in/D2CPM/?_ga=2.72703123.1272923387.1677050657.120722208.1677050657#Login</p> <p>• Contact details of Ombudsman: You can also approach Insurance Ombudsman whose Address and contact details is given in Part A (First page) of the Policy Document.</p> <p>Alternatively the details of Ombudsman can be found on the below link: https://cioins.co.in Contact No.: 022-69038800/ 69038812</p>	

पॉलिसीधारक की घोषणा

मैंने उपरोक्त को पढ़ लिया है और विवरणों को नोट करने की पुष्टि करता/ती हूँ।

स्थान: (पॉलिसीधारक के हस्ताक्षर)

दिनांक :

नोट :

- i. ग्राहक सूचना पत्रक सहित उत्पाद से संबंधित दस्तावेज निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध हैं।
- ii. किसी प्रकार का मतभेद होने पर पॉलिसी दस्तावेज में उल्लेख किए गए नियम तथा शर्तें मान्य होंगी।

Declaration by the Policyholder

I have read the above and confirm having noted the details.

Place: (Signature of the Policyholder)

Date:

Note:

- i. Product related documents including the Customer Information sheet are available on Corporation's website www.licindia.in
- ii. In case of any conflict, the terms and conditions mentioned in the policy document shall prevail.

BLANK PAGE



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Har Pal Aapke Saath

Follow us at:     @LICindiaForever